Seventeenth Series, Vol. XXVII No.3 — Wednesday, September 20, 2023
Bhadra 29, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Thirteenth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol. XXVII contains Nos.1 to 4)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Mamta Kemwal

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Maneesha Bhushan

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXVII, Thirteenth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 3, Wednesday, September 20, 2023/ Bhadra 29, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
PAPERS LAID ON THE TABLE	7-11
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE	
74th and 75th Reports	12
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE	
Minutes	13
STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT	
51st Report	14
CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL, 2023	16-408
Motion to Consider	16
Shri Arjun Ram Meghwal	16-19, 223-230
Shrimati Sonia Gandhi	20-22
Dr. Nishikant Dubey	22-28
Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	28-35
Dr. Kakoli Ghosh Dastidar	35-40
Shrimati Vanga Geetha Viswanath	42-44
Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'	44-47
Dr. Rajashree Mallick	47-49

Shrimati Sangeeta Azad	49-51
Shri Nama Nageswara Rao	51-53
Shrimati Bhavana Gawali (Patil)	53-55
Sushri S. Jothimani	56-59
Sushri Sunita Duggal	59-63
Shrimati Veena Devi	64
Shrimati Supriya Sadanand Sule	65-70
Shrimati Dimple Yadav	71-72
Shrimati Jaskaur Meena	73-76
Shrimati Sarmistha Sethi	76-79
Shrimati Gomati Sai	80-81
Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian	82-85
Shrimati Anupriya Patel	86-89
Shri Hasnain Masoodi	90-96
Shri K. Subbarayan	97-98
Dr.Beesetti Venkata Satyavathi	98-102
Shri Jagdambika Pal	103-107
Kumari Ramya Haridas	108-109
Dr. Bharati Pravin Pawar	110-111
Sushri Mahua Moitra	111-116
Shrimati Smriti Zubin Irani	116-123
Adv. A. M. Ariff	124-129
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	130-133

Shri E. T. Mohammed Basheer	134-136
Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane	136-139
Shrimati Kavita Singh	140-141
Shri C. P. Joshi	142-145
Shri Asaduddin Owaisi	146-147
Shri Chirag Kumar Paswan	148-150
Shri Hanuman Beniwal	150-153
Shrimati Navneet Ravi Rana	154-157
Shrimati Kavitha Malothu	157-158
Shri Kesineni Srinivas	159-162
Shrimati Sumalatha Ambareesh	162-163
Shri N.K. Premachandran	164-167
Shrimati Sandhya Ray	169-172
Shri Arvind Sawant	172-174
Kumari Agatha K. Sangma	175-178
Shrimati Aparajita Sarangi	179-181
Shri Girish Chandra	181-183
Shri P. Ravindhranath	185-186
Shri Thomas Chazhikadan	187-188
Shri Indra Hang Subba	189-190
Shri Vijay Kumar Hansdak	191-192
Shrimati Sharda Anil Patel	193
Shri Tokheho Yepthomi	194-195

Dr. Lorho Pfoze	195-197
Shri M. Badruddin Ajmal	197-200
Shri Sushil Kumar Rinku	200-202
Dr. Thol Thirumaavalavan	202-203
Shrimati Satabdi Roy (Banerjee)	204
Shri Rahul Gandhi	205-209
Shri Amit Shah	210-223
Clauses 2 to 6 and 1	254-287
Motion to Pass	387-408

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

45th Report	184

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, September 20, 2023/ Bhadra 29, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, श्री दानवे रावसाहेब

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक- एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रेल (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए खोला जाना) संशोधन नियम, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 321(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 22 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 378(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) रेल (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए खोला जाना) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10068/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (……संशोधन) विनियम, 2022 जो 3 जून, 2022

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ई.पी. 1(7)/2015 में प्रकाशित हुए थे तथा उसके दो शुद्धिपत्र जो 3 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. 1(7)/2015 और 20 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 1(7)/2017 (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ई.पी. 1(7)/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10069/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Sir, I beg to lay –

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audit Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tibet House, New Delhi, for the year 2021- 2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10070/17/23]

(3) A copy of the National Monument Authority Heritage bye-laws, 2023 of Centrally Protected Monument - Memorial Pillar marking the site of the pre-mutiny Residency in the old Mariaon Cantonment, Lucknow (Hindi and English versions) dated 26th May, 2023 under sub-section (6) of Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

[Placed in Library, See No. LT 10071/17/23]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I move that the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration.

मैं इस बिल के संबध में कुछ विषय आपके समक्ष रखना चाह रहा था।

अध्यक्ष महोदय, यह कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंड बिल है और महत्वपूर्ण बिल है । महिला सशक्तिकरण की दिशा में … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी आपको आइटम नंबर 1 का पेपर ले करना है।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8क की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आ.अ. 19(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आदेश अधिसूचित किए गए हैं।

(दो) आ.अ. 33(अ) जो 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3661(अ) जो 16 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अगस्त, 2023 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है जिस तारीख को असम राज्य के संबंध में 20 जून, 2023 की अधिसूचना सं. आ.अ. 19(अ) द्वारा किया गया निर्वाचन आयोग का आदेश सं. 1 और 11 अगस्त, 2023 की अधिसूचना सं. आ.अ. 33(अ) द्वारा किया गया आदेश सं. 2 प्रभावी होगा।

[Placed in Library, See No. LT 10066/17/23]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2023 जो 23 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3778(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10067/17/23]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. सुभाष सरकार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर विनियम, 2023 जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआईएमबी/आरईजी/590/2023 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10072/17/23]

(2) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्विद्यालय के अध्यादेश - 2023 जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. (दो)एलबीएसएनयू/आरईजी/(11)/अध्यादेश/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्विद्यालय के विनियम - 2021 जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. (दो)एलबीएसएनयू/आरईजी/(11)/अध्यादेश/2023 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10073/17/23]

11.02 hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

74th and 75th Reports

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2023-24):- (1) Seventy-fourth Report on 'Ground Water Management and Regulation'. (2) Seventy-fifth Report on 'Issues related to Cultural Institutions'.

11.03 hrs

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

Minutes

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Sir, I beg to lay on the Table the minutes (Hindi and English versions) of the Eleventh sitting of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House held on 09.08.2023.

11.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT

51st Report

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to present the Fifty-first Report* (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development (2022-23) on "The Employees' State Insurance Corporation- Applicability and Benefits under ESI Scheme, Functioning of ESI Hospitals and Management of Corpus Fund" relating to the Ministry of Labour and Employment.

---

* The Report was presented to Hon'ble Speaker on 11th September, 2023 under Direction 71 A (1) of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नई व्यवस्था है और नई व्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है । आज सुबह भी 10 बजे से टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने के लिए सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था । कल भी सुबह टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी सीखने के लिए आना चाहें, इस पार्लियामेंट कैंपस में आमंत्रित हैं । टेक्नोलॉजी के कारण कुछ चीजें हो सकती हैं, आपको आवाज कम आए, उसको ठीक कर रहे हैं । नये घर में आते हैं, नये परिवार में आते हैं, तो आप सब इन चीजों को समझते हैं ।

… (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Can the hard copy of the business papers be circulated at least for a few days?

माननीय अध्यक्ष : ठीक है । इसीलिए, इस नई व्यवस्था में सभी लोग आसन का सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है । जो कुछ भी व्यवस्थाओं के अंदर आपको कमी लगे, वह मुझे बतायें । इन दो दिनों के बाद आपको व्यवस्थायें और व्यवस्थित मिलेंगी । जितना दो दिनों में ठीक होगा, उसकी कोशिश करेंगे, नहीं तो नये सत्र के समय सब व्यवस्थायें मिलेंगी । हम सब जानते हैं कि नये प्रयोग में कुछ चीजें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, सब विषय मेरे ध्यान में हैं । आप और भी लिखकर मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा ।

11.07 hrs

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL, 2023

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 9 - संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन), विधेयक 2023.

माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I move the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023.

I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला यह बिल है। अमृत काल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी यह बिल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कल जिक्र किया था कि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ने 25 नवम्बर, 1949 को जब संविधान बन गया था और उनका अन्तिम भाषण था तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी, 1950 को राजनीतिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता रहेगी, उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा। उन्होंने यह भी कहा था, मैं कोट-अनकोट कहना चाहता हूं, "26 जनवरी, 1950 को हम परस्पर

विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहां समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक मत के सिद्धान्त को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धान्त को नकारते रहेंगे। इस विरोधापूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे, कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे?" अब इसके बाद जो सरकारें आईं, उन्होंने बाबा साहब की इस चेतावनी को भी ध्यान में ज्यादा नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक समानता लाने की योजना नहीं बनाई। लेकिन, जैसे ही वर्ष 2014 में देश में नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री के रूप में आते हैं, उसके बाद से सामाजिक, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनायें बनाते हैं, जिसमें कई का मैंने कल जिक्र किया। बहुत सी योजनायें हैं, जिसमें महिला सशक्तीकरण की योजनायें भी सम्मिलित हैं। टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा था। महिलाओं को समानता भी मिलती है, एक घर में लाइट है, एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में टॉयलेट है, एक घर में टॉयलेट नहीं है। समानता लाने का अधिकार, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा वर्ष 2014 के बाद योजनाओं में स्केल भी बढ़ाया, बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है।

आज इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, अवसर की समानता भी बढ़ेगी। महिलाओं को रिप्रेजेन्टेशन भी मिलेगा, इसके चार ऐसे महत्पूर्ण क्लॉज़ हैं, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। हम इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, इसमें चार महत्वपूर्ण क्लॉज़ हैं। बाकी जब चर्चा होगी, विषय आएगा और बाद में जब बोलने का अवसर मिलेगा तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

पहला क्लॉज़ है, संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम 239 एए जोड़ रहे हैं। जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेम्बली में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, It is the first amendment in clause 2 of the Bill. हम दूसरा क्लॉज़ 3 जोड़ रहे हैं,

जिसमें संविधान का आर्टिकल 330 है, उसमें 330ए सेक्शन जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोक सभा में 33 परसेंट आरक्षण होगा । यह बहुत बड़ा कदम है । तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज़ 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 332ए जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार हम महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेम्बली में 33 परसेंट सीटों का प्रावधान करने जा रहे हैं ।

चौथा क्लॉज़ 5 के अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 334ए जोड़ा जा रहा है, आज महिलाओं के आरक्षण के लिए सदन में चर्चा हो रही है । यह आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा । अगर 15 सालों के बाद इसे बढ़ाना है तो यह संसद ही तय करेगी, इसका अधिकार संसद को ही रहेगा । जितनी सीटें आज हैं, जैसे-जैसे सीटें बढ़ती जाएंगी, 33 परसेंट के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा । कल भी इस बिल पर चर्चा हुई । मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं । भारतीय जनता पार्टी की बड़ोडरा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को पार्टी में सशक्त करने के लिए 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं से भरी जाएंगी, ऐसा निर्णय किया । उसके बाद इसके लिए वातावरण बना । उसके बाद दूसरी पार्टियों में भी प्रेशर आया, कितना काम किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता । उसके बाद से भाजपा लगातार लोक सभा और राज्य सभा में 33 परसेंट सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही । जब अटल जी की सरकार आयी तो बिल भी लेकर आई । कई बार सभी दलों की सर्वसम्मति के लिए बैठक भी बुलाई गई । अटल जी ने कई बार प्रयास किए । बारहवीं लोक सभा के समय वर्ष 1998 में प्रयास किया । तेरहवीं लोक सभा के समय वर्ष 1999 में महिला आरक्षण विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया । उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1996 में ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान एच.डी.देवगौड़ा जी के समय यह बिल पहली बार प्रस्तुत हुआ । उसके बाद यह बिल कमेटी में चला गया । उसके बाद कमेटी ने रिपोर्ट दी । कमेटी की रिपोर्ट देने के बाद लोक सभा भंग हो गई तो वह बिल भी समाप्त हो गया ।

मैं इस बिल की हिस्ट्री इसलिए बताना चाहता हूं कि बाद में यूपीए- । के समय 17 दिसम्बर, 2009 में कमेटी की रिपोर्ट आई। मनमोहन सिंह जी के समय बिल पेश किया गय। इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च, 2010 को इस बिल को राज्य सभा में चर्चा के लिए लाया गया। इस बिल पर दो दिन चर्चा हुई और चर्चा के दौरान इस बिल का काफी विरोध भी हुआ। कुछ सांसदों ने इस बिल की कापियां भी फाड़ी, लेकिन अंतत: यह बिल राज्य सभा से पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को खुले मन से सपोर्ट किया था। राज्य में चर्चा और बिल पास होने के बाद, 12 मार्च 2010 को यह बिल लोक सभा में कम्युनिकेट हो गया। लोक सभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो यह लोक सभा की प्रॉपर्टी हो गई। हम उस समय प्रतिपक्ष में थे। उसके बाद हमने कई बार डिमांड की कि इस बिल को लेकर आओ। लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था और इस बिल के बारे में चिंता कम थी। इसलिए ये बिल लेकर नहीं आए। 18 मई, 2014 को लोक सभा भंग हुई तो यह बिल भी लैप्स हो गया। कभी भी लोक सभा में इनके पीरियड में यह बिल चर्चा के लिए नहीं आया। कल ये अननेसेसरी विवाद कर रहे थे कि संविधान में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 107 के सब-आर्टिकल-5 में प्रावधान है।

'यदि कोई लोक सभा में लंबित है तो वह लोकसभा के विघटन के साथ ही लैप्स हो जाएगा।' It is a constitutional provision. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आपके माध्यम से अगर इसमें सर्वसम्मति बने तो बहुत अच्छा रहेगा। सदस्यों के जो सुझाव आएंगे, हम उनको जरूर ध्यान में लाएंगे। मैं एक कविता के माध्यम से अभी का भाषण समाप्त करना चाहता हूं। हमारे शास्त्रों में नारी के बारे में लिखा है-

तुम सृष्टि की आधारशिला, तुमसे मानव को प्राण मिला,
संगीत तुम्हारा कण-कण में, तुमने जीवन में रंग भरा।
तुम मां भी हो और बेटी भी, तुम बहन और अर्धांगिनी,
तुम प्रेम भी हो और शक्ति भी, तुमसे ही जीवन पूर्ण हुआ।

यह बिल पास करें, जिससे प्रतिनिधित्व वाला मामला पूर्ण होगा। मैं चाहता हूं कि चर्चा प्रारंभ की जाए और सर्वसम्मति से बिल को पास करने का प्रयास किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, I am on a point of order. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपको पूरी डिबेट में पर्याप्त मौका दिया जाएगा। उस समय आप विषय रख देना।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : माननीय मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सोनिया गांधी जी।

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की इज़ाज़त दी, मैं आपकी आभारी हूं। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूं। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाते हुए स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज़ दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाज़ी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है, उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाजा लगाना नामुमकिन है, वह आराम को नहीं पहचानती और थक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान् देश की मां है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसूओं और खून-पसीने से सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री की मेहनत, स्त्री की गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आजादी की लड़ाई और नए

भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर-गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी है। सरोजिनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी जी, अरुणा आसफ़ अली जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, राजकुमारी अमृत कौर जी और उनके साथ लाखों महिलाओं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी और मौलाना आज़ाद जी के सपनों को जमीन पर उतारकर दिखाया है।

इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत ही मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे, जो राज्य सभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधान मंत्री स्वर्गीय पी.वी. नरसिंह राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश-भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ-साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष - दो वर्ष, चार वर्ष, छः वर्ष, आठ वर्ष ? क्या भारत की स्त्रियों के साथ यह बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था भी की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है, वे उठाने ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान को स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करने का यह सबसे उचित समय है। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर

नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि संभव भी है। धन्यवाद।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी पार्टी और इस देश के माननीय प्रधान मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि इस ऐतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप सब बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (**श्री अमित शाह**): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी से इतना पूछना चाहता हूं कि क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेंगी? क्या पुरुष नहीं कर सकते हैं? ... (व्यवधान) आप किस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हैं? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों को सोचना चाहिए। ... (व्यवधान) यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। यदि हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, तो इसमें उनको क्या आपत्ति है। उनको पहले खड़ा होने के लिए नहीं मिला, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशिकांत दुबे जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटते हैं, उसका मैं उदाहरण हूं। मैं एक गाँव में पैदा हुआ था। मेरे माता-पिताजी आज भी गाँव में रहते हैं। आज जब मैं पालियामेंट के लिए चल रहा था, मेरी माँ आज एम्स, देवघर में भर्ती है, उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुम्हें बोलने का मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोलना। ... (व्यवधान) उसने इसलिए कहा कि जो महिला है, आज यदि सारे पुरुष यहां मौजूद हैं तो उसका कारण महिला है। ... (व्यवधान) यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिसटेंस नहीं

होता। ... (व्यवधान) आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है और ये जितने ऑपोजिशन के लोग हैं, वे इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया और आज हम यह बिल लेकर आए हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। ... (व्यवधान) हम वर्षों से सुनते रहे हैं कि-

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"

लेकिन, क्या हुआ इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थीं। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, तब तक सर्वशिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया। महिलाओं की शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया। यदि महिलाएं, बच्चियां स्कूल जाती थीं तो उनको खाना बनाकर जाना पड़ता था। इसको जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने देखा। मिड-डे-मील स्कीम जब तक सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ, तब तक महिलाओं और बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इस देश के प्रधान मंत्री जी ने सबसे बड़ा काम किया कि उनको सम्मान दिया। सारे स्कूलों में, स्मृति ईरानी जी उस समय एचआरडी मिनिस्टर थीं, सभी स्कूलों में शौचालय बनाकर महिलाएं कैसे अच्छे से पढ़ेंगी और बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उसी का यह उदाहरण है। उससे आगे बढ़कर, आज, कल और परसों से लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि 'सही समय है, यही समय है'। इसी समय पर आज यह ऐतिहासिक सेशन बुलाकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं और हम उनका आदर और नमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया।

सर, मैं पढ़ रहा था, काफी बातें कही गईं। मैं केवल दो-तीन चीजें बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने विषय पर आऊंगा। यह देश इस संविधान से चलता है और इसका आर्टिकल 82, मनीष तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं, वे कल से लगातार संविधान-संविधान की बात कर रहे हैं। अभी सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कहीं कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे? यह देश संविधान से चलता है। आर्टिकल 243 (डी) और आर्टिकल 243 (टी), जिसके लिए उन्होंने अपने-

आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया है कि हमने पंचायत में महिला रिवर्जेशन लागू किया है। आपने बहुत अच्छा काम किया।

लेकिन आर्टिकल 243 (डी) और 243 (टी) हमने तो नहीं दिया। आप आर्टिकल 243 (डी) और 243 (टी) को पढ़ लीजिए। पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा, आपने उसके लिए कभी ओबीसी की तो बात नहीं की। यदि इस आर्टिकल में आपने ओबीसी की बात डाली होती तो जब आप करें, तो बहुत अच्छा। इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया? उसी तरह से सन् 1947 से लेकर 1949 तक संविधान सभा चलती रही। हम परसों से यही भाषण सुन रहे हैं। संविधान सभा, यानी सन् 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुए, कभी किसी ने राज्य सभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्य सभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन नहीं है। विधान परिषद में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन नहीं है। आप एक नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं, जबकि आपने नहीं किया।

आज तक भारत के संविधान में यह कहा गया है कि राज्य सभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाते हैं, तो आप कहते हैं कि राज्य सभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आर्टिकल 82 है, जो रीएडजेस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस और सीट्स बढ़ाने की बात कर रही है। आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2026 तक हमने सभी चीजों को फ्रीज कर दिया है। आप गैर संवैधानिक काम करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि इसको वर्ष 2024 से लागू कर दीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्ट्रक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन न दें? आप जिस तरह से केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपाप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी भी करे?

हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं जिसकी शुरुआत करता हूं, उसका अंत भी करता हूं। यदि यह महिला रिजर्वेशन बिल यहां आया है, तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं रोक सकती है। …(व्यवधान) इनके यहां क्या दिक्कत है? इनके यहां जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अभी जितने भी वक्ता बोलने वाले हैं। …(व्यवधान) आर्टिकल 82 पढ़िए। संविधान को पढ़िए। संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा और डीलिमिटेशन के बाद हम उसको लागू करेंगे। यह आर्टिकल 82 कह रहा है। …(व्यवधान)

महोदय, पूरे देश और दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए। इस पार्लियामेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या है? लोक सभा, राज्य सभा, लॉबीज़, सभी जगह सांसद बैठकर कानून पास करते रहें। भाई मरता था, तो भाई की लाश जलाने के लिए कोई नहीं जाता था। पिता मरते थे, पिता की लाश जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था। …(व्यवधान) हम दो साल के बाद उस कोरोना से बचकर आए हैं। आप कहते हैं कि आपने क्यों नहीं कराया, आपने क्यों नहीं कराया? कितने लोग थे, जो रोड्स पर घूम रहे थे? कितने लोग थे, जो खाना खिला रहे थे? सारी जगहों की ट्रेन्स बंद थीं, सभी जगह की स्थितियां बंद थीं। भारत किस तरह की विकट परिस्थिति में था। …(व्यवधान)

माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को बचाकर लाए हैं। सेंसस जो कि संवैधानिक चीज है, जब हम उसको लागू करेंगे, तो ये लागू होगा। आज आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं लागू किया? ये देश में फिर से गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 के कोरोना के माहौल के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था? कैसे सेंसस हो सकता था? यहां माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं। वे हमेशा कहते हैं कि मैं कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करूंगा, कोई असंवैधानिक काम नहीं करूंगा। यदि सेंसस होना है, तो उसकी तारीख घोषित होगी, सेंसेस होगा, डीलिमिटेशन होगा और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यही तो इस बिल में है। 334 (ए) के बारे में माननीय कानून मंत्री जी

बोल रहे थे, लेकिन समस्या क्या है? 26 पार्टियों का जो ...* गठबंधन बनाया है - 'इंडी अलाइंस', मैं उसके सारे नेताओं का भाषण पढ़ रहा था। ...(व्यवधान)

अभी जब सोनिया जी बोल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वह राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी, क्योंकि वह अपोजिशन की आवाज थीं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी, वह बंगाल की गीता मुखर्जी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज जी थीं।

यदि ये दोनों नहीं रहती तो आज यह दिन भी देखने को नहीं मिलता। आज 33 परसेंट रिज़र्वेशन लोक सभा और विधान सभा में लागू होने वाला है और माननीय प्रधान मंत्री जी लेकर आए है, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया, न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। यह बिल आपका नहीं है। आप जो बिल लेकर आए थे, वह गलत बिल था। यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया है तो वह गीता मुखर्जी हैं, वह सुषमा स्वराज हैं। आपने यह न बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की। आज के पूरे क्रेडिट में जो जीता वही सिकंदर। यहां बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोला मारता है, उसी के नाम से गोल माना जाता है। माननीय प्रधान मंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का बिल है और यह माननीय प्रधान मंत्री जी का बिल है। आपको यह मानना पड़ेगा।

दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोज़िशन के लोग है, जो 26 पार्टियों का इण्डी गठबंधन बना है, आप समझिए इनकी भावना कैसी है और महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं। अब नहीं रहे हैं, वह इसी सदन के सदस्य थे, वह राज्य सभा के भी सदस्य थे, इनकी पार्टी के अपोज़िशन के बड़े नेता थे। वह कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं आपको दो कहानी बताना चाहता हूं और यह वर्षों से मेरे मन में था कि इस पार्लियामेंट में दो बार संयोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया। अनुराग ठाकुर जी से

---

* Expunged as ordered by the Chair.

लेकर राजनाथ जी और सभी के साथ काम करने का मौका मिला। वर्ष 2011 और वर्ष 2013 में दो भयंकर घटना इसी वैल में हुईं। जब वर्ष 2010 में यह बिल राज्य सभा में पास हो गया और जब यहां वर्ष 2011 में बिल लेकर आए, जिसको ये लागू करना नहीं चाहते थे, जब बिल इधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी वैल में पीटा। दो बिल थे, उसमें एक महिला रिज़र्वेशन का था, जो वर्ष 2011 का था और वर्ष 2013 में प्रमोशन इन रिज़र्वेशन का था। जब मैं प्रमोशन इन रिज़र्वेशन में बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच के खड़े हो जाएंगे। यहीं वी. नारायणसामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशबीर सिंह, जो शेड्यूल कास्ट से थे, ये अधिकार की बात करते हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं। यशबीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी. नारायणसामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में इसी लोक सभा में सबसे पहले वैल में यदि उनका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थीं। वहां नीरज शेखर खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, मैं वहां से कूदकर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं हैं, आप यहां की रानी नहीं हैं। इस वैल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, विलास मुत्तेमवार से लेकर सब ने उनको पीटा। ... (व्यवधान) ये दो घटनाएं थीं, चाहे महिला रिज़र्वेशन की हो, चाहे प्रमोशन इन रिज़र्वेशन की हो।

सर, यह पार्लियामेंट है, सबको सत्य बोलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यदि बीजेपी नहीं होती तो आज की डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की। ये उन्हीं 26 दलों के साथ आए हैं, जिनकी मानसिकता ही नहीं है कि महिलाओं को रिज़र्वेशन मिले। चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वह समाजवादी पार्टी है, चाहे इनके सारे मुस्लिम एमपी हों, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो इनको सपोर्ट कर रही है, उन्हीं के दबाव में ये कानून के विरोध में जाकर, इस संविधान के विरोध में जाकर तथा इसके सारे उदाहरण हैं कि वर्ष1996 से लेकर आज तक यह क्यों नहीं लागू हुआ। उसी के कारण ये कभी ओबीसी रिज़र्वेशन की बात करते हैं, कोटा विदिन कोटा की बात करते हैं, राज्य सभा में उसको अधिकार देने की बात करते हैं, विधान परिषद में

रिज़र्वेशन क्यों नहीं दिया, उसकी बात करते हैं, फिर वह बात करते हैं कि वर्ष 2024 से लागू क्यों नहीं होगा? इनको सब कुछ पता है। यह देश संविधान से चलता है। हम गरीब परिवार के बेटे होकर इस पार्लियामेंट में आए हैं। जैसे मैंने बात कही कि मेरे मां और पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। … (व्यवधान) यदि बाबा साहेब अंबेडकर का यह संविधान न होता, भारतीय जनता पार्टी न होती और उस दिन भी मैंने कहा कि आपने गांव नहीं देखा है, गरीबी नहीं देखी है, महिलाओं की स्थिति नहीं देखी है।

आपने जो-जो कानून पास किए, वे महिलाओं के खिलाफ हैं। धारा 498 आपने पास किया, जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। जिस तरह से आपने बनाया है, उसमें पुरुष से ज्यादा महिलाएं डॉवरी के केस में जेलों में बंद हैं। आपने कई कानून ऐसे पास किए हैं, जिनकी वजह से लोग महिलाओं को नौकरी देने को तैयार नहीं होते हैं। आपने महिलाओं को रोकने का प्रयास किया है, महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन, हम जो बिल लेकर आए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इतिहास रचने जा रहा है और यह जो ऐतिहासिक पल है, स्पीकर साहब आपके जीवन का भी ऐतिहासिक पल है, क्योंकि उस कुर्सी पर आज आप विराजमान हैं, जिस पल में यह इतिहास बन रहा है, वह केवल और केवल माननीय मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम संविधान सम्मत काम करते हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि दल और पार्टी से उठकर संविधान के आर्टिकल 82, 243डी और 243टी, जिन आधार पर यह संविधान चलता है, उसके आधार पर सर्वसम्मति से इसे पास कीजिए। जय हिन्द! जय भारत!

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): What is this? … (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: What is this heckling, Sir? … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: What is this heckling? … (*Interruptions*) She has not even started. … (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: What is this? … (*Interruptions*) I have not even started. … (*Interruptions*) I do not even understand. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir what is this? … (*Interruptions*) She has not even started and your Member is heckling the speaker… (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Is this respect for women? … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Exactly, Sir. … (*Interruptions*) What is this?

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: I do not even understand what he says. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: What is this? … (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Is this respect for women? … (*Interruptions*) BJP does not respect women. … (*Interruptions*) No respect for women. … (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, I am happy to be here speaking about the Women's Reservation Bill. It is one of the very few Bills - I think most of us would agree - which we thought will be passed with all of us supporting each other and standing together. But unfortunately, the BJP has taken this also as an opportunity for politicking. It is very unfortunate. I am just reminded of what

Periyar said when I see the BJP speaking here and heckling. He said, "The pretence of men that they respect women and that they strive for their freedom is only a ruse to deceive them." I would like to quote the former Chilean President, Michelle Bachelet, "A better democracy is a democracy where women do not only have the right to vote and to elect, but to be elected."

In 1919, after the Montagu-Chelmsford Reforms were passed, we got the right to vote, especially in the Madras Presidency and the Bombay Presidency. The Justice Party passed a Resolution on 10th May, 1921 to grant voting rights for women for the first time in India.

In 1927, Tamil Nadu elected its woman legislator in the country, Dr. Muthulakshmi Reddy who was instrumental in abolishing the devadasi system. But, nearly 100 years after that, we still have not passed the Bill.

In 1929, in the Self-Respect Conference in Chengalpet, Periyar passed a resolution insisting on reservation for women in education, employment and politics. The Women's Reservation Bill was first brought with the support of the DMK during the United Front Government in September, 1996.

Then, Thiru Deve Gowda, who was the Prime Minister, brought this Bill. The Law Minister Shri Ramakant Khalap was the one who presented the Bill in this House. Then, our respected former Prime Minister Vajpayee ji again brought this Bill. But it was the UPA Government in 2010 which passed it in the Rajay Sabha. I got an opportunity to speak on the Bill in the Rajya Sabha 13 years ago. I have got an opportunity to speak on this Bill again here. We are still speaking about this Bill and debating it for the past 13 years. … (*Interruptions*)

The Women's Reservation Bill is a poll promise of the BJP. Yet, many leaders had to urge them to bring this Bill and to pass it. Our leader Kalaignar had written to the Prime Minister in 2014 to pass this Bill. Madam Sonia Gandhi wrote to the Prime Minister in 2017 requesting him to pass this Bill. Our Chief Minister M.K. Stalin wrote to the Prime Minister again in 2017 requesting and urging the Government to pass the Bill. He said, “The Bill which was moved to empower women’s voice in the Legislatures and Parliament of a great nation is struggling to succeed.” This is really disheartening.

The DMK even conducted a rally in Delhi from Mandi House to Jantar Mandar. We held a march and likeminded women leaders and women organisations participated in the rally. I myself have raised this issue of bringing the Reservation Bill many times in the Parliament. To many of my starred and unstarred questions, the Government’s reply was very consistent. They said that they have to involve all stakeholders, political parties, and then build a consensus before bringing the Bill. I would like to know what consensus was built and what discussions were held. This Bill was brought shrouded in secrecy. We did not know why this Session was called for. In the All-Party Leaders Meeting, there was no mention of this Bill. I do not know if any of the political party leaders were called for discussions and deliberations about bringing the Bill. Suddenly, the Bill popped up from our computer screens like a jack-in-the-box. Is this going to be

the way this Government is going to function? Like, ...* Is everything going to be a surprise like this?

In spite of all this, when the Prime Minister mentioned the Women's Reservation Bill and when Meghwal ji introduced the Bill, our minds were so full of happiness and the lines of Mahakavi Bharathi rang in my heart:

Pattangal aalvathum sattangal seivathum
Paarinil pengal nadatha vandhum
Ettum arivinil aanukkinge penn
Ilaippllai kaan endru kummiyadi

If I translate it, it says that we have come to make laws and to rule. Now, we are equals and let us cherish it. But then, like crores of my sisters who are waiting for this Bill to be passed, my heart also sank when you said that we had to wait for it. We do not know when actually the Bill is going to be implemented.

In 2010, when the Bill was brought by the UPA Government, there were no conditions. The Bill was to take immediate effect after the passage of the Bill. But Clause 5 of the Bill which was presented yesterday, clearly says that the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after the commencement of the first Constitution (Amendment) Act.

Our leader, Shri Muthuvel Karunanidhi Stalin, in his statement today has said that India is the only country which has not conducted decadal census, and if

* Expunged as ordered by the Chair.

delimitation is going to be based on population census, it will deprive and reduce the representation of the South Indian States. It will become like a sword hanging on our heads. He has said that he supports the Bill but he has asked this question: why should the implementation be connected to delimitation? He said that it is a strange drama staged by the BJP keeping in mind the 2024 elections. We cannot ignore the issue of representation of women from the backward classes either. He has emphasised that the doubts and the fear in the minds of the people of Tamil Nadu and the other South Indian States about our representation being reduced should be clarified. There is a fear in the minds of the people that our voices will be undermined. There should be a clear clarification about this because we do not want our representation to be reduced in any way. You said that we will not be underrepresented because our numbers will be the same and other States will get more representation. This has to continue as it is so that we get equal say in what is being discussed.

Hon. Speaker, Sir, the 17th Lok Sabha has passed forty Bills on an average every year without taking any opinion of women and also, without even hearing our voices in this House or the Rajya Sabha. India ranks 141 out of 193 countries in women's representation, falling behind our neighbours like Pakistan, Bangladesh, and Nepal. How long should we wait to see this Bill being implemented? It can be easily implemented in the coming Parliamentary elections. You should understand that this Bill is not a reservation but an act of removing bias and injustice. And if you do not remove the clause which says 'after delimitation', then there is no point of it. This inordinate delay can go on. You can

do the census and delimitation after ten years or twenty years or thirty years. It will continue and it will go on like that. Of course, some of our leaders are very worried about it.

If a man becomes a woman, then he will get qualities of a woman and he will become God. But when a woman becomes strong and brave, then it is not something which is acceptable and she becomes a devil. You believe in God. You believe in Hinduism. I would like to ask who is 'Kaali'. Is she not brave? Is she not strong? So, who are you insulting? Why cannot women be strong? Why cannot women be brave? There are several stories of strong women. Have women not participated in the Independence struggle? Have women not fought wars? Have you not seen strong leaders like Mrs. Indira Gandhi in this country? It is this kind of words which actually put fear in our hearts. … (*Interruptions*)

श्री अमित शाह: जयललिता !

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Yes, Jayalalithaa was a strong leader. I accept it. I have no hesitation in accepting that she was a very strong leader. … (*Interruptions*) We have leaders like Mayawati ji, Madam Sonia Gandhi, Mamata Banerjee ji, and one of the names that you often forget is Smt. Sushma Swaraj ji.

I would also like to quote what Shri Arun Jaitley ji said when the discussion on this Bill had happened in the Rajya Sabha. He said the argument that men can also ensure justice to women has been weakened. Underrepresentation and discrimination stare us in the face. Politics of tokenism must now evolve into politics of ideas. So, please stop this tokenism. And this Bill is called 'Naari Shakti Vandan Bill'.

Stop saluting us. We do not want to be saluted. We do not want to be put on a pedestal. We do not want to be worshipped. We do not want to be called mothers. We do not want to be your sisters or your wives. We want to be respected as equals. Let us get down from the pedestal and walk as equals. We have a right in this country as much as the right you have. This country belongs to us. This Parliament belongs to us. We have a right to be here.

Thank you.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Thank you, Speaker Sir. I stand here to support the Bill which has already been implemented by my Leader Mamata Banerjee in West Bengal. West Bengal is the only State in the country which has a female Chief Minister. I am sorry to say that inspite of Bharatiya Janata Party having their rule in 16 States, at the moment we do not have any women Chief minister there. We are actually delighted to witness the realisation of our leader Mamata Banerjee's vision where women's rightful entitlements are being recognised and initiatives are being taken to uphold the vision throughout the country. She passionately advocated for the implementation of women's reservation all her life, right from 1996 when it was tabled first. She was a member of the Committee headed by the then hon. Member Smt. Geeta Mukherjee trying to argue for the passing of the Bill, possibly keeping in mind the sage Swami Vivekananda who said,

"Na Janile Bharat lalona, E Bharat Jage na, Jage na"

It is the awakening of women of India which awakes India towards development. Bengal has boldly demonstrated and spearheaded a paradigm shift

leading the entire nation towards progress. Notably, we have more women legislators in our Assembly than anywhere else in the country. We have more women Ministers along with Mamata Banerjee. In the Lok Sabha right from 2014, we have been having more than 33 per cent reservation within the Party so to say without any forceful reservation being implemented through any Parliamentary procedure or through the Election Commission.

At the moment, in this august House of Lok Sabha, All India Trinamool Congress has nearly 40 per cent of women Members and also in the Rajya Sabha. This is what Smt. Mamata Banerjee has done. She is the only Chief Minister, like I said she has been implementing different programmes for empowering women, for empowering women towards education, for empowering women towards better health and towards better administrative positions. It is ironic to note that despite the seemingly professed affection towards women demonstrated by the NDA alliance today, just six months before the general elections, none of the 16 States ruled by them has a woman Chief minister. What took them so long? Why was not this Bill brought in 2014? Why just before the elections?

12.00 hrs

What are you trying to prove to the people? Is it like a gimmick? Is it like pulling out a rabbit from the hat and placing it before the country? The Government has raised many questions against themselves. Why is delimitation linked with reservation? It is a sinister move and it will have more Members in the Parliament from States which have failed in population control and poor women

empowerment. Rather than allocating large sums of money towards construction of structures and altering names of citizens and places, I would urge my colleagues in BJP to prioritise transformation of the mindset. It is imperative that they demonstrate genuine respect for women by aligning their actions with words. Moreover, it is crucial that they take appropriate action against all individuals who are harming and showing disrespect towards women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed and they were in Jantar Mantar but the perpetrator sits here today, Shri Brij Bhushan Singh, who has not been brought to book. So, if you are really interested in taking care of women towards betterment and progress, then why do you not take action against the perpetrators? Why do you not take action against those people who have been molesting and killing women in Hathras and in Unnao? Little Asifa was stoned to death in Jammu and the wrestlers, as I said, have been manhandled and molested.

I would also like to draw the attention of the House to the plight and the economic non-empowerment of the women labourers who have job cards. They hold the job cards all over the country through the National Rural Employment Guarantee Act. There are many women who work in that field but their payment has not been released yet. That is also insulting the women labourers. So are the researchers and the scientific workers of ISRO and IITs who have been denied their salaries. I have requested the hon. Minister in the last Session that they are not getting their stipends. The research workers and the scientists are not getting their stipends. The women researchers of IIT, Kharagpur are not getting their

salaries……. (*Interruptions*) Do not shout me down. It is a fact. Go and look into the books. The job card holders are not getting salaries. We know that. In our State, the job card holders who are poor labourers are not getting salaries. In IIT Kharagpur and ISRO, the women scientists, even after sending Chandrayaan, are not being paid their salaries. You have to respect women.… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, she is misleading the House.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप अभी रुक जाइए। आप इनके बाद बोलें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: I would like to quote the Bengali poet known all over the world. Vidrohi Kobi Nazrul *said – "Viswey Ja kichu mohan sristi chiro kalyankar, ardhek tar koriyache nari, ardhek tar nor."* The women work very hard in every field. They should be respected. None other than Shri Rabindranath Tagore said "*Jadi rakho pasey, sonkot e, songshoi e, sammoti dao jadi kothin o brote"* Just like my sister, Shrimati Kanimozhi was saying, we want equal opportunity, we want equal respect, we want to participate in nation-building as equals and not by looking down upon us because we are equals and we can perform provided we get support in education and in health care system.

What is the budgetary allocation for women's health? This Government should tell us and the whole House the extra budgetary allocation for reproductive

health of women in the country. The women and their children need it and not the men. So, women require this extra budgetary allocation for their reproductive health. Do this first before bringing the Bill. You have tabled the Bill. This Bill should have come in 2014 when you came to power if you are so much interested in the welfare of women and not before the elections like a gimmick and pulling out a rabbit from the hat.

Should I believe this Bill? Should I believe this House? Should I believe this Government or Should I believe their IT Cell Chief? He said in 2010, “Sonia ji is holding the nation to ransom just to fulfil her agenda to get the Women Reservation Bill through. Will her MPs stand up to her?”. Again, he said in 2010, “By pushing the Women Reservation Bill, Congress has created another constituency for itself. This one transcends caste and religion”. He again said, “When we should be talking and moving away from reservations of all kinds, we have a new wave demanding reservation for women”. These have been said by the IT Cell Chief of Bharatiya Janata Party… (*Interruptions*) He again said, “We, in certain States, have reservation for women in the local bodies. Has it helped the cause of women?”. He has questioned whether the women in the local bodies have helped the administration… (*Interruptions*)

He has always been maligning everybody in the Opposition. I can lay this on the Table. So, this is from the IT Cell Chief of Bharatiya Janata Party… (*Interruptions*) They are always looking down on women. We are equals. Women are equals. We actually are better than men, I should say, in many respects because we look after the home and children.

This Bill was first brought in 2009. It could not be passed at that time for whatever reasons. But My leader, Mamta Banerjee, has implemented 40 per cent reservation of seats for women in All India Trinamool Congress which we are representing here.

I would like to quote the famous boxer Cassius Clay, “Catch me if you can.” Catch Mamata Banerjee if you can and make it 40 per cent, not 33 per cent. We get that much respect in Trinamool Congress of being here in rich number and also in the State Assembly where the important portfolios like health, law, empowerment of women, and industry are being held by ladies. The horn is in the hand of a lady. Why you do not respect women and give them their dues, that is the question.

According to the report of NCRB, Kolkata registered the least number of rape cases out of 19 major cities in the country. Kolkata has the lowest crime rate against women… (*Interruptions*) This is the data of NCRB. I am not saying this. It shows that 56,000 cases have been there in Uttar Pradesh followed by Rajasthan where 40,000 molestation cases have been there and in Maharashtra, 39,000 and more cases have been there… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please conclude.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: So, we see molestation against women in all the States ruled by Bharatiya Janata Party… (*Interruptions*) It is only in West Bengal that women are safe. So, to keep us safe, this should be implemented and not treated as a gimmick. Thank you, Sir.

THE MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, every Member has a right to make his point in this august House. Every word spoken becomes part of the parliamentary document.

माननीय अध्यक्ष : इस विभाग के मंत्री स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

… (व्यवधान)

SHRI KIREN RIJIJU: Why are you so intolerant?… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात कहिए।

… (व्यवधान)

SHRI KIREN RIJIJU: Every word spoken is a part of parliamentary document. We should not mislead the House. When Dr. Kakoli Ghosh Dastidar was making statement, she made a very serious allegation, which is completely misleading. She said that the ISRO’s scientists are not getting regular salaries.

ISRO’s scientists themselves including some of the retired scientists who are regularly in touch and supporting ISRO have clearly said that every regular employee, including those who are pensioners, is getting regular salaries and pensions in time. The woman scientists of ISRO have made a special mention that the Prime Minister Shri Narendra Modi has given the best support to ISRO. They have made the country proud. So, the record must be straight.

12.10 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

[*]**SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA):** Sir, I extend my warm regards to Bharat Mata on behalf of all women. I got first opportunity to speak in Telugu in this New Parliament Building on Women's Reservation Bill which will make my Telugu Talli very happy. I thank our Lok Sabha leader Shri Midhun Reddy for giving me this opportunity.

Where women are respected, there reside goddesses and the society progresses. Dr Babasaheb Ambedkar also said that if you want to know whether a society or country has progressed you should see the status of women, rights of women. Only when we know the conditions in which women are living, we would understand the development of a country. We heartily thank our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi for bringing this Bill for discussion and passing. This Bill will be passed with the cooperation of all the Members.

Many members have spoken now. For 27 years this Bill could not be passed due to various factors and pressures. To make India Vikasit Bharat by 2047, hon. Prime Minister felt that women need to have a decisive role in policy making. Let it be Jhansi Lakshmi Bai, Sarojini Naidu, Jyotirao Phule, Kandukuri Veeresalingam or Rajyalakshmi, they have made so many efforts for the empowerment of women, to promote education amongst women and to eradicate superstitions in the society. They also promoted widow marriages. To provide support for women, so many leaders have made efforts.

---

[*] English translation of the Speech originally delivered in Telugu.

Though women are getting more opportunities, they are not getting opportunities in decision making. This is a matter of concern to all of us and Mother India will not be happy in such a situation. By ensuring women's participation in all decision-making processes, we can address many difficulties that are being faced by the women in our country. We need to provide enough opportunities for the women in the country. Only then we can ensure that whatever is required for the upliftment of women and girls can be done. Women constitute 50 per cent of our 140-crore population. When we look at the sex ratio of our country, it is 940 women to men. In some states it is 790 or less than 800. This is a matter of grave concern. This shows that people are not interested in giving birth to a daughter. This is due to lack of understanding, superstitions and other financial considerations. Our society is dominated by patriarchal system.

To address all these concerns, we will have to ensure equitable participation of women in policy making. This demand is there for long time.

I am proud to say that Andhra Pradesh is ahead of many States in respecting women. We are proposing 33 per cent reservation for women but in our State, our hon. Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy is maintaining 57 per cent women participation, which is more than 50 per cent of reservation in MPPs, MPTCs, ZPTCs and Corporation Chairmen posts. Even in nominated posts, women are getting more than 50 per cent, which is not there in any other State. This is how our Chief Minister is ensuring women's participation in administrative activities. Through schemes like Amma Vodi, Vidya Deevena, Vasati Deevena our Chief Minister is ensuring dignity of women by empowering them financially.

After marriage, a woman is called a housewife. Though they are housewives, either they live in the homes of their parents or in the homes of their in-laws, but they do not have their own house. Our leader Sri Jagan Mohan Reddy distributed 30 lakh pattas for women which provided own houses for these women. This step has justified their housewife status. Though women have the right to property, they do not have properties. There are lakhs of poor women who belong to most backward classes. They do not have right to property. By providing pattas to these women, they now own properties worth few lakhs. With these steps, women got self-confidence and financial freedom. Therefore, we whole heartedly support Women's Reservation Bill. The way we have reservations for SCs and STs, we need to provide reservation for women and OBCs.

There is a need to conduct census and the delimitation process to implement this Bill at the earliest because women constitute 50 per cent of our population. Though the women are in a position to claim 50 per cent reservation, we are happy that they are going to get 33 per cent reservation. I request that this Women's Reservation Bill be implemented by 2024 elections.

Thank you, Sir.

माननीय सभापति : श्रीमती भावना गवली – उपस्थित नहीं।

श्री राजीव रंजन सिंह।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर) : सभापति महोदय, महिला आरक्षण बिल, 2023 का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन करती है । हम समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास महिला सशक्तिकरण में है लेकिन सरकार जो बिल लाई है और जो इनकी मंशा है, वह मंशा महिलाओं

को संसद में या विधान सभाओं में आरक्षण देने की नहीं है, ये 26 पार्टियों का I.N.D.I.A बना है, उसका पैनिक रिएक्शन है । उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने यह बिल लाया है, इनकी कोई मंशा नहीं है । ये सबसे बड़ा चुनावी जुमला वर्ष 2024 के लिए है । ये इस बार महिलाओं को छलने का काम करना चाहते हैं । वर्ष 2014 में इन्होंने देश के बेरोजगारों को दो करोड़ रोजगार का वायदा करके छला । वर्ष 2014 में इन्होंने इस देश के गरीबों को यह कह कर छला कि काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये पहुंचाएंगे और इस बार देश की महिलाओं को छलना चाहते हैं ।

अगर इनकी मंशा होती तो वर्ष 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारम्भ कराया होता, इसलिए कि यह इस देश की मांग है । इस देश की आवश्यकता है कि आप जाति आधारित जनगणना कराएं । इस सदन में इसकी मांग होती रही और आपने इसे नहीं कराया, इसलिए कि आपको कराना नहीं है । गरीबों, अति पिछड़ों, पिछड़ों के प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आपने जनगणना नहीं करायी । अगर आपने उसे शुरू कराया होता तो अब तक तो जनगणना खत्म हो गयी होती और आज यह महिला आरक्षण बिल लागू हो गया होता । आज इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन आपकी मंशा नहीं है । आपने जो 334-ए का प्रावधान किया है, वह अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और वर्ष 2024 में भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे । लेकिन, महिलाएं, इस देश की जनता आपको जान गयी है कि आप भारी जुमलेबाज हैं, आपके किसी जुमले पर उनको भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं है । … (व्यवधान) बिहार से थोड़ा सीखिए । बिहार पहला राज्य है, जब वर्ष 2005 में सरकार बनी तो वर्ष 2006 में 50 प्रतिशत महिलाओं को हमने आरक्षण दिया । वर्ष 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और वर्ष 2016 में राज्य सरकार की सारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया, बस एक साल के अन्दर दिया । आपकी तरह साढ़े चार साल इंतजार नहीं करते रहे । … (व्यवधान) कल प्रधान मंत्री जी को सुन रहे थे । वे आंकड़े की बात कर रहे थे । आंकड़े तो आपके पास वर्ष 2019 से थे । आपने क्यों नहीं किया? जब बैंगलुरू में, पटना में, मुम्बई में मीटिंग हुई तो आपको घबराहट हो गयी और उस घबराहट में आप इसे लेकर आए । … (व्यवधान) द्विवेदी जी को उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मालूम है, अभी वे

कहानी सुना रहे थे । … (व्यवधान) बिहार की सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख ग्रामीण महिलाओं को 'जीविका' के माध्यम से सशक्त करने का काम किया है । … (व्यवधान) आप क्या बात करेंगे? … (व्यवधान) आपको महिला सशक्तिकरण से क्या मतलब है? … (व्यवधान) आपको महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है । … (व्यवधान) इस सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है, इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये बोल सकते हैं, कोई भी जुमलेबाजी ये कर सकते हैं । … (व्यवधान) आप कह रहे हैं 'नारी' और आप कह रहे हैं जातीय जनगणना । यह तो देश की मांग है । इस सदन में आज आप यह ऐलान कीजिए कि हम इस देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे । पर, आप नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि आप उसका विरोध करते हैं । आप आरक्षण के विरोधी हैं । वर्ष 2015 को याद कीजिए । उन्होंने क्या बोला था? आपके एक संस्थापक हैं, पीछे से एक संस्था, जो आपको गाइड करती है, उसने आपको क्या कहा था? … (व्यवधान) ये लोग बता रहे हैं कि …* है । … * जी थे । उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए । वाह भाई, आप क्या सरकार चला रहे हैं कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए । क्या आरक्षण आपकी कृपा से है? आरक्षण आपकी कृपा से नहीं है, बल्कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार है । इसलिए आप क्या बात करेंगे? आप आज जो यह महिला आरक्षण बिल लाये हैं, इसमें भी अति पिछड़ों को, पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए । उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए । हम लोगों ने किया है । हम लोगों ने बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में अति पिछड़ों को 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया है । हमने एकल पद पर आरक्षण दिया है । … (व्यवधान) ये क्या बात करेंगे, अभी ये प्रवचन दे रहे हैं । … (व्यवधान) उन्हें आरक्षण एकल पद पर मिला है । अभी बिहार की सरकार ने जब जाति आधारित गणना कराने का फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार उसके विरोध में खड़ी हो गयी और सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध कर रही है, यह इनका चेहरा है और ये नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं ।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

आप अपना वंदन कर रहे हैं। अपनी कुर्सी का वंदन कर रहे हैं। अपनी सत्ता का वंदन कर रहे हैं। … (व्यवधान) अपनी सत्ता को बचाने का वंदन आप कर रहे हैं। आप वादा करते हैं? आपने वर्ष 2014 में वादा किया और आपके गृह मंत्री जी ने कह दिया कि यह जुमला होता है, चुनाव में इसी तरह से चलता रहता है। आज आप नारी शक्ति वंदन की बात करेंगे? वर्ष 2024 के बाद कहिएगा कि अरे! यह तो जुमला होता है, ऐसे ही चुनाव में चलता है। यही आपका चरित्र है और यही आपकी मंशा है। इस देश की जनता आपके चेहरे को पहचान गई है, आपको पहचान गई है। जनता आपके झांसे में नहीं पड़ने वाली है। आपको वर्ष 2024 में सत्ता से मुक्त किया जाएगा, यह भय आपको सता रहा है। इसलिए यह बिल आप ले कर आए हैं। इससे कुछ नहीं होना है।

यही कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात बोल चुके हैं। प्लीज़ बैठ जाइए।

डॉ. राजश्री मल्लिक जी।

*__DR. RAJASHREE MALLICK (JAGATSINGHPUR):__ Sir, I wholeheartedly support the Women's Reservation Bill that was put up yesterday. You may be aware, Sir, that during the 1990’s three-tier Panchayati Raj Elections, the then Chief Minister of our State, Legendary Biju Patnaik, introduced 33 per cent reservation for women. Many people at that time opposed him as well. But today those assumptions made by the opposition members turned out to be false. Due to her courageous action and empowered capacity, a woman is now capable of successfully leading the Zilla Parishad as Chairman or Sarpanch.

When hon. Naveen Patnaik assumed power, he implemented 50 per cent reservation for women in the three-tier Panchayati Raj elections. Today you can

---

* English translation of the Speech originally delivered in Odia.

find more than 50 per cent of women representatives elected to this three-tier system. For the first time, Chief Minister Naveen Patnaik tabled the 33 per cent Reservation system and appealed to all the States and the Union Govt to support and ratify the 33 per cent Women's Reservation Bill on the floor of Lok Sabha. Because of his vision and idea of women's empowerment, five women were elected as Members of the House on behalf of the party. Today you can find that those women have gone much ahead.

Hon. Chief Minister Naveen Patnaik, when he came to power, instituted 50 per cent reservation for women in the three-tier Panchayati Raj elections. As a result, more than 50 per cent of the elected representatives in this three-tier system of governance in the State today are women. Chief Minister Naveen Patnaik initially introduced the 33 percent Women's Reservation scheme. On the floor of Lok Sabha, he made a request to all the States and the Union government to endorse and approve it. Five women were chosen to serve as Members of the House on behalf of the party because of his ideas and vision that empowered women. Today you can find that women have gone much ahead.

A country can progress when a woman develops. This vision of our hon. Chief Minister has become a reality today when we see women in various fields. Today women are not behind. Be it art, science, literature, philosophy, management, school, college, Ministries, etc., women are ruling the roost and proving their mettle.

Today a woman is seen with original idea, discipline, commitment and bravery. Today in the fields of politics or diplomacy, she is not lagging behind. With skill and knowledge, she has progressed a lot.

Today, we should take pride in our hon. Chief Minister Naveen Patnaik's vision and dream that came true with the introduction of this Women's Reservation Bill. So, I want to tell one thing to all the dignitaries present here that when a woman is empowered, the State is empowered and the country will march ahead.

Our hon. Chief Minister's decision of 2019 to allow our five female members to be in Parliament has been an inspiration to everybody. With the passage of the Women's Reservation Bill, our dream will be realized since this vision will be enacted as law at State and federal levels. I really support this Bill and thank all the Members. Let us join hands together in support of the Bill and contribute in the progress of our nation and the society at large.

Thank you.

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे महिला आरक्षण विधेयक 2023 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपके साथ-साथ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

सभापति महोदय, 19 सितंबर, 2023 को इतिहास लिखा गया और हम सभी लोगों को उस इतिहास का गवाह बनने का मौका मिला। जहां हम लोग पुरानी संसद भवन से निकल कर नए संसद भवन में आने पर गर्व महसूस करते हैं।

सभापति महोदय, हम नए सांसद जो वर्ष 2019 में चुनकर आए, हम लोगों की शुरुआत पुराने संसद भवन से हुई और हम सभी लोगों ने अपने कर्तव्यों की स्मरणीय यादें लेकर नए उमंग, नई उम्मीद

और नए कर्तव्यों का संकल्प लेकर नए संसद भवन में आने का काम किया। यहां आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन के पटल पर रखा गया, जिसकी मांग दशकों से थी। बहुजन समाज पार्टी ने कई बार और मैंने स्वयं भी कई बार महिला आरक्षण विधेयक को सदन के पटल पर रखने का काम किया है। मैं और मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय, यह बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की देन है। उनकी आधुनिक और प्रगतिशील सोच का नतीजा है कि जब संविधान की रचना की जा रही थी, तब बाबा साहब ने सर्व समाज की महिलाओं, जिनको पढ़ने-लिखने और धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, को संविधान में सम्मान देने का काम किया। बाबा साहब ने जहां हमको एक वोट का अधिकार दिया, वहीं मान्यवर कांशीराम साहब ने उस एक वोट की कीमत को दलित, शोषित, वंचित वर्गों को समझाने का काम किया। उस समय यह नारा भी चला कि 'कांशीराम राम तेरी नेक कमाई, तुने सोती कौम जगाई।'

महोदय, यह बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की ही देन है, जिसके कारण हम जैसे वंचित समाज की महिलाओं को लोक सभा और राज्य की विधानसभाओं में जाने का मौका मिला और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। यह बिल आने से देश के महिलाओं को नई ऊर्जा मिली है, महिलाओं को सम्मानित और खुद को सुरक्षित महसूस करने का मौका मिला है।

आज जहां 21वीं सदी में हम चांद पर उतरने का श्रेय महिला वैज्ञानिकों को देते हैं, वहीं सीमा सुरक्षा बल से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक और होम मेकर से लेकर किंग मेकर बनाने तक का श्रेय महिलाओं को जाता है। यह विधेयक महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह न केवल प्रेरित करता है, बल्कि रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। यह नेतृत्व कौशल विकसित करता है और साथ ही एक सहायक वातावरण तैयार करके, जहां महिलाएं आगे बढ़ सके, इसकी योजना बनाता है।

सभापति जी, इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कुछ मांगें हैं, जिसको हम चाहते हैं कि इस विधेयक में सम्मिलित किया जाए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी

कि एनएफएचएस-पांच के अनुसार भारत की जनसंख्या के प्रति 1000 पुरूष पर 1020 महिलाएं हैं। इसलिए लोक सभा व राज्य की विधानसभाओं में 33 परसेंट आरक्षण की बजाय 50 परसेंट आरक्षण दिया जाए। इस आरक्षण को राज्य सभा और राज्य की विधान परिषदों में लागू किया जाए। महिला आरक्षण में एससी-एसटी के साथ ओबीसी वर्ग के आरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जब तक समाज में असमानता रहेगी, तब तक आरक्षण को लागू करना अनिवार्य रहेगा और सामान्य सीट पर एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को मौका नहीं मिल पाएगा। साथ में बीएसपी की यह भी मांग है कि जातिगत जनगणना जो वर्ष 2021 में होने वाली थी, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिल सके। जो परिसीमन होने वाला है, परिसीमन और जातिगत जनगणना कराकर इस आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए।

अध्यक्ष जी, यह महिला आरक्षण विधेयक सिर्फ और सिर्फ सरकार का चुनावी मुद्दा न बन जाए, इसको ध्यान में रखा जाए और महिला आरक्षण विधेयक को 2024 के आम चुनाव में जल्द से जल्द लागू कराया जाए। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोपरि है। इन्हीं सब बातों के साथ, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (128th Amendment) Bill, 2023, on behalf of my party BRS and my leader, KCR *garu*.

चेयरमैन, यह बिल पहले जब वर्ष 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय देवगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे। वह बिल एक्सेप्ट नहीं हो पाया था। 12वीं लोक सभा में भी यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय स्वर्गीय वाजपेयी साहब प्रधान मंत्री थे, तब भी यह बिल पास नहीं हो पाया। 13वीं लोक सभा में भी यह बिल आया था और उस टाइम भी यह बिल पास नहीं हो पाया। 15वीं लोक सभा के समय में बिल राज्य सभा में पास हुआ था, लेकिन लोक सभा में आने पर वह बिल पास नहीं हुआ। यह बिल पांचवीं बार इधर आया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का दिल खोलकर समर्थन

करना चाहता हूं। विमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में बोलने से पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं। वर्ष 2014 में तेलंगाना बना था। जब तेलंगाना बना था, उस टाइम हमारे लीडर केसीआर साहब ने, तेलंगाना बनने के बाद, वहां गवर्नमेंट बनने के बाद, 2 जून, 2014 को वहां गवर्नमेंट बनी थी और इमीडिएटली 12 दिन के अन्दर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेम्बली ने वुमेन को 33 पर्सेंट रिजर्वेशन देने के लिए 14 जून, 2014 को गवर्नमेंट को यह रिजोल्यूशन भेजा। यह 10वां साल है। आप कम से कम इसको लाये हैं, यह ठीक है। जब हमारी गवर्नमेंट बन गई, तो महिलाओं को हमने हर तरीके से सपोर्ट किया। हमारे यहां सबसे ज्यादा रिजर्वेशन सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, एमपीपी, विलेजेज़ की महिलाओं को हमने अपनी स्टेट में 50 पर्सेंट रिजर्वेशन दिया। उनको म्युनिसिपलिटी में रिजर्वेशन दिया है और कॉरपोरेशन में भी रिजर्वेशन दिया है। इस तरह से भारत देश के किसी स्टेट में नहीं होगा। एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी में भी हमने 33 पर्सेंट रिजर्वेशन दिया है, बाकी सबमें 50 पर्सेंट रिजर्वेशन दिया है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। जब आपका बोलने का क्रम आए, तब आप अपनी बात रखें। अभी ऑनरेबल मेंबर को बोलने दीजिए।

… (Interruptions)… *

श्री नामा नागेश्वर राव : आपको क्यों दर्द हो रहा है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। महिलाओं के बारे में बात करते टाइम भी रोक रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: नागेश्वर राव जी, आप प्लीज अपनी बात कहिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : चेयरमैन साहब, कल जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें 334ए के बारे में हमारे कई साथियों ने उस पॉइंट को रेज़ किया था। उसमें सबसे ज्यादा सेंसस के बारे में बात की है, डीलिमिटेशन के बारे में बात की है। वर्ष 2024 में हम लोगों के इलेक्शन्स आ रहे हैं।

* Not recorded.

हम लोगों की डिमांड है कि 33 परसेंट का रिजर्वेशन इमिडिएटली इम्पलीमेंट किया जाए। कम से कम यह बता दें कि कब तक डिलिमिटेशन होगा, कब तक सेन्सस कम्पलीट करेंगे, उसका टाइम लिमिट बता दें। इसी के साथ, हम इस बिल को पूरा मदद कर रहे हैं।

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम): सभापति महोदय, आपने मुझे नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं जोरशोर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं। मेरी पार्टी के सारे सांसद और मेरी पार्टी के मुख्य नेता सीएम आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की तरफ से मैं इस बिल का स्वागत करती हूं। आज 75 सालों के बाद राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को मिलने जा रही है। मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि यह जो बिल है, यह महिलाओं का दिल है। दिल और दिमाग को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण लाने का फैसला लिया है।

सभापति जी, मैं बताना चाहती हूं कि महिलाओं के किस्मत का ताला मोदी जी ने खोला। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहल नहीं करते, इस बिल को विशेष सत्र में नहीं लाते तो मुझे लगता है कि हमारी महिलाएं वैसी की वैसी रह जातीं। वे ग्राम पंचायत और जिला परिषद में ही पड़ी रहतीं। इस निर्णय के कारण सारी महिलाओं को फायदा होगा। रमा जी यहां पर बैठी हुई हैं। यहां तक चुनकर आने के लिए महिलाओं को कितना कष्ट करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। कितना लड़ना पड़ता है। पहले पार्टी से लड़ो, उसके बाद क्षेत्र में लड़ो, उसके बाद काम के लिए लड़ो। ये सारी लड़ाइयां पार करते-करते मोदी जी ने हमें यहां तक पहुंचाया है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इसके लिए पहल की है। यह पहल वही कर सकता है जिसमें इसको करने की हिम्मत हो।

पिछले 27 सालों से इस विधेयक को हम पारित नहीं करा सके, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कारण, इस बिल को वैसा का वैसा ही पड़ा रहने दिया गया, उस पर धूल बैठ गई। उस धूल को साफ करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया। मैं इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, अभिनंदन करना चाहती हूं।

महिलाओं का योगदान केवल संसद में है या बाहर है, ऐसी बात नहीं है। महिलाओं का योगदान झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसी प्रकार से जीजा माता ने भी छत्रपति शिवाजी राजे को तैयार किया। उन्होंने उनके हाथ में राज्य की बागडोर देने के लिए प्रयास किया। इसी प्रकार से अहिल्या देवी होल्कर ने टेंपल बनाए, रास्ते बनाए, घाट बनाए। सावित्रीबाई फुले जो महाराष्ट्र से थीं, उन्होंने भी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए काम किया। जब वह महिलाओं को शिक्षा देने के लिए जाती थीं तो उन पर पथराव होते थे, ये सब झेलकर उन्होंने महिलाओं के लिए पहल की।

जो महिलाएं पुरातन काल में थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को पूरा समर्थन देने का काम हमारी सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। लास्ट टाइम महाराष्ट्र की प्रमिला दंडवते जी एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाईं थीं। हम देखते हैं कि महिलाओं का योगदान पहले क्या रहता था? वे नर्स बनें, वे टेलीफोन ऑपरेटर्स बनें, इस प्रकार से महिलाओं का योगदान होता था। उसके बाद में महिलाएं आगे बढ़ती गईं और उनको सपोर्ट मिलता गया। आज तो हम देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास हो रहा है।

कभी हमने यह भी सुना, महिला ऑपरेटर्स 100 प्रतिशत भर्ती की गई थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पटीशन हुई थी कि 100 परसेंट महिला ऑपरेटर्स कैसे हो सकते हैं? कोर्ट ने यह बोल कर छोड़ दिया था कि यह आरक्षण अभी जारी रहेगा, लेकिन आगे 100 परसेंट आरक्षण नहीं मिलेगा। हम 33 परसेंट में ही खुश हैं। मैं यह भी बोलना चाहती हूं कि महिलाओं का आरक्षण केवल इसमें ही न हो, मंत्रिमंडल में भी महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देना चाहिए क्योंकि हमें काम करना है। अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उसे एग्जीक्यूटिव रोल भी करना पड़ेगा। वह केवल आए, बैठे, बोले और चली जाए, ऐसा पहले होता था, आगे नहीं होगा। इस प्रकार से महिलाओं से सिर्फ चर्चा कराने का काम माननीय प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, चर्चा के बाद निर्णय लेने का काम पंत प्रधान जी ने किया है।

मैं यहां बताना चाहती हूं कि सब लोग इंडिया-इंडिया बोलते हैं, यह इंडिया नहीं है, यह दल दल का गठबंधन है, और दलदल में क्या होता है, कमल। ये जो प्रयास कर रहे हैं, अपनी खुद की दलदल में फंसने वाले हैं और कमल का फूल खिलने वाला है। इसे सपोर्ट देने का काम शिवसेना करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का आरक्षण हो या कोई भी विषय हो, हम पूरे जोर और समर्थन से अपनी बात रखना चाहेंगे। पारिवारिकवाद नहीं रहना चाहिए। कुछ पार्टियों को ऐसा लगता है कि उनके घर की महिला आ गई तो आरक्षण हो गया। ऐसा नहीं है कि हमारे घर की महिला आ गई तो आरक्षण हो गया। बड़ी पार्टी में जितने भी दल हैं, दलदल है, जो इकट्ठा बैठे हैं, उनको यही लगता है कि हमारे घर की महिला आ गई तो आरक्षण हो गया और महिला सक्षम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाओं को और सक्षम करना है तो यह बिल हमें पास करना होगा तब शर्तें आदि कुछ नहीं रहेंगी। हमें महिलाओं के लिए आगे बढ़ना है तो हमें एक साथ होकर इस बिल को पास करना होगा और इसी प्रकार से काम होना चाहिए।

सभापति जी, आप मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय और दीजिए। यहां हिना जी बैठी हैं, दीदी बैठी हैं और भी महिलाएं बैठी हैं, ये सब महिलाएं बहुत संघर्ष करके आई हैं। मैं भी बहुत संघर्ष करके यहां तक पहुंची हूं। मेरा कोई राजनैतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं यहां पांचवीं बार प्रतिनिधित्व कर रही हूं और अपने बलबूते पर कर रही हूं। मेरी पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है, बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन मेरा संघर्ष भी बहुत रहा है।

हमने जिस प्रकार से संघर्ष किया है और यहां प्रत्येक महिला संघर्ष करके आती है, मैं उस संघर्ष को सेल्यूट करते हुए, प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूं कि हम सबको मिलकर इस बिल को पास करना चाहिए और माननीय मोदी जी को सक्षम नेतृत्व से आगे बढ़ने का वर्ष 2024 में मौका देना चाहिए। इसके लिए हम इकट्ठा होकर इस बिल को पास करना चाहिए और इसका यहां शिव सेना पूरा समर्थन करती है। धन्यवाद।

[*]**SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR):** Thank you for this opportunity. On behalf of Congress party I am extremely happy to take part in this discussion and to support the Women's Reservation Bill. Without mentioning the name of Shri Rajiv Gandhi we cannot speak about the Women's Reservation Bill. But I am pained to say that the hon. Prime Minister of India does not have this magnanimity in mentioning his name. I think it would be apt to share my simple political experience here.

Twenty-five years ago, after completing my college education, I had returned to my native place. In my village, the Dalit people were not getting drinking water facilities. I believed at that tender age that if I were in power, I could have brought a change. We cannot even imagine about empowerment of women 25 years ago. Even though Smt. Indira Gandhi was at the helm of affairs and ruled this country, but empowering women was seen as an unwanted thing during that time. Where can I get power? I was just an ordinary young lady. I was not even having any political background. Moreover, I was from an ordinary family which was into farming.

I was brought up by an honest, determined and widowed mother who faced lots of difficulties in her life. I didn't know anyone from politics. In that situation, I craved for getting into power. I was told that there was an opportunity to get into politics and then to get power. By then, I was told by some that the local body elections were to be held within a time span of two months and my Panchayat Union was reserved for women. I was not aware of the 73rd and 74th amendment

---

[*] English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

to the Constitution by that time. Even though I belonged to a family which staunchly supported Congress party, I was not even aware of the fact that our great leader Shri Rajiv Gandhi was responsible for bringing such an amendment to the Constitution. But I grabbed that opportunity. But there was a strong resistance from my family because my family was very much afraid of politics and my entering politics. During that time, people believed that *Kaliyug* has come, as that constituency was reserved for women and only they can contest the elections. But to say it right, that so called *Kaliyug* has made me and 10 lakh women like me Panchayat leaders through the mission and vision of Hon. leader Shri Rajiv Gandhi and his historic amendment to the Constitution. We are so grateful and ever indebted to him. That journey of mine which started from Panchayat has now reached Parliament under the able support and guidance of *Annai* Smt. Sonia Gandhi.

In this situation, I want to say one thing. This is the same *Kaliyug*. We believed till yesterday that we can rightfully enter as women members into the State Legislative Assemblies and Parliament which is due to us. BJP may be the ruling party of the day and we are in the Opposition, but we are not against this Bill which is brought by them. Since the day this Government came to power with absolute majority, our revered leaders Madam Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi time and again have assured that if the Women's Reservation Bill was brought before the House, the Congress party would extend all support. But when this Bill was introduced in Lok Sabha yesterday, we lost our happiness.

Hon Prime Minister Shri Narendra Modi said that God selected him to bring this Bill in this House. After that, you are saying that the enumeration of population census should be carried out. You also say that delimitation exercise has to be carried out farther. In the name of God, how many untruths will you say? When INDIA alliance wins the 2024 General Elections, you will come to know that the untruths you have uttered have become outdated. Enumeration of census should have been carried out in 2021. Why have you not done that? As per the wishes of the people of this country, we want caste-based census to be undertaken by this Government. But you do not want to do that.

How can the census be carried out? Delimitation exercise is a more complicated one. Southern States including Tamil Nadu will see a reduction in the number of Lok Sabha constituencies due to the delimitation exercise. You want to see us in worries. Some say that the number of Lok Sabha constituencies of Tamil Nadu is likely to be reduced from 39 to 31. Is this the gift that Shri Narendra Modi and BJP want to give us after we kept our population under control? We work hard toiling day and night and pay the GST. Will you reduce the number of our Lok Sabha constituencies for paying timely GST? Do you want us to look at this patiently? Are we not supposed to take up the legal battle for restoring justice?

HON CHAIRPERSON: Conclude.

SUSHRI S. JOTHIMANI: Sir, just give me 30 seconds more.

Why are you linking up the more complicated delimitation exercise and enumeration of population census with the implementation of this Act. We are

aware that this is one among your several *jumlas*. INDIA coalition will definitely win the 2024 elections, and we assure that under the able guidance of *Annai* Smt. Sonia Gandhi we will implement this Women's Reservation Act. Thank you.

सुश्री सुनीता दुग्गल (**सिरसा**): धन्यवाद सभापति महोदय।

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

गणेश चतुर्थी पर हम सभी लोगों ने पुरानी लोक सभा के भवन को छोड़कर नए भवन के अंदर प्रवेश किया है। उसमें सबसे पहले जो बिल आया है, वह महिला आरक्षण पर आया है। इस बात के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं और माननीय प्रधान मंत्री जी को तहेदिल से धन्यवाद करती हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, यह एक ऐतिहासिक बिल है और भारत की महिलाएं आश्वस्त थीं कि यह काम अगर कोई कर सकता है, तो वह आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बीते कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी संकल्प किए हैं, उन सबको सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया है, तो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारी भाजपा सरकार ने किया है -'संकल्प से सिद्धि की ओर'।

<u>12.54 hrs</u> (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

… (व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि यह अमृतकाल की बेला है। इस अमृतकाल में हम जिस तरह से शनै: शनै: विकसित भारत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उसी की एक बानगी है कि यह बिल इस नई लोक सभा के अंदर प्रस्तुत हुआ है। सबसे पहले दुबे जी ने हमारी पार्टी की तरफ से इस पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि उनकी माताजी एम्स में एडमिट हैं, तो मैं भी यह कहना चाहती हूं कि मेरी माताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं।

वहां से, मुझे लगता है कि वह अपनी बेटी को बोलते हुए जरूर देख रही होंगी। उन्होंने नौ महीने तक मुझे अपनी कोख के अंदर रखा। हर माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है। एक माँ, जिसका

फ्लेश और ब्लड लड़के को भी उतना ही मिलता है, जितना लड़की को मिलता है। इसलिए, माँ प्रकृति ने आदमी या औरत में कोई भेदभाव नहीं किया है। मैं मेरी माताजी को तहेदिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया।

सभापति महोदय, हम लोग चार भाई-बहन हैं, दो बहनें और दो भाई हैं। लेकिन, हमें आज तक यह महसूस नहीं हुआ कि हम महिलाएं हैं या लड़की हैं तो किसी भी मामले में कमतर हो सकते हैं। जो आत्मविश्वास हमारी माताजी ने, क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है, हमारे अंदर पैदा किया, उसको हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी और हमारे संगठन ने समझा तथा परखा। वर्ष 2014 में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना अभिन्न अंग बनाया। मैं तहेदिल से इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, नारी को देवी की तरह पूजा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि –

"या देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद-प्रसीद देवी मातर्जगतोखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य।"

इस पूरे चराचर के अंदर माँ प्रकृति और माँ भगवती है, जो विराजमान होती है और बिना किसी भेदभाव के होती है। लेकिन, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आज हम उस मंत्र से यहां पहुंच गए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि –

'उसे हम पर तो देते हैं, मगर उड़ने नहीं देते,
हमारी बेटी बुलबुल है, मगर पिंजरे में रहती है।'

सभापति महोदय, हम कहां से कहां से कहां पहुंच गए हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जो यह बिल यहां पर प्रस्तुत हुआ है, आज रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुमित्रा महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, हमारी सुचेता कृपलानी जी, जो हरियाणा से ही थीं, कल्पना दत्ता जी और हमारी बहुत सी फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने बहुत मेहनत की, आज वे इस बात को लेकर बहुत सुकून महसूस कर रही होंगी कि आज यह बिल 27 सालों के बाद लोक सभा के अंदर आया है।

सभापति महोदय, मैं यहां मातंगिनी हाजरा जी का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगी। वर्ष 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया तो उन्होंने पाँच हजार गाँव वासियों को एकत्रित किया। जब अंग्रेजों ने देखा कि पाँच हजार भारतीय इस तरह से एकत्रित हो गए हैं तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। मातंगिनी हाजरा जी के हाथ में तिरंगा था। एक-एक करके उनको तीन गोलियां लगीं, वे जमीन पर गिर गईं, लेकिन उन्होंने तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। ऐसी-ऐसी हमारी फ्रीडम फाइटर्स थीं। हमारी जो महिला वीरांगनाएं हैं, उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम आज जो इस बिल को लेकर आए हैं, हमें, हर किसी को दलों से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से दूसरी बोलने वाली हूं। मुझे समय दिया गया है। आप मुझे बोलने दीजिए। यह महिलाओं का बिल है। अगर आप महिलाओं को ऐसे रोकेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत-सी महिलाओं को इसमें तकलीफ होगी। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. It is a question of allocation of time given to the Party. Please abide by it.

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने चिंता की है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने की है। बाबा साहब ने यह कहा था कि- "I measure the progress of a nation by degree of progress its women have achieved". अब अगर किसी ने चिंता की है तो हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। वर्ष 2007 में, जब वे गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने महिलाओं को फॉरेस्ट गार्ड के रूप में नियुक्त किया।

13.00 hrs

सभापति महोदय, वह ऐसा क्षेत्र है, जो पुरुष प्रधान क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वर्ष 2007 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को वहां पर नियुक्ति दी थी। अगर आज हम देखें, तो माननीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा की धरती से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया था। वर्ष 2014 में पूरे भारतवर्ष में सेक्स रेशियो 918 था, आज वर्ष 2022-23 में 933 हो गया है। हरियाणा में सेक्स रेशियो 871 था, आज वह 923 हो गया है। मैं कहना चाहती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, वे हृदय से जो बात कहते हैं, तो सभी लोग उसको हृदय से मानते भी हैं। मैं कहना चाहती हूं कि आज हमारे मंत्रिमंडल में 12 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की हैं। जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी थी, तो जो सबसे बड़े मंत्रालय हैं, वह चाहे विदेश मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय हो, वह महिलाओं के पास था। आज हमारी सरकार में सबसे ज्यादा महिला राज्यपाल हैं। "ये ओहदे ही हैं, जो बनाते हैं लफ़्ज-ए-बयां को खास, वरना कौन सुनता है, यहां औरत की बात"। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि यह जरूरी है कि ओहदे मिलने चाहिए, राजनीति में महिलाएं आगे आनी चाहिए, नहीं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता है। वर्ष 2004 में यूपीए सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सबसे पहले रखा था कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे। 6 मई, 2008 को उसको राज्य सभा में टेबल किया गया। उसके बाद 9 मई, 2008 को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। 17 दिसंबर, 2009 को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। फरवरी, 2010 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी। 9 मार्च, 2010 को राज्य सभा से 186/1 से पास किया गया था। मैं सबसे पहले यह पूछना चाहती हूं कि वह एक महानुभाव कौन था, जिसने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट किया था। मैं कहना चाहती हूं कि जब लोक सभा में यह बिल भेजा गया…(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट और चाहिए। …(व्यवधान) कम्युनिकेट किया गया, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया गया। इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। …(व्यवधान) मैं अंत में बस एक ही बात कहना चाहती हूं कि यह जो बिल लाया गया है, इसमें दलों से ऊपर उठकर सभी महिलाओं को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं दो लाइन की एक कविता बोलना चाहती हूं, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने गाया है कि –

"तू खुद की खोज में निकल, तू किसलिए हताश है,
तू चल तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है।
जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू,
ये बेड़ियां पिघला के, बना ले इनको शस्त्र तू,
तू खुद की खोज में निकल तू किसलिए हताश है,
तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।"

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, संसद एवं विधान सभा में महिला शक्ति की चर्चा कई दशकों से होती आ रही है, लेकिन आज यह शुभ घड़ी आ गई है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिम्मत दिखाई और सदन में इस बिल को प्रस्तुत कर दिया।

महोदय, जब हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने शुरू के ही दिनों में ही 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का संकल्प दिया और महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाने शुरू किए, तब से हमें विश्वास हो गया था कि राजनीति में महिलाओं को उचित सम्मान और उचित भागीदारी यही सरकार दे सकती है, क्योंकि इस तरह के साहसी कदम उठाने का जोखिम किसी के बस की बात नहीं थी। आखिर मोदी जी हैं, तो मुमकिन है, ये विचार ऐसे ही नहीं पैदा होता है । समाज में महिला और पुरुष नामक दो धुरी का जो मिलन है, वह समाज और राष्ट्र का निर्माण समान रूप से कर रही है। जब तक ये दोनों धुरी सामान्य रूप से नहीं चलेगी, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है । परंतु पुरुष का महत्व हमारे समाज में ज्यादा रहा है, लेकिन ये याद रखना होगा कि जहां स्त्री की पूजा होती है, वहां देवी-देवता वास करते हैं। जहां स्त्री की पूजा नहीं होती, वहां सम्मान नहीं होता है। वहां किए गए अच्छे कार्य भी नष्ट हो जाते हैं।

महोदय, यह हमारी भारतीय संस्कृति रही है और सरकार ने इस बिल के माध्यम से साबित कर दिया है कि संविधान में समानता, लिंग भेद से वंचित नहीं की जा सकती है। जहां लोग महिलाओं को देवी, देवता के रूप में पूजते हैं, काली, दुर्गा के रूप में पूजते हैं, वहीं महिलाओं का सम्मान होता है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने देश की महिलाओं के लिए काम किया है। जो बिल 27 साल से आंगन में लटका हुआ था, जो पटल पर रखा है, आज वह पास होने वाला है। मैं इस बिल का अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करती हूं और एनडीए की तरफ से भी समर्थन करती हूं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023. I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party in full support of this Bill. But there are a few points that I would like to raise to seek clarifications from the Government.

First of all, when we read the newspapers today morning, there were two major points which were covered by every newspaper. I do not want to go away from the spirit of the Bill. But I would like to say a few things which are critical in the nation today. Every newspaper today has complimented all the Governments which have brought this Bill at various times.

But there is another small piece of information on every front page of the newspapers today, which is about the incident that happened in Canada. So, I think, since this is a Special Session, and it is only for five days, I request the Government to debate a few topics which are equally relevant as today's issue. One is the Canadian issue. The second issue is this. Maharashtra, the State which I come from, वहां मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, लिंगायत आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण ये चारों आरक्षण हैं। महिला आरक्षण का मामला बहुत ही अच्छा है। मैं तहे दिल से उसका स्वागत करती हूं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Supriya Sule ji, come to the Bill, please.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Yes, Sir, I am just making an introduction about reservation. I am not asking for reservation; I am only saying this. मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम आरक्षण का भी हमारे यहां इश्यू चल रहा है। For that also, if the Government is open, we are very happy to debate it.

The other thing is this. Even regarding onion, inflation, there are many important issues. अगर अगले दो-तीन दिन में इनको ले लें तो हम सब सरकार का साथ देंगे।

Hon. Amit Shah ji, when he corrected one of his speakers, was very graceful and he said, “Why cannot men?”. भाई भी कर सकता है। जीं हां, सही बात है, लेकिन हर घर में ऐसे भाई नहीं होते हैं, जो बहन का अच्छा कल्याण देखते हैं। But that is very kind of him to say that. हर किसी की तकदीर इतनी अच्छी नहीं होती है। I always say that there are two wheels for a cycle to work. So, men are equally important. I would like to speak about the men who have influenced our lives as women. It was Dr. B.R. Ambedkar who gave us a right to vote. It was Shri Mahatma Phule who made it sure to give us education. A woman like me stands here educated and qualified because of what he contributed. I would say with extreme pride in my heart that the women’s policy was initiated in the Congress under the leadership of Shri Rajiv Gandhi. I am fortunate enough to say that it is my father Shri Sharad Pawar under whose leadership Maharashtra became the first State to implement 33 per cent reservation in panchayati raj institutions.

It is about the girl child. I mean Shrimati Sunita Duggal was talking about the issues that women have got. Fortunately, I was born in a very liberal home. There was only one condition that my father laid before my mother that if we have a child, whatever be the gender – it can be any gender, a girl or a boy – we are not going to have more than one child. I was born, and after that my father did family planning, not my mother. So, I really say that it was 50 years ago when nobody talked about *Beti Bachao, Beti Padhao*. I come from such a family. The same is applicable to my friend Shrimati Kanimozhi. Her mother also chose to

have only one child that her parents have had. So, we come from these families. Raja ji also has only one child: one daughter.

HON. CHAIRPERSON: Me too.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: You also have one child. This is a great House where we are blessed that for decades, we are genuinely liberal. We are not looking for one family; there are many families which have this kind of a liberal, modern thinking where we are not trapped into gender. This is a big social change that we have come across.

I would like to bring a few points to notice which, I think, Nishikant Dubey ji, the lead speaker, has spoken. I mean I do not get into gender. So, I am not affected whether he led the debate from the BJP. But I want to ask some clarifications from the BJP. These are my emotions. I felt that the BJP was taking anticipatory bail by making him lead from the front this time in the debate. The reason of the anticipatory bail is this. He was asking us all the questions which we have raised, or which have come in newspapers, or what people have said yesterday. Yesterday, he said that ये तो एससी, एसटी और ओबीसी की भी अब मांग करेंगे। क्यों नहीं मांग करेंगे? सरकार से ऑपोजिशन मांग नहीं करेगा तो कौन मांग करेगा? And why not? This is a great golden opportunity. You are 303. दे दीजिए। There is nothing wrong in it. Why is it that only we are asking for something? बड़ा दिल करके आप एससी, एसटी, ओबीसी को दे दीजिए। Let us make a constitutional amendment. It is a special session. Let us send a message to this nation that we are committed to SCs, STs, and OBCs. What is wrong with that? If they have a different view, BJP must clarify that stand.

Hon. Chairperson, Sir, another point which is very concerning with what he said is this. He talked about Smt. Geeta Mukherjee and Smt. Sushma Swaraj. He was absolutely right. I have high regards for Sushma ji in my heart. But he mentioned about another person and that is Brinda Karat ji. You remember that Brinda Karat ji also contributed substantially in the year 2010. There are a lot of people who did exceptionally well for bringing in this Bill. … (*Interruptions*) No, I am not yielding.

The history is that in 1996, Smt. Pramila Dandavate, from Maharashtra, got the first Private Members' Bill. I belong to the same State. Women like Mrinal Gore, Ahilya Rangnekar, Geeta Mukhejee, and Margaret Alva also contributed to the same. I was fortunate enough that Nitish Kumar ji, Girija Vyas, Sharad Pawar, Sushma Swaraj, Mamata Banerjee, Meira Kumar, and Uma Bharti ji, were the people who were involved in the Bill and who contributed to making sure that this Bill came to light.

Hon. Chairperson, Sir, I have to ask two short questions to the Government. … (*Interruptions*) I am concluding. I have just started. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please do not make disturbance.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I would like to ask a question to Nishikant ji on one more point. He said that we are on a side, INDIA is on a side of people who ran women down and spoke derogatorily. I would like to ask BJP one question. And this is my own case. This is not somebody else's case I am fighting for. BJP had a head in Maharashtra and he told me personally, on record,

on television that सुप्रिया सुले घर जाओ, खाना बनाओ, देश और कोई चला लेगा, हम लोग चला लेंगे I This is what the BJP's mindset is. Another Minister in their Cabinet had used a derogatory word against me. बीजेपी जवाब दो, जब हमारा कुछ कह रहा है तो इंडिया खराब है, आपके मंत्री पर्सनल कमेंट्स करते हैं on elected women Member. I did not even react. It was not even worth reacting. So, I did not raise it. But since he brought it up, I just wanted to square it that आप करें तो ठीक और हम करें तो गलती I Rule has to be same for everybody.

I just want to ask another question out of curiosity. I appreciate their entire speech and questions. Unless we have delimitation and census, we are not going to get it. This is what I have understood from this. Then, what is this special session? अभी नहीं करते तो दिसम्बर में कर लेते I We could have another discussion. There is drought in the country. Why this special session cannot discuss drought? … (*Interruptions*) It is a hoodwink thing. So, my question to this Government is this. The date of the next census is indeterminate. The date of the next delimitation is indeterminate. So, if the reservation which is dependent on two indeterminate dates, then how are we going to get it? There are no dates decided for census or delimitation. So, what is the date and timeline for this? I cannot understand this. I would like to quote what Mahatma Gandhi said when the Cripps Mission happened. Sir, you will remember it as you are such a learned Member. Mahatma Gandhi had mentioned when the Cripps Mission had happened and I quote:

"A post-dated cheque drawn from a crashing bank."

That is what I felt when I saw this. This is a post-dated cheque actually. Meghwal ji, made a … (*Interruptions*) Only last two comments. I would like to make very short points. Meghwal ji said that लोक सभा में आएगा राज्य सभा में नहीं आएगा, लेकिन राज्यों में आएगा। That is 303. They are 303 here and they are 200 in my State. जोड़-तोड़ के हर राज्य में उनकी सरकार है। So, why do they not do that? If we failed, we accept that we fail. So, then, what is the difference between you and us then? If they want to bring the change, what they say, they should apply it in the Rajya Sabha. We will support it. I am sure that the entire INDIA here will support it.

I would like to quote Pandit Jawaharlal Nehru's statement. You can tell the condition of the nation by looking at the status of the women in the States. My friend Dr. Kakoli Ghosh talked about the State and the crime against the women. I very humbly would like to tell them that what you are giving in decision making as power, we welcome it wholeheartedly but this House in one voice must say that crime against women has to stop. Today's Maharashtra data says that crime has gone up exponentially high. The way we are looking at decision making to empower the women, we must also talk about crime against women and the whole of Parliament must condemn it and make sure it comes down to zero.

I wholeheartedly congratulate the Government for bringing this Bill and I support the Bill.

Thank you, Sir.

श्रीमती डिम्पल यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, आपने मुझे नारी शक्ति वंदन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिलाओं तथा अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इसमें उनको भी आरक्षण दिया जाए।

सर, लोक सभा और विधान सभाओं में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं कि राज्य सभा और विधान परिषद में भी यह बिल लागू होगा या नहीं होगा? यह बिल 13 सालों से अटका हुआ है। भाजपा की सरकार को लगभग एक दशक पूरा होने जा रहा है। अब जब एक दशक पूरा होने जा रहा है, तब जाकर इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। आखिर अब क्यों? जब सरकार को 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब सरकार को महिलाओं की याद क्यों आई है?

सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा या नहीं लागू हो पाएगा? पांच राज्यों में विधान सभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें यह महिला विधेयक बिल लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी? इसके साथ यह भी सवाल है कि यह सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी या नहीं करवाएगी? इसी के साथ सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा? परिसीमन के आधार पर ही महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।

सर, प्रधान मंत्री जी ने सिद्धि की बात की थी। साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। असली साधना तभी होगी, जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे तथा जब हम इसमें ओबीसी की महिलाओं को इनक्लूड करेंगे, एससी/एसटी की महिलाओं को इनक्लूड करेंगे तथा अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इनक्लूड करेंगे, क्योंकि प्रधान मंत्री जी खुद तीन तलाक की बात करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। हम आज महिला विधेयक बिल की बात कर रहे हैं।

Sir, without revolution, evolution is not possible. And for evolution to take place in our country, it is very important that the OBC women get their reservation and SC/ST women get their reservation and the minority women also get their

reservation. मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है, वह इस पर श्रवण भी करेगी, मनन भी करेगी और इसका निदिध्यासन भी करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनके लिए आप समझ नहीं सकते हैं कि वे कितने पिछड़ेपन से गुजर रही हैं, चूँकि अभी निशिकांत दुबे जी ने कहा था कि वे महिलाओं का दर्द समझते हैं तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा।

सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मैम्बर को यह कहिए कि वे किसी भी सदस्य का नाम, जो सदन में मौजूद नहीं है, न लें और आने वाली कार्यवाहियों में भी न लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की मांग को दोहराते हुए कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं और एससी/एसटी की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं अति महत्वपूर्ण बिल 'महिला शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' जो कि नई संसद में पहला बिल पेश हुआ है, उस पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं हदृय से पूरे देश की माताओं-बहनों और नारी शक्ति की तरफ से धन्यवाद देती हूँ और वंदन करती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए आज यह भावना हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के हृदय में उत्पन्न हुई और उनके द्वारा निरंतर प्रगति के पथ पर चलने का जो प्रयास है, उसमें यह बिल एक मील का पत्थर साबित होगा।

जिस तरह से बाबा साहेब चाहते थे कि

मिटे विषम समरसता लय हो, भेद-भाव का द्वंद विलय हो
अरमानों के नए क्षितिज पर, नए मनुष्य का नया उदय हो।

इस भाव को लेते हुए इस विषमता की खाई को पाटने के लिए, जब हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष रथ के दो पहिए हैं, तो ये सक्षम पहिए एक-दूसरे को साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी गति को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सुषमा स्वराज जी को याद करना चाहूंगी, जो अब नहीं हैं, जिन्होंने वर्ष 2000 में जब इस बिल को पेश किया था, तो मैं साक्षी थी। अभी मुझसे पूर्व में जो वक्ता बोल कर गई हैं, उनकी पार्टी ने हाथ में लेकर उन पत्रों को फाड़ दिया था, बिल को फाड़ दिया था। कई भाई-बहन ऐसे हैं, जिन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को दोहराया है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कुछ बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भाई निशिकांत जी बोल रहे थे, तो उस समय एक प्रश्न उठाया गया कि महिला क्यों नहीं बोल रही है? जब रथ के दोनों पहिए बराबर हैं, दोनों की सक्षमता से रथ चलेगा और इस भाव को मद्दे नजर रखते हुए यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने यह कल्पना साकार की है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है, तो राखी केवल स्वयं की रक्षा के लिए नहीं होती है, बल्कि वह संपूर्ण समाज की रक्षा और अपने भाई की दीघार्यु और स्वास्थ्य की कामना करती है। हमें नारी की सक्षमता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाना है। नारी सक्षम हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। आज वर्तमान लोक सभा में, चाहे रक्षा मंत्रालय संभालना हो, वित्त मंत्रालय संभालना हो या स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय संभालना हो, सक्षम नारियां, सक्षम महिलाएं, सक्षम हमारी मंत्री बहनें, इस काम को संभाल रही हैं।

इसलिए कोई यह सोचे कि हमारी नारी सक्षम नहीं हैं, वे सक्षम, स्वस्थ, सार्थक, उन्नतिशील और भारतीय संस्कृति में पली-बढ़ी हैं। भारतीय संस्कृति में पली-बढ़ी नारी भारत के वर्चस्व और भारत की परंपराओं को समझती हैं। इस बिल में जिस तरह से तीनों जगहों, लोक सभा, राज्य विधान सभा, दिल्ली विधान सभा के कुछ स्थानों पर यथाशक्य एक तिहाई बहनों को आरक्षण देने का जो प्रावधान किया गया है, वह वाकई में प्रशंसनीय है। इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान ने जो सुरक्षा दी है, वह सुरक्षा बदस्तूर बनी रहे। मैं स्वयं अनुसूचित जाति की हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को केवल वोट बैंक नहीं समझा। जब 13वीं लोक सभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्रालय का दायित्व मुझे दिया, तो उस समय मुझे अनुभव था कि भारतीय जनता पार्टी महिलायों की सर्वोच्च उन्नति और सम्मान के प्रति काफी चिंतित है। उस चिंता को आज हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने सफल करके दिखाया है। अभी पश्चिम बंगाल से बहन बोल रही थी, लेकिन उसको यह नहीं पता कि आपके राज्य ने हमारे स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू ही नहीं किया, दिल्ली ने इसे लागू नहीं किया, ओडिशा ने इसे लागू नहीं किया और भारत सरकार की महिला समृद्धि योजनाओं को लागू करने में वे इतने पीछे क्यों हैं? यदि वे महिलाओं की प्रगति को देखना चाहते हैं, तो उस प्रगति में महिलाओं से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं को अक्षरश: लागू करना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन के ध्यान में लाना चाहूंगी कि 75 वर्ष में 65 सालों तक जिस पार्टी ने राज किया, उस पार्टी ने यह नहीं सोचा कि महिलाओं की प्रगति, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की प्रगति के लिए कोई कल्पना करे।

उस समय जब यह बात चल रही थी तो दिनकर जी ने भी यह बात लिखी थी कि-

अटका कहाँ स्वराज? बोल दिल्ली! तू क्या कहती है?
तू रानी बन गयी वेदना जनता क्यों सहती है?
सबके भाग्य दबा रखे हैं, किसने अपने कर में?
उतरी थी जो विभा, हुई बंदिनी बता किस घर में?

एक ही घर में वह विवाह बंदिनी हो गई। विभा बंदिनी होने से, आभा बंदिनी होने से भारत का समुचित विकास, भारत की नारी शक्ति की उपेक्षा जिस तरह से की गई, जिस तरह से उसे कमजोर समझा, चूंकि गीतों में भी गाया है-

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है,
जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वर्तमान लोक सभा में सक्षमता का परिचय दे रही है और जब यह आरक्षण लागू होगा तो हमारे पिछड़े वर्ग की, अनुसूचित जाति, जनजाति की बहनें आज भी जिस सक्षमता से खड़ी हैं, और भी अधिक सक्षमता से खड़ी होंगी। उन्हें अवसर मिलेगा तो नि:संदेह प्रगति होगी, महिला शक्ति उन्नत होगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो घरबार संभालती है, जो संतान को जन्म देती है और जो संतान की परवरिश करती है, सेवा-सुश्रुषा करती है, वह देश और राष्ट्र की सेवा में भी पीछे रहने वाली नहीं है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती जसकौर मीना: आज हम 82 बहनें इस संसद में हैं और 82 की 82 बहनें सक्षमता से संसद की कार्यवाही में भागीदार बनती हैं। आप यह मान लीजिए कि 75 वर्ष की इस लम्बी अवधि में जब हम उस भवन में थे, उस भवन में जब बैठे थे तो हम केवल इशारों से गिनते थे कि इतनी बहनें बैठी हैं। अब नई संसद में यह उद्घोष हो चुका है और आज इस बिल पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को पूरा करते हुए जब यह कानून लागू होगा तो इस संसद के अंदर 181 बहनें बैठेंगी। 181 बहनों का नेतृत्व इस देश की महिला शक्ति को मिलेगा, उनकी सक्षमता को मिलेगा, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्नति के लिए मिलेगा और इस राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनकर वे भविष्य में चार चांद लगाएंगी। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती जसकौर मीना : महोदय, अंत में, हमारी पुरानी 60 साल की सरकार को देखकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि-

कुछ तो दूर देखता उड़कर,
हे कितना विस्तृत आकाश,
हे कपोत कुछ ही दानों पर करते क्यों जीवन का नाश?
बस मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Thank you, Sir. it is not every day that history is created. It is, indeed, a historic moment that in the new Parliament Building, the first legislation that has come before the House is the much-awaited Women Reservation Bill.

If this is history, our hon. Chief Minister and supremo of Biju Janata Dal, Shri Naveen Patnaik is the historian. The Bill has seen the light of the day only after the initiative of Shri Naveen Patnaik ji. Our hon. Chief Minister has always worked for women reservation. In November, 2018, Odisha Assembly adopted a resolution proposing 33 per cent of reservation for women in Parliament and Assemblies. Pursuing further, in the same year, he had written to 22 Chief Ministers for their support on this issue. Then he had also written to the hon. Prime Minister on this issue.

He strongly believes that our society and our country will move forward with much greater momentum only if half of our population, our mothers and daughters, have a role in the highest decision-making bodies. Ours is the first political party to fill one third women candidates in 2019 Lok Sabha election. Every third BJD MP in this House is a woman.

We are promoting political representation of women through Mission Shakti. Shrimati Pramila Bisoyi, an hon. Member of this House is an example as to how Mission Shakti is helping women to rise to this sacred sanctum. Odisha

has reserved 50 per cent of seats for women in panchayats and urban local bodies. In the last local body election, 55 per cent of those who have won are women.

Sir, in local bodies, we are pioneers in giving 50 per cent reservation to women. From Malkangiri to Sundargarh and from Baripada to Puri, you will see thousands and thousands of women leaders at the local level, leading women's empowerment politically, economically, and socially.

This bold, aspirational, and new Odisha has voices which must be heard across Panchayats, Legislative Assemblies and Parliament.

Sir, my leadership believes that along with political empowerment, we must have an action plan for social and economic empowerment. Historic initiatives like Mission Shakti, Biju Swasthya Kalyan Yojana, Mamata Yojana launched for tribal girls, etc., have to transform the lives of several girls and women. Odisha's model of empowering women through self-help groups has been widely appreciated.

In order to bolster potential entrepreneurs, Odisha Government has launched the Startup Odisha initiative. This is to ensure that at least 33 per cent of new startups have women as founders and co-founders.

Sir, we appreciate the hon. Prime Minister and the Union Government for bringing this Bill. However, we also suggest that this Bill should be implemented from the coming 2024 elections instead of waiting for the delimitation.

Sir from 2019 onwards BJD had taken a strong decision to give 33 percent tickets to women candidates for Lok Sabha election. This will continue till this bill becomes an Act. But we want this Act to be implemented in 2024 itself as we have been waiting for the last 75 years.

Sir, this agenda perhaps is for 2029. We will have census. The census should be published and this will be followed by delimitation exercise which itself is a humongous task, and then only the Act will come into force.

There is a saying in Odia which roughly translated means waiting for a ship at the airport.

Sir, we have waited for 75 years and this Bill has come just to tell us to please wait for another six years. This is not done. Let us not make a joke or a political gimmick. The women empowerment is not a joke. BJD has taken a stand to give 33 per cent of tickets in Lok Sabha to women from 2019 onwards and we will continue to do so till this becomes an Act. But we demand that this historic legislation should be implemented from the next election without any further delay. This will correct the historical mistakes we have done to women during the last 75 years.

Secondly, I appreciate that this Bill has a provision for SC and ST women within the reservation, but this Bill has ignored the OBCs. How can you ignore the interest of 42 per cent of our population? The Government of Odisha has initiated OBC census and it is committed to take all sorts of measures for their empowerment and development. The Union Government should take necessary

---

* English translation of this part of the Speech was originally delivered in Odia.

steps in the interest of OBCs in this Bill. This will help the Bill to become more inclusive.

Sir, beyond the provisions of the Bill, we need to create an ecosystem for political, economic and social empowerment of women. Political parties, society and everybody has a stake to ensure that a safe ecosystem is put in place for women. Look at how women who are in public life are being trolled online mercilessly. We need to do something in that direction also. Legislative provisions with a safe and sustainable political and social ecosystem will definitely go a long way. I thank the hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji for his leadership and consistent efforts for the cause of women.

With these worlds, I conclude with great hope that my suggestions would be given due consideration. Thank you, Sir. Jai Jagannatha.

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़) : जय जोहार, जय भारत।

माननीय सभापति महोदय, मुझे हार्दिक खुशी हो रही है कि मैं महिला आरक्षण बिल पर अपना पक्ष रख पा रही हूँ।

महोदय, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नित नये आयाम गढ़ रही है। यह इन्हीं की कार्यप्रणाली का परिणाम है कि सदन में महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत हो सका है। आदरणीय महोदय जी की सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' के नारे को सार्थक सिद्ध करते हुए, देश की आधी आबादी को उसका पूरा हक देने की पहल की है। आप लोगों ने कभी सोचा कि देश की आबादी का आधा हिस्सा होने के बाद भी महिलाओं को राज्य विधान सभाओं में, लोक सभा एवं राज्य सभा में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है।

इसका कारण ये विपक्षी दल रहे हैं। इन्होंने कभी भी महिलाओं के हित में सोचा ही नहीं। ये लोग हमेशा महिला हक विरोधी, किसान विरोधी और गरीब विरोधी रहे हैं। ये लोग महिलाओं के पक्षधर होने का नाटक बखूबी करते हैं और अपने ही सहयोगियों से विरोध भी करवाते हैं। आज इस गरिमामयी अवसर पर मैं भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं और साथ ही बधाई भी देती हूं। पिछले कई दशकों से आधी आबादी को उसका हक दिलाने में पूर्व की सरकारें सफल नहीं रहीं। उस नारी शक्ति के हक और हुकूक के सपनों को आपने इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कराया। मैं एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी हूं, जिसको लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में पहुंचने का अवसर मिला है और आधी आबादी को उसका पूरा हक मिलने के इस पावन अवसर का गवाह बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं फिर से प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति बारंबार आभार प्रकट करती हूं।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हम लोग मां शक्ति की अराधना करते हैं, तो एक श्लोक पढ़ते हैं –

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ॥

यह श्लोक केवल कागजों में रह गया है, लेकिन आज प्रधान मंत्री जी ने नारी शक्ति को एकदम साबित कर दिया है, साकार कर दिया है।

महोदय, मैं अंत में यह भी कहना चाहती हूं –

पुरुष प्रधान समाज रहा, रूढ़ियों के अनुरूप
परिवर्तन नियम जीवन का, बदल रहा हर रूप,
जो सदियों से सहती आई लोक-शर्म और लाज,
साहस आज बांधकर, थामे हाथों में औजार,
आज उड़ान भरी है, ये देखो सपनों को साकार,
धीरे-धीरे रूप को अपने दे रही वो आकार,
वर्षों से जिस हक की थी वह हकदार,
उन सपनों को पंख लगा रही हमारी मोदी सरकार।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम्।

DR. T. SUMATHY (*A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairperson Sir, I thank you profusely for having given me this opportunity to speak on this historic Women Reservation Bill, 2023.

Sir, as our Party DMK, and our dynamic Leader Chief Minister MK Stalin Thalapathy have been the torch bearers of women empowerment, I rise here to support the Bill. While I appreciate the initiative, I do have my own fear, anxieties and doubts.

Sir, I opened up to read the Bill with huge expectations that it would lead women to enter into untrodden paths which so far they have not experienced, and also into uncharted territories. But again, I ended up with huge disappointment. It is like a post-dated cheque in a bankrupt bank. Also, it is like a betrothal with so many ifs and buts, and we are not sure when it is going to culminate into a Utopian marriage.

Sir, the Women Reservation Bill is a matter of right, and not a matter of favour. With all humility and dignity, I would like to profess before the House through you that reservation is our birth right. While the DMK Party welcomes and supports this Bill, I would also like to remind you that women are empowered not only in this millennial era, but back in Sangam era, about 3,500 years ago, on our Tamil soil we have seen that empowered women are celebrated. For example, a Poetess named Avvaiyar wrote a manual for wise living for all of them. Our rich Tamil Epics, Manimekalai and Silappathikaram have spoken about the rights and power of women invariably through all walks of life.

Sir, Tamil Nadu is a role-model State. This Bill has been perpetuated and put forth by so many political parties but the seed of it was sown in the soil of Tamil Nadu by the Dravadian Movement. The maneuver had been nurtured by the Dravadian trio – Thanthai Periyar, Perarignar Anna, Muththamizh Arignar Kalaignar, and also by our hon. Chief Minister.

Sir, with our flagship programmes, in the Dravdian model, all the schemes and reservations were entirely for the women folk. Grant of equal rights to women in family property according to an Act of 1989 and 50 per cent reservation in local bodies representation are examples of this. The present Government has implemented 40 per cent reservation for women in Government jobs.

The Tamil Nadu Government has provided fare-free travel for women in government-run city buses. The icing on the cake is that under the *Kalaignar Magalir Urimai Thogai scheme,* recently Rs.1,000 is provided for 1,06,50,000 eligible women for the first time in the history of India and the world.

Our Chief Minister has stated that an empowered woman plays a stellar role in a nation's growth based on people's wealth, and in Tamil Nadu. She stands second to none. While many Members from the treasury benches have been profusely admiring women, it was our Bharathiyar who said, *Acchamum, Madamum Naykattu Vendumam, Namakku Vendam,* which means, "Don't attribute timidity and foolishness to women." We want equal rights, and we want the right to keep our heads high and walk wherever we are on this earth as human beings with wonderful, cherished rights to live in this world.

The history of the Bill has been traced here by all the other Members who have elaborated on it. After a tumultuous journey, it has been tabled here today. I thought, finally, we see the light of day, but not even the end of the tunnel. I am able to see it because of the loopholes in the Bill. It is being introduced here in Hindi. While introducing it, our hon. Prime Minister and the hon. Law Minister called it, *Nari Shakti Vandan Adhiniyam*. What is this Hindi title, Sir? Why not in English? When you speak of *Naari Shakti, why* didn't invite our hon. Madam President be invited to the inauguration of the new Parliament building?

There is no special quota for physically challenged women in the Bill. That is another grave loophole in it. The inclusivity of the queer community is a totally grey area in it. Also, why is there no reservation in Rajya Sabha or State Legislative Council? Section 5 of the Bill states that the provisions will come into effect after the delimitation exercise. This is a utopian promise. Delimitation is scheduled for 2026. The Census for 2021 never took place. It is so clear that this is the electoral agenda for the ruling government, just a carrot before the rabbit to lure women voters. But I believe that the women of India will be very intelligent to decipher what is right and wrong, and they will definitely vote for the INDIA alliance.

To conclude, I would like to quote Dr. Ambedkar. On November 4, 1948, having introduced the draft Report in the Constituent Assembly, with modifications, Dr. Ambedkar stated: "The Constitution was workable, flexible, and strong enough to hold the country together both in peacetime and in wartime. Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new Constitution, the reason

will not be that we had a bad Constitution. What we will have to say is that man was vile."

So, I would, through you, humbly request the Law Minister that whenever they amend our Constitution, they should remember this statement of our dear Dr. Ambedkar that it should reap the fruits quickly so as to enjoy them in time.

Sir, this Bill should be implemented as quickly as possible before the commencement of the 2024 elections. If implemented soon, it may be a small step for women but a giant leap for womankind. Thank you very much, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Very good. Thank you very much.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): सभापति महोदय, धन्यवाद।

संसद के इस विशेष सत्र में जहाँ एक ओर आज हम अपने 96 वर्ष पुराने संसद भवन को, जिसे अब संविधान सदन कहा जाएगा, पीछे छोड़कर नये संसद भवन में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर, इस नये संसद भवन में अपने पहले ही दिन हमने विधायी कार्य की शुरुआत करते हुए नारी शक्ति को सही मायनों में नमन करने का काम किया है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आयी है, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूँ। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। यह सही मायने में हम सबके लिए एक अविस्मरणीय पल है।

सभापति महोदय, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और 142 करोड़ की आबादी में से 70 करोड़ की आबादी महिलाओं की है लेकिन बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी लोक सभा में महिलाओं की भागीदारी महज 14 प्रतिशत की है और राज्य सभा में केवल 11 प्रतिशत है । इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन की एक रिसर्च हुई, जिसमें निचले सदन में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा 193 देशों में आंकड़ा देखा गया, जिसमें भारत की रेंकिंग 149वीं है और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भी 146 देशों में भारत की रेंकिंग 135वीं है । यह हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग आंकड़ा नहीं है और सरकार के तमाम आर्थिक सर्वेक्षण भी बताते हैं कि हमारे राज्य की विधान सभाओं से लेकर हमारे देश की लोक सभा में, देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है इसलिए महिला आरक्षण विधेयक समय की जरूरत है । आज यह बहुत दुख की बात है कि छोटे-छोटे देश जैसे यूएई, क्यूबा, रवांडा, मैक्सिको, निकारागुआ, न्यूजीलैंड आदि वे देश हैं, जिन्होंने 50 प्रतिशत तक महिलाओं की भागीदारी अपनी डेमोक्रेसी में सुनिश्चित कर ली है और भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम अपने यहां महिलाओं की 50 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, इसलिए यह इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि पालिटिकल पॉवर सोशल प्रोग्रेस की चाबी है । हमने देखा है कि हमने अर्बन लोकल बॉडीज में, पंचायती राज संस्थाओं में जब अपने देश की महिलाओं को भागीदारी दी, तो हमारी महिलाओं ने

ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय कार्य करके दिखलाया है । जहां तक मोदी जी की सरकार की बात है, हमारी सरकार विमेन लेड गवर्नमेंट की बात करती है यानी कि महिलाएं आगे बढ़कर कैसे देश का नेतृत्व करें, इसकी बात हम करते हैं इसलिए यह जरूरी है कि हमारे देश में जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग है, हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में और इंस्टीट्यूशन्स में महिलाओं को लाना बहुत जरूरी है और इस दृष्टि से यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

सभापति जी, यह बिल नया नहीं है, यह बिल पुराना है और इसका इतिहास 27 वर्ष लम्बा है । हमने देखा कि वर्ष 1996 में सबसे पहले श्री देवेगौड़ा जी सरकार इस बिल को लेकर आई थी और उसके बाद तमाम पार्टीज और सरकारों ने प्रयास किया, वर्ष 1997, 1998, 1999 और 2003 में वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार ने प्रयास किया । वर्ष 2008 और 2010 में यूपीए की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सरकार इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में सफल नहीं हुई । सभी सरकारों ने विफलता का ही सामना किया, इस दृष्टि से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब इस विधेयक को लेकर आई है, तो हम इसे सफलता के अंजाम तक पहुंचाने का काम इस बार करके दिखाएंगे । मैंने विपक्ष के साथियों की चर्चाओं को सुना और उसमें कई विषय सामने आए । इनमें एक महत्वपूर्ण विषय इस बिल के तहत था कि पिछड़े समाज से आने वाली महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हो । यह विषय गंभीर है और यह जो चिंता है, वह नाजायज भी नहीं है और इस मांग को गलत भी ठहराया जा सकता क्योंकि महिलाएं एक जैसा ग्रुप, होमोजीनियस ग्रुप नहीं हैं, महिलाएं हेट्रोजीनियस ग्रुप हैं क्योंकि महिलाएं अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग-अलग इनकम लेवल से आती हैं, अलग-अलग जाति, धर्म, सम्प्रदाय से आती हैं और उनकी जो लिट्रेसी लेवल्स, शिक्षा का स्तर होता है, वह भी अलग-अलग होता है । हमारी जो सामाजिक संरचना है, उसमें पिछड़े, वंचित समाज से आने वाली महिलाएं हैं, निश्चित रूप से वे हाशिये पर हैं और उनके लिए चुनौतियां अलग किस्म की हैं और चुनौतियां अधिक भी हैं इसलिए उनके लिए ज्यादा संरक्षण की मांग भी समय-समय पर होती रही है । हमारी सरकार के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों को साधने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले पिछले नौ वर्षों में हुए हैं और

सहयोगी दल की नेता होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पिछड़े, वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में प्रधान मंत्री जी जरूर कुछ न कुछ विचार कर रहे होंगे और इसे सुनिश्चित करने के लिए भी कोई काम जरूर करेंगे। जब मैं अपने कांग्रेस के साथियों को इस विषय को उठाते हुए सुन रही थी, तब मेरे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा जागी कि वर्ष 2008 में आप राज्य सभा में इस बिल को लेकर आए थे और वर्ष 2010 में आपने इसे पारित कराया था। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ओबीसी कोटे का जो विषय उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्य सभा में बिल को पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, यह विषय आपके संज्ञान में, आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था और यदि उस समय यह आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार यह बिल लाई है और यह बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल है तो क्या यह नया-नया ख्याल अभी-अभी आया है।

हालांकि, यह विषय महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगी, लेकिन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। हम अपने आवरण बार-बार बदल नहीं सकते हैं, यह मैं जरूर कहना चाहती हूं।

सभापति जी, हमारे कई साथियों ने बार-बार कहा कि वर्ष 2024 का चुनाव है। सर्वदलीय बैठक में मैं सुन रही थी, हमारे कई सारे साथी महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग कर रहे थे। अब मैं एक अजीब स्थिति देखती हूं। अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते कि आप तो महिला विरोधी हैं, आप तो महिला की चिंता नहीं करते, आप महिला के प्रति वादा पूरा नहीं करते और जब सरकार बिल ले आई है तो आप कहते हैं कि वर्ष 2024 के चुनावों को देखकर आप यह बिल लेकर आए हैं, चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। हर फैसला संसद में बैठ कर किसी चुनाव को देख कर नहीं किया जा सकता। आज हमने एक अच्छी शुरुआत की है, हमने एक अच्छी पहल की है। अगर इसे हमें अंजाम तक पहुंचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि वर्ष 2011 के आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं। वर्ष 2001 में हमारी सेन्सस हुई। उसके बाद एक लम्बे समय तक हम सेन्सस की एक्सरसाइज नहीं करवा पाए। बीच में कोविड की भी बाधाएं रहीं। हमारे पास जनगणना के जो आंकड़े हैं, वे बेहद पुराने हैं और उसके आधार पर हम

डीलिमिटेशन नहीं कर सकते या हम एडिशनल सीट्स जेनरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और हमें नए सेन्सस एक्सरसाइज के साथ डीलिमिटेशन करते हुए एडिशनल सीट्स क्रिएट करनी होंगी, जिसमें हमारी और जो महिलाएं हैं, उनको इसमें आने का मौका मिले। हम आज जो परेशान हैं कि लोक सभा में महज 14 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है, वह बढ़े। हमारे राज्यों के सदन में भी बढ़े, तो आपकी जो चिंता है, चुनावों को लेकर जो आपकी चिंता है तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि मैं देख रही हूं कि एक है 'सेन्स ऑफ द हाउस', सभी लोगों का मूड भी है कि यह बिल पारित हो, तो इसमें किन्तु-परन्तु नहीं होना चाहिए। यह बिल स्वागतयोग्य है। इसको लेकर आपकी कुछ आपत्तियां हो सकती हैं, सरकार उसका ध्यान भी रखेगी। हम खुले दिल के साथ इसे स्वीकार करते हुए बिना किसी किन्तु-परन्तु के, इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे लेकर जाएं। सेन्सस को लेकर और डीलिमिटेशन को लेकर आपकी जो बाकी सारी चिंताएं हैं, उसे त्याग दीजिए, सरकार इसकी चिंता कर लेगी।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। इस बिल को लाने के लिए मैं पुन: अपने देश के प्रधान मंत्री, हमारी सरकार के मुखिया माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): शुक्रिया, चेयरमैन साहब । ख्वातीन के हुकूक और ख्वातीन की सियासी इदारों में भागीदारी, यह जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई नई चीज नहीं है । बाबा-ए-कौम जनाब शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला की सरपनाही में जब हम शख्सी राज के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ थे, तो आज़ादी से कोई तीन साल पहले, हमने खुद मुख्तार जम्मू-कश्मीर की कल्पना की, जिसमें महाराजा का एक कांस्टीट्यूशनल हेड के तहत एक रोल रखने का एहतमाम था । हमने एक मंशूर जारी की, मैनिफेस्टो जारी की, जो जम्मू-कश्मीर के लिए 1944 का के 'नया कश्मीर' नाम से मशहूर है । उसमें हमने अलग से एक वूमेन चार्टर की बात की । ख्वातीन के जो सियासी हुकूक हैं, समाजी हुकूक हैं, उनके बारे में बात हुई और उस पर हम वायदेबन्द रहे । हमने सियासी इदारों में ख्वातीन की तर्जुमानी, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की ।

ज़नाब, उसके बाद जब हमने 1957 में अपना आईन बनाया, जम्मू-कश्मीर का जो आईन है, उसमें भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की पॉलिसी है, उसमें भी सेक्शन-22 में हमने जम्मू-कश्मीर की ख्वातीन के लिए सियासी इदारों में भागीदारी, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात की और पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल अफेयर्स में इक्विलिटी की बात की ।

5 अगस्त, 2019 को गैर-आईनी तरीके से जम्मू-कश्मीर के दो हिस्से किए गए, जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस से महरूम किया गया, लेकिन हमारा मानना है कि जम्मू-कश्मीर का 1957 का जो आईन है, वह बिल्कुल अभी भी अमल है । आपने उसको डिसएबल किया, लेकिन उसमें जो रोड मैप है, उसमें जो कल्पनाएं की गयी हैं, वे सारी मौजूद हैं ।

अब जम्मू-कश्मीर का जो इसमें रोल है, मैं उसके बारे में बात करूंगा । जब हम इस बिल पर आते हैं तो किसी ने कहा है –

मस्त हूं महक से उस गुल की,
जो किसी बाग में खिला ही नहीं ।

जनाब, ये एक ऐसा इबादा दे रहे हैं, जिसकी कहीं पर कोई नामो-निशान ही नहीं, एक सराब है क्योंकि बिल का जो ताना-बाना है, इसमें दिया गया है कि आगे हमारे पास जो अगले सेन्सस की फिगर्स होंगे, उसके बाद जो डीलिमिटेशन्स होंगी, उसके बाद यह ऑपरेशनलाइज्ड होगा । उसका

मतलब है कि यह 15 साल मोकर होगा। इसका महज़ मक़सद सियासी लाभ हासिल करना है। मुझे यकीन है कि देश की आवाम इस फ़रेब को समझती है, इस सराब को समझती है। वह यह है इस बिल में ख्वातीन के लिए फिल वक्त, आगे वाले दिनों में कुछ रखा ही नहीं है। क्योंकि कोई वजह नहीं है कि हम मोकर करें, 2024 तक इसका लाभ। अगर हमने एक वादा किया है और अगर हम यह कहते हैं कि कमिटिड हैं, जो पार्टिसिपेशन है, जो रिप्रेज़ेंटेशन है, अण्डर रिप्रेज़ेंटिड है, ख्वातीन तो उसके लिए अगर हम वायदेबंद हैं, अगर इनके ख़ुलूस होता तो उस ख़ुलूस में ये मॉकर 12 साल या 15 सालों के लिए नहीं करते। बल्कि जो आने वाले इलेक्शन हैं, उसमें ये इसकी कोई व्यवस्था करते।

जनाब, अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे। जो पहला प्रयास हुआ, 64वां कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसमें इनका विरोध रहा है, बीजेपी का विरोध रहा है। ख़्वातीन को हकूक देने का जो अमल था, उसकी जो शुरूआत की गई थी, तो पहला धचका इन्होंने ही उसमें दिया था। अब ये जो दे रहे हैं, 10 सालों से ये सत्ता में हैं, तो 10 सालों से तो कोई प्रयास नहीं हुआ है। पहले वर्ष 2010 में राज्य सभा में पास हुआ था तो आज यह लाने का मकसद अगर यह है कि नहीं हम फ़ौरन को ख़्वातीन को, जो अण्डर रिप्रेज़ेंटिड हैं, उनको वह हक़ दें तो क्या मतलब है कि आप इसको मोकर कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं और 12-13 सालों तक डेफर करें और फिर भी यह है कि कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद कैसे होगा, कैसे शेपअप होगा, जो भी हुकूक की आप बात कर रहे हैं।

जनाब, जो प्रोविज़ंस अमेण्ड किए जा रहे हैं, उसमें लिखा है कि as nearly, as may be. इसका क्या मतलब है? यह एंबिग्यूटी क्यों है? जो आप करना चाहते हैं, जो ख्वाब बेचना चाहते हैं, आज अपनी दुकान से आप कर्ज़ लाने वाला जो सौदा है, वह आज बेचना चाहते हैं जो कि दुकान में मौजूद ही नहीं है। As nearly, as may be possible की क्या बात है? और डेफर करने की क्या बात है? जनाब कुल-मिला कर बिल का जो आइडिया है विमन एम्पॉवरमेंट है –, विमन पार्टिसिपेशन है, विमन रिप्रेज़ेंटेशन है। अगर वह आइडिया है, तो उसके साथ हम हैं। लेकिन जिस तरीके से यह फ्रेम किया जा रहा है, जिस तरीके से यह सराब दिया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं।

जनाब एक और बात है कि अगर यह हम मानते हैं कि एक जेंडर जस्टिस की जो हमारी कल्पना है, हमारी कमिटमेंट का हिस्सा है, तो फिर क्यों ओबीसी को डिपराइव्ड रखा जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को डिपराइव्ड रखा जा रहा है? अगर इसमें आपका यह प्रयास है, संजीदा कोशिश है कि सोसाइटी के सेगमेंट में जो अनरिप्रेज़ेंटिड और अण्डर रिप्रेजेंटिड है, सबको हम इसमें इंसाफ़ दें। मुकम्मल इंसाफ देने का प्रयास क्यों नहीं है?

जनाब, माइनॉरिटीज़ जो तकरीबन 14 पर्सेंट हैं, अब आप देखिए कि ख्वातीन और माइनॉरिटीज़ की क्या रिप्रेज़ेंटेशन हाउस में है? क्या उसके लिए डिवाइस नहीं है? जनाब, अब जम्मू-कश्मीर की बात देखिए। वर्ष 2026 में आपका प्रोग्राम सारे मुल्क में डीलिमिटेशन का प्रोग्राम था। लेकिन वहां क्यों प्रीपोन किया? और वहां क्यों पहले ही डीलिमिटेशन किया, जिसकी कि कोई इजाज़त आईन तौर नहीं थी। जनाब, इनके मन में संजीदगी होती और इनके मन में नेक नियती होती तो फिर ये सारे जो मामले हैं, ये नहीं करते।

जनाब, आइडिया ऑफ बिल को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसका जो कंसेप्ट हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा यह मुतालबा होगा कि इसमें जो अभी आपने बाहर रखे हैं, ओबीसी रखे हैं, माइनॉरिटीज़ रखे हैं, उनको इसमें शामिल कीजिए। ताकि एक ही बार यह प्रयास हो, 75 साल अब लंबा अरसा है, अगर 75 सालों के बाद भी हम मॉइनॉरिटीज़ विमन के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा।

[جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): شکریہ چیرمین صاحب، خواتین کے حقوق اور خواتین کی سیاسی اداروں میں بھاگیداری، یہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بابائے قوم، جناب شیرِ کشمیر شیخ عبداللہ کی سربراہی میں جب ہم شخصی راج کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھے، تو آزادی سے کئی تین سال پہلے، ہم نے خود مختار جموں کشمیر کی کلپنا کی، جس میں مہاراجہ کا ایک کانسٹی ٹیوشنل ہیڈ کے تحت ایک رول رکھنے کا احتمام تھا، ہم نے ایک منشور جاری کیا، مینی فیسٹو جاری کیا جو جموں کشمیر کا نیا کشمیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ہم نے ایک الگ سے 1944کے لئے وومین چارٹر کی بات کی۔ خواتین کے سیاسی حقوق ہیں، سماجی حقوق ہے، ان کے بارے میں بات ہوئی اور اس پر ہم وعدہ بند رہے ۔ ہم نے سیاسی اداروں میں خواتین کی ترجمانی، ان کے ریپریزینٹیشن کی بات کی۔

میں اپنا آئین بنایا، جموں کشمیر کا جو 1957جناب، اس کے بعد جب ہم نے میں 22آئین ہے، اس میں بھی ڈائریکٹیو پرنسپل کی بات ہے، اس میں بھی سیکشن ہم نے جموں کشمیر کی خواتین کے لئے سیاسی اداروں میں بھاگیداری، ان کے ریپریزینٹیشن کی بات کی اور پالیٹِکس میں پالیٹیکل افیئرس میں برابری کی بات کی۔

کو غیر آئینی طریقے سے جموں کشمیر کے دو حصے کئیے 2019 اگست، 5 گئے، جموں کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس سے محروم کیا گیا، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ کا آئین ہے وہ ابھی بھی عمل میں ہے۔ آپ نے اس کو 1957جموں کشمیر کا جو ڈِس ابیل کیا، لیکن اس میں جو روڈ میپ ہے، اس میں جو کلپنائیں کی گئیں ہیں وہ ساری موجود ہے۔

اب جموں کشمیر کا جو اس میں رول ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گا، جب ہم اس بِل پر آتے ہیں، تو کسی نے کہا ہے

مست ہوں میں مہک سے اس گل کی

جو کسی باغ میں کھلا ہی نہیں

جناب، یہ ایک ایسا ابادہ دے رہے ہیں کہ جس کا کہیں پر کوئی نام و نشان ہی نہیں، ایک سراب ہے کیونکہ بل کا جو تانا بانہ ہے، اس میں دیا گیا ہے کہ آگے ہمارے پاس جو اگلے سینس کی فیگر ہوگی، اس کے بعد جو ڈیلِمیٹیشن ہوگی، اس کا 15کے بعد یہ آپریشنلائنڈڈ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سال موخر ہوگا۔ محض مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ملک کی عوام اس فریب کو سمجھتی ہے، اس سراب کو سمجھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بِل میں خواتین کے لئے فل وقت آنے والے دنوں میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو موخر کریں۔ اگر ہم نے ایک وعدہ کیا 2024 تک اس کا فائدہ، ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیٹِڈ ہیں، جا پارٹیسِپیشنس ہیں، جو ریپریزینٹیشنس ہیں، انڈر ریپریزینٹِڈ ہیں، خواتین تو اس کے لئے اگر ہم وعدہ بند ہیں اگر ان کو سال موخر نہیں کرتے، بلکہ جو آنے 12-15خلوص ہوتا تو اس خلوص میں یہ والے الیکشن ہیں، اس میں اس کا کوئی انتظام کرتے۔

جناب، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں گے، جو پہلی کوشش ہوئی، 64واں کانسٹی ٹیوشنل امینڈ مینٹ کا، اس میں ایک وِرودھ رہا ہے، بی-جے-پی- کا وِرودھ رہا ہے۔ خواتین کو حقوق دینے کا جو عمل تھا، اس کی جو شروعات کی گئی تھی، تو پہلا سالوں سے یہ حکومت میں 10دھچکہ انہوں نے ہی دیا تھا۔ اب یہ جو دے رہی ہیں، میں راجیہ سبھا میں 2010 سالوں سے کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ پہلے سال 10ہیں، تو پاس ہوا تھا تو آج یہ لانے کا مقصد اگر یہ ہے کہ نہیں کہ ہم فوراً خواتین کو جو

انڈر ریپریزینٹڈ ہیں، ان کو یہ حق دیں تو کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو موخر کر سالوں تک ڈیفر کریں اور پھر بھی یہ ہے 12-13رہے ہیں، ڈیفر کر رہے ہیں اور کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد کیسے ہوگا، کیسے شیپ اپ ہوگا، جو بھی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں۔

جناب، جو پرووِیزنس امینڈ کئیے جا رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ As nearly, as may be. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایمبیگیوٹی کیوں ہے؟ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو خواب بیچنا چاہتے ہیں، آج اپنی دوکان سے آپ قرض لانے والا جو سودہ ہے، وہ آج بیچنا چاہتے ہیں جو کہ دوکان میں موجود ہی نہیں ہے۔ as nearly, as may be possible کی کیا بات ہے؟ اور ڈیفر کرنے کی کیا بات ہے؟ جناب، کل ملا کر بِل کا جو آئیڈیا ہے، وومین ایمپاورمینٹ ہے، وومین پارٹِیسِپیشن ہے، وومین رریپریزینٹیشن ہے۔ اگر وہ آئیڈیا ہے، تو اس کے ساتھ ہم ہیں۔ لیکن جس طریقے سے یہ فریم کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ سراب دیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔

جناب، ایک اور بات ہے کہ اگر یہ ہم مانے ہیں کہ ایک جینڈر جسٹس کی جو ہماری کلپنا ہے، ہماری کمِٹمینٹ کا حصہ ہے، توپھر کیوں او۔بی۔سی۔ کو ڈیپرائیوڈ رکھا جا رہا ہے، مائینوریٹیز کو ڈیپرائیوڈ رکھا جا رہا ہے؟ اگر اس میں آپ کی یہ کوشش ہے، سنجیدہ کوشش ہے کہ سوسائیٹی کے سیگمینٹ میں جو ان ریپریزینٹِڈ اور انڈر ریپرزینٹِڈ ہے، سب کو ہم اس میں انصاف دیں۔ مکمل انصاف دینے کی کوشش کیوں نہیں ہے؟

جناب، ماینیوریٹیز جو تقریباً 14 فیصد ہیں، اب آپ دیکھئیے کہ خواتین اور مائیونوریٹیز کی کیا ریپریزینٹیشن ہاؤس میں ہے؟ کیا اس کے لئے ڈیوائس نہیں ہے؟ جناب، اب جموں کشمیر کی بات دیکھئے۔ سال 2026 میں آپ کا پروگرام

سارے ملک میں ڈیلیمِٹیشن کا پروگرام تھا۔ لیکن وہاں کیوں پریپون کیا؟ اور وہاں کیوں پہلے ہی ڈیلیمِٹیشن، جس کیا، جس کی کہ کوئی اجازت آئینی طور پر نہیں تھی۔ جناب، ان کے دل میں سنجیدگی ہوتی اور ان کے دل میں نیک نیتی ہوتی تو پھر یہ سارے جو معاملے ہیں، یہ نہیں کرتے۔

جناب، آئیڈیا آف بِل کو ہم سپورٹ کررہے ہیں، اس کا جو کونسیپٹ ہے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ اس میں جو ابھی آپ نے باہر رکھے ہیں، او۔بی۔سی۔ رکھے ہیں، ماینیوریٹیز رکھے ہیں، ان کو اس میں شامل کیجیئے۔ تاکہ ایک ہی بار یہ کوشش ہے، اگر 75 سال اب لمبا عرصہ ہے، 75 سالوں کے بعد بھی ہم مائینوریٹیز وومین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔]

[*] **SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR):** Hon. Chairman Sir. I am unable to support this Bill completely. The stand of the Communist Party of India is to give 50 percent reservation to women instead of 33 per cent. Even though we have such a stand, we are unable to support this Bill as nobody knows when this Act will come into force. Enumeration of census was not done in the year 2021. This Government does not know when will they go for census. Secondly the next census will be enumerated in the year 2031. After the 2024 Elections, there is no assurance whether this will be implemented before the year 2029. If that is the case, as per this Act, we can presume that only after the year 2034 the Government may be thinking to implementing this Act. The ruling BJP dispensation is not actually intending to give more powers to women. They have a mindset to keep our women in slavery. A mindset prevailed in the past which wanted that if husband dies, his wife should also be put on the funeral pyre. As an indirect furtherance of this unwanted evil, this Government is trying to delay the implementation of this Act indefinitely instead of implementing it in the year 2024. There is one more important issue. This reservation is only for 15 years. After 15 years, nobody knows what will happen to this reservation. It will not be extended further. These lacunae show that the BJP Government is not wholeheartedly intended or inclined to give women their rightful share in power. Such gaps are to be filled. I want to urge that this Bill should be amended in such a way making it suitable for implementation from the year 2024 itself.

14.02 hrs (Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

---

[*] English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

Further it should not have a fixed period of 15 years. If you bring such limitation, it means that you are not ready to extend women their rightful share in power. So that fixed time period should be removed from this Bill. The Communist Party of India has been tirelessly demanding this women's reservation for so long. In Lok Sabha the then Member of Parliament Smt. Geetha Mukherjee had tried so much by uniting several MPs to bring women's reservation a reality. Such is the tradition of CPI. On behalf of CPI, I urge that this Act should be implemented in 2024. The limitations are to be withdrawn. With this I conclude. Thank you.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me the opportunity to speak on a very important Bill on women's reservation in this new Parliament House. I am proud to be in this House with the blessings of our hon. Chief Minister, Shri YS Jagan Mohan Reddy garu. Also, I want to quote the golden words of our Bharat Ratna Shri Babasaheb Ambedkar garu. "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved."

Hon. Chairperson, Sir, today, we gather here to engage in a thoughtful and critical discussion on a pivotal piece of legislation that has the potential to reshape the landscape of Indian politics and enhance the representation of women in our democratic institutions. So, we have convened here to deliberate upon the Constitution Bill, 2023, a proposal that seeks to reserve one-third of all seats for women in Lok Sabha and in State Legislative Assemblies.

This Bill carries the promise of empowering women, fostering inclusivity, and advancing the cause of gender equality in our political sphere. It is a

testament to our commitment to strengthening democracy for ensuring that every voice, regardless of gender, is not only heard but also represented at the highest echelons of governance. We fondly call India as Bharat Mata, the national personification of India.

We fondly call our country as Bharat Mata. Since we are emotionally connected with the country, Bharat Mata, we give the same to our women in this country. I am very happy to say this in this august House.

As we embark on this journey of exploration and analysis, let us consider the highlights of this Bill as also the key issues and debates that surround it.

Sir, now, I would like to bring to the notice of this august House some of the positive points.

The first is empowerment of women. The foremost positive aspect of this Bill is its potential to empower women in India. Despite the Constitutional promise of gender equality, women have been underrepresented in our legislative bodies. So, this reservation policy acknowledges the need for affirmative action to uplift the status of women and provide them with equal opportunities in politics.

The second is resource allocation. Studies have shown that political reservation for women leads to increase in the allocation of resources to issues closely linked to women's concerns. This means that women in power are more likely to address issues like healthcare, education and sanitation which are often neglected.

The third is increased participation of women. This Bill will encourage more women to actively participate in politics. It sends a powerful message to women

across the nation that their voices and perspectives are valuable and deserve representation at the highest levels of the Government.

The fourth is equitable representation of women. Rotating reserved seats ensures equitable representation of women from different regions enhancing the inclusivity of diverse perspectives. This Bill will help diversify the backgrounds, experiences and perspectives of our elected officials resulting in more inclusive and balanced decision-making.

Hon. Chairperson, Sir, now, I would make some suggestions from YSR Congress party under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister, Shri. YS. Jagan Mohan Reddygaru.

The first is to review the Clause. The provision in Clause 5, to insert Article 330A(1), that the reservation shall cease to exist 15 years after the commencement of the Act, should be reviewed periodically. The review process should involve the stakeholders and experts to assess the impact and need for continuation.

The second is to include OBCs. The original recommendation of the Joint Committee of 1996 Bill suggested extending reservations to women from Other Backward Classes once the Constitution allowed for OBCs reservation. So, this recommendation could be reconsidered for greater inclusivity.

The third is to prevent proxy candidates. To prevent proxy candidates and ensure genuine representation of women in the Lok Sabha and the Legislative Assemblies, it is crucial to establish stringent eligibility criteria. So, the candidates

should be required to actively engage in campaign activities, participate in debates, and contribute substantively to constituency related discussions.

The fourth is to extend the reservation to Upper Houses. While the Bill focuses on the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies, consideration should be given to extending reservations to the Rajya Sabha and the Legislative Councils for a comprehensive approach to gender equality in politics.

Hon. Chairperson, Sir, now I would like to bring some of the salient features which the Government of Andhra Pradesh under the leadership of Shri YS Jagan Mohan Reddygaru is implementing in the State of Andhra Pradesh as on today.

The Government of Andhra Pradesh has set a commendable example in promoting gender inclusivity in governance. Under the leadership of our hon. Chief Minister ji, 50 per cent of the nominated seats have been allocated to women. So, this step demonstrates a commitment to women's active participation in decision-making, setting a progressive precedent for the rest of the nation to follow.

The Government of Andhra Pradesh led by Shri YS Jagan Mohan Reddygaru has provided 50 per cent reservation for women in local bodies and nominated posts. We have a woman as the Home Minister of our State – Shrimati Taneti Vanithagaru.

The Government of Andhra Pradesh has passed the Disha Bill for the safety and security of women. This Bill provides for punishment in a time bound manner to those who harass and molest women. This Bill is pending with the Central Government.

Before I conclude hon. Chairperson Sir, I would like to state that the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill is a landmark legislation that has the potential to transform our political landscape by empowering women and promoting their active participation in decision-making. It is a significant step towards achieving true gender equality in our democracy. However, it is essential that we continue to refine and improve this legislation to ensure its effectiveness and inclusivity. We must also recognise that this Bill is just one piece of the puzzle in achieving gender equality. It must be complemented by broader reforms such as electoral reforms and measures to combat criminalization in politics. So, let us embrace this historic moment and work together to create a more inclusive and representative democracy for the benefit of all citizens regardless of their gender.

With these few suggestions, I thank you very much hon. Chairperson Sir. I support this Bill on behalf of the YSR Congress Party under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy Garu. Thank you very much. Jai Hind!

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज का दिन शायद इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा 128वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है और मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हम कल तक सोचते थे कि उस पुरानी विरासत से इस नये सदन में आएंगे। नयी लोक सभा या इस भवन को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उस दिन हम अपने पुराने लोक सभा भवन, जो आज संविधान सदन हो गया। यह लोक सभा है, पूरी दुनिया में इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि जिस दिन 19 सितम्बर, 2023 को भारत के चुने हुए जनप्रतिनिधि और सरकार के सभी सदस्य उस सदन में गए, सदन के पहले दिन के पहले सत्र में सरकार का जो पहला बिजनेस था, सरकार एक विधेयक लेकर आयी। भारत की 50 प्रतिशत महिलाओं की आबादी करीब 65 करोड़ होगी। सरकार लोक सभा और राज्य की विधान सभाओं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की विधान सभा में 33 परसेंट महिला आरक्षण विधेयक लेकर आयी है। निश्चित रूप से यह अपने आप में एक इतिहास बन रहा है। इस सदन में 19 सितम्बर को सबसे पहला बिल लाने का काम मातृत्व शक्ति, जिसकी हम वंदना की बात करते हैं, उनके लिए बिल लेकर आए हैं।

आज क्यों आवश्यकता है? आज आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि 27 वर्षों के इतिहास की बात है। यह लगातार कहा जा रहा है कि 2010 में राज्य सभा में यह बिल पारित हो गया था। उनके नेता कह रहे हैं कि किन्हीं कारणों से यह बिल पारित नहीं हो सका। आखिर वह कारण कौन बताएगा? वर्ष 2008 में राज्य सभा में यह बिल प्रस्तुत हुआ और स्टैन्डिंग कमेटी में वर्ष 2009 में गया। वर्ष 2010 में जब यह विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां इस बिल को समर्थन देकर इसे पारित कराने का काम किया। उस समय हम विपक्ष में थे। लोक सभा में भी पारित हुआ। उस समय भी सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हैं।

इसके बावजूद कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। आज कहा जा रहा है कि किन्हीं कारणों से पास नहीं हो सका। केवल एक कारण है, उस समय भी पूरा देश देख रहा था कि क्यों नहीं बिल पास हुआ। कांग्रेस के सहयोगी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, लालू प्रसाद की आरजेडी हो, उस समय किस तरह से मंत्री के हाथ से बिल को छीन लिया तो क्या इससे बिल पास नहीं होता? कांग्रेस की यूपीए के सामने एक तरफ सत्ता का सवाल था। अगर उनका सिद्धांत होता या मन में कोई कमिटमेंट होता या सरकार का निश्चय होता कि हमको महिलाओं को आरक्षण देना है तो निश्चित रूप से यह बिल पास होता। लेकिन उनको लग रहा था कि अगर यह बिल पास होगा तो हमारे सहयोगी दल जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वे हमसे समर्थन वापस ले लेते। इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि केवल सत्ता बचाने के लिए वर्ष 2010 में महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस सरकार ने पास नहीं होने दिया।

कांग्रेस दल के नेता कहें कि हमने पास कर दिया था, यह जीवित है। उनको संसदीय ज्ञान होना चाहिए जो तीन सवाल उठा रहे हैं। यह वर्ष 2010 में जीवित था, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने भी कहा, माननीय अमित शाह जी ने तभी खड़े होकर कहा कि जब वह बिल राज्य सभा में गया और उसके बाद पास होकर लोक सभा में आया और यहां पारित नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि यह बिल लैप्स हो गया। अब हम यह बिल लाए हैं, मैं अभी सुन रहा था, मुझ से पहले जो वक्ता कह रहे थे और उससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वक्ता कह रहे थे कि इसमें माइनोरिटी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि वे इस बिल के समर्थन में नहीं हैं।

अब इस बिल की पेंडेंसी पर तीन सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस बिल को जब चुनाव आया तो हमारी सरकार इतने दिन बाद लेकर क्यों आई? हम बिल इसलिए लेकर आए क्योंकि जिस दिन माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी सत्ता में आए थे और सत्ता में आने के बाद इस तरफ सबसे पहले ध्यान दिया था। तब पूरे देश में लैंगिग असमानता में जिस तरह का रेश्यो था, इसलिए उन्होंने 'बेटी बचाओ, बेटी बचाओ' हरियाणा की रैली से शुरू किया। उन्होंने पूरे देश से इसका आह्वान किया

क्योंकि हमारी बेटियां, जिनकी भ्रूण हत्या हो जाती है, जन्म से पहले मौत हो जाती है और इससे लड़कियों की संख्या बढ़ी।

The Government suggested that for the first time in India, ratio of 1020 women per 1000 men was achieved – National Family Health Survey-5. लड़कियों का रेश्यो 1000 से 1020 हुआ, शायद यह इस सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हरियाणा में 830 का रेश्यो था जो 934 हो गया। यह प्रयास माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

इस बिल को लाने के पीछे केवल यही कारण नहीं है कि हम महिलाओं को लोक सभा में ही आरक्षण देंगे। अब महिलाएं केवल सांसद के रूप में ही प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी। आज यह बिल इस मायने में ऐतिहासिक है, आने वाले दिनों में इतिहास याद करेगा कि देश के सबसे सर्वोच्च सदन में लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग प्रॉसस और गवर्नेंस के प्रॉसस में देश में 33 परसेंट आरक्षण देकर भारत की महिलाओं को लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में पूरी हिस्सेदारी देने का काम माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यह काम इतना बड़ा है और ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप इसे पहले क्यों नहीं लेकर आए?

भारत की पहली लोक सभा में 24 महिलाएं थीं जो कि 4.4 परसेंट थीं। आज भी आजादी के 75 वर्षों बाद 15 परसेंट महिलाएं हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कल खड़े होकर कहा और पिछले दो दिनों से जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उन्होंने सभी दलों के नेताओं की तारीफ की, पूर्व प्रधान मंत्री जी की तारीफ की और कल भी अपील की। उन्होंने कहा कि यह सही समय है, आवश्यकता है कि इस बिल को पारित किया जाए और सर्वसम्मति से पारित किया जाए, लेकिन फिर भी किंतु, परंतु का सवाल खड़ा हो रहा है कि इसके साथ माइनोरिटीज़ का लिया जाए।

आप याद कीजिए, वर्ष 2008 में जब यह बिल राज्य सभा में गया तो विपक्ष के सब लोगों ने मांग की कि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए। यह अच्छी बात है कि स्टैंडिंग कमेटी में पूरी डिसकशन होती है, सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है और सब मिलकर सर्वसम्मति से रिकमेंडेशन देते हैं। आप उस समय की स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन देख लीजिए- More than 3.03 crore

women have been paid under PM Matrutva Vandana Yojana. Many political parties raised the issue of reservation of Other Backward Classes, and minority women. As regards the question of reservation within reservation for women belonging to OBC and minority, the Standing Committee stated that, in any case, there is currently no reservation in the Lok Sabha and State Legislative Assembly for OBC and minority. Therefore, the question of reservation for women of these categories does not arise.

हमने स्टैंडिंग कमेटी में सर्वसम्मति से यह रिकमेंडेशन की है। लोक सभा में, विधान सभाओं में कहीं भी अभी ओबीसी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि आज भी महिला आरक्षण विधेयक का ये विरोध करना चाहते हैं। यह इनकी मानसिकता है। जिस तरीके से इनके नेता ने कल कहा कि हमारी ओबीसी महिलाएं पढ़ी-लिखी कम हैं, बैकवर्ड हैं, कैसे आएंगी, कमजोर हैं। किस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए। यही लोग पाप ढो रहे थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि फाइटर पायलट अगर लड़के बन सकते हैं, तो बेटियों को भी मौका मिलेगा। पहली लड़की अवनि चतुर्वेदी है, जो फाइटर पायलट बनी है। पहले एनडीए में केवल लड़के जाते थे, आईएमए में केवल लड़के जाते थे। आज भारत में पहली बार चाहे एनडीए हो, चाहे आईएमए हो, सभी जगह लड़कों के साथ बेटियों को भी मोदी जी ने अवसर दिया है। आज जिस तरीके से हमने उनका फाइनेंशियल इनक्लूजन किया, अगर 45 हजार स्टार्ट अप्स हैं, तो उसमें एक महिला डायरेक्टर होगी।

हमने शैक्षणिक तौर पर उनका वित्तीय समावेशन किया। आज जिस तरीके से असमानता दूर हुई है, तो इस नवाचार में आज उच्च फैसले लेने के लिए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, वे प्रशंसनीय हैं। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय महिलाओं को बैंक का दरवाजा नहीं मालूम था। उनके खाते नहीं थे। कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कहा कि उस समय इतनी महिलाएं

थीं, उसके बाद जब इनके हाथ में सरकार आ गई तो आम महिलाओं को रिजर्वेशन देने का कौन-सा काम हुआ?

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

आप देखें कि जिस तरीके से आज ये बैकवर्ड, ओबीसी की बात कहते रहते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज आईएएस में जिस तरीके से परीक्षा परिणाम आए, उसमें 5 टॉपर्स में 4 महिलाएं हैं। इसी तरह से यूपीपीसीएस (जे) में 20 में से 15 टॉपर्स महिलाएं हैं। आज लड़कियां पीसीएस (जे) में टॉप कर रही हैं, आईएएस में इशिता किशोर टॉप कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे उचित समय क्या हो सकता है, जब देश के सर्वोच्च गवर्नेंस के फैसले में महिलाएं भी भागीदार हों। अत: मैं समझता हूं कि इस सरकार के द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करना चाहिए।

महोदय, ये बार-बार कह रहे हैं कि यह अभी से क्यों न लागू हो जाए? आप पूछिए कि क्या इन्होंने संविधान का अनुच्छेद 82 पढ़ा ? संविधान का अनुच्छेद 82 साफ कहता है कि एक बार जब जनगणना हो जाएगी, तो लाएंगे, लेकिन फिर भी इसे लाने का भी काम नहीं किया गया।

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Sir, being a lady member of this House, I am really proud to be a part of this discussion.

In India, we always honoured and respected ladies. That is our culture and tradition. '*Matha, Pitha, Guru, Daivam*', this concept itself upholds the status of mother and women in our Indian society. All religions stated a respected position to mothers and ladies. Former rulers of our nation like Pandit ji, Shastri ji, Indira ji and Rajiv ji posted several hon. ladies in different key posts. Several names of respected former members are inscribed in golden letters in our history. How can we forget the names of Sarojini Naidu ji, Vijaya Lakshmi Pandit ji and Rajkumari Amrit Kaur ji. The world itself takes the name of the Iron Lady of India, Indira ji, with great respect. Even leaders of our nation appointed respected female personalities in key posts. They urged for legislation to support women for appointment in key posts. And in 1989, the Indian Government, under Rajiv ji's leadership, introduced 64th amendment Bill for giving one-third reservation for women. Even the Bill was passed in Lok Sabha, but it was not passed in Rajya Sabha because of resistance from different parties. It is appreciable that such parties changed their mind after 33 years.

We waited till the 73rd and 74th Constitution Amendment Bills under Prime Minister Narasimha Rao ji to give reservation in Panchayats. I was one among those who enjoyed that reservation and I was elected as a President in a local body in my district in Kerala. Now, we cannot forget the Constitution (108th Amendment) Bill which was introduced during the time of Prime Minister Manmohan Singh ji. That historical Bill was passed in Rajya Sabha also. I think,

this Bill needs more discussion and amendments. If the Government introduces this Bill open-heartedly, it should be implemented well. I regretfully say here that there is no clear-cut date about the implementation of this Bill. This is because the Census of 2021 is due, and there is no clarification about when it will be completed. The caste census is also needed to be completed in time to notify reservation for different categories. So, I am afraid that this Bill may become just a wild goose chase before the general election. I would suggest here that this Bill should reserve not only constituencies but also key posts for women. Such provisions should be included in this Bill. I request you to include all categories of women in this Bill such as SCs, STs and OBCs. I would point out here that if the Government anticipates, through this Bill, to support women in India, the Government has to solve other problems of women also throughout the country including harassment and abuse. I support the Bill adding relevant amendments to this Bill. Thank you, Sir.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आज के दिन को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मानती हूं । एक महिला होने के नाते नारी शक्ति वंदन को वंदन करती हूं, क्योंकि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति यही दर्शाती है कि हमने हमेशा से ही नारी को देवता समान ही माना है और उसका पूजन किया है । अगर आज हम इतिहास में जाते हैं तो मैं खासकर बोलूंगी कि चाहे राजमाता जिजामाता हों, माता अहिल्या देवी हों, क्रांति ज्योति सावित्री जी फुले हों, रानी दुर्गावती हों या झांसी की रानी हों, ये ऐसे उदाहरण हैं, जो हमेशा हमारी महिलाओं को एक संघर्ष की गाथा सुनाते हैं और प्रेरित करते हैं कि महिलाओं को समाज के प्रति अपना दायित्व निभाना है, इस देश के विकास में अपना योगदान भी देना है और बढ़-चढ़कर आगे भी आना है । मैं इस विधेयक को लाने के लिए बहुत अभिनन्दन करती हूं । आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत की है, इस नये संसद भवन के साथ-साथ श्री गणेश इस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जो एक नई पहल की है, उसका मैं बहुत-बहुत अभिनन्दन करती हूं । हम जब कहते हैं कि –

"सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार,
नारी के हर रूप की, महिमा बड़ी अपार"

मुझे लगता है कि जब हम महिलाओं को उचित न्याय देने की भूमिका के बारे में सोचते हैं तो यह भूमिका उस दिशा में उठाया गया एक कदम है ।

"बने आर्थिक रूप से नारी सभी सशक्त
बदलेगा यह देश तब, यही कह रहा है वक्त"

यह वक्त कह रहा है कि महिलाओं को इस पॉलिसी डिसीजन में अभी मौका देना आवश्यक है । मैं यही कहूंगी कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आती हूं, एक ऐसे ट्राइबल एरिया से आती हूं, जिस जिले में अभी तक कोई महिला सांसद नहीं बनी । जब मेरा चुनाव हुआ, तब मुझे पहली बार महिला सांसद होने का मौका मिला। लेकिन, मुझे उसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि आरक्षण नहीं होगा, फिर भी हमारी महिला भगिनियों को वहां पर मौका मिलेगा । शायद मैं वहां से पहली महिला सांसद चुनकर आई हूं । अगर महिलाओं को

अवसर मिलता है तो उससे बहुत अच्छा काम खड़ा होता है । आज यहां पर हमारी अनेक महिला साथी उपस्थित हैं और खासकर यहां तक आने के लिए सभी ने संघर्ष किया है ।

मुझे लगता है कि यह बिल उस दिशा में जा रहा है, जहां नारी शक्ति को वंदन करने के साथ-साथ उन्हें अच्छा अवसर देगा । मैं फिर एक बार सभी देशवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि ये एक नया अवसर एवं बिल हम सभी महिलाओं के सम्मान में लाया गया है । मैं इस देशभक्ति का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Chairperson, Sir, I rise to lay on behalf of my Party, All India Trinamool Congress, to speak on women's reservation, the Nari Shakti Vandan Bill.

At the very outset, let us remind ourselves that this is India, a country where poet, Kaifi Azmi, before independence, in 1940, eighty-two years ago, wrote in his poem, 'Aurat':

"उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे,
जन्नत इक और है, जो मर्द के पहलू में नहीं,
उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे,
बन के तूफ़ान छलकना है, उबरना है तुझे,
उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे ।"

This is in India where Tagore in 1928 wrote in his poem, Shobola – *Nari k apon bhagyo joy koribar, keno nahi dibey odhikar, Hey Bidhata.* Oh Lord! Why will you not give women the right to determine their own destiny?

This is in India where in 1946, when the Constituent Assembly was elected, fifteen seats went to women who had to draft the Constitution. Both the United States and United Kingdom saw lengthy suffragette movements before women were granted the right to vote. India's founders in April, 1947 agreed to the principle of Universal Adult Suffrage, giving simultaneously the right to vote to

women and men. There was never any question of denying women the right to vote while giving it to men. All fifteen members of the Constituent Assembly who were women, rejected the demand for any special women's reservation on July 18, 1947. Member activist Renuka Ray noted that 'Vijayalakshmi Pandit has not been selected because she is a woman, nor was sex made a bar to the appointment. It is her proven worth that has been responsible for her appointment to the high office of Ambassador to a land. The demand for a special reservation is an insult to our intelligence and capacity.' So sure, were our founding mothers that this great land would not deny her women their rightful place based on merit. But alas, it is seventy-five years later and today, it is both my pride and my shame that I stand here as a woman in India's Parliament speaking on a women's reservation Bill.

It is my pride that I belong to the All India Trinamool Congress, a Party that sends thirty-seven per cent women among its Members to Parliament. It is my chagrin that I belong to Lok Sabha, the House of the People, that on aggregate has only 15 per cent of its members as women, far below the global average of 26.5 per cent and also below the Asian regional average of 21 per cent.

As this Government pats itself on its back for its rankings on various global tables, let it also hang its head in disgrace that this same India ranks 140 out of 196 countries in the Inter-Parliamentary Union League's Table on women's representation. Within women Parliamentarians, Muslims and Dalits have been consistently underrepresented. From 1952 to 2004, only eight Muslim women

were elected to India's Parliament, Lok Sabha, many of who served multiple terms.

In today's Lok Sabha, the 17th Lok Sabha, there are only two Muslim women Members, both from West Bengal and both from the All India Trinamool Congress. The numbers for male and female turnout in the last General Election were nearly the same. It was 66.7 per cent and 66.8 per cent respectively. But women's candidature -- the number of women who are being put up for elections, which is the first step towards getting elected to Lok Sabha -- remained at an abysmal nine per cent up from only seven per cent in 2004.

As we started our new innings yesterday in this newly constructed Temple of Democracy, our hon. Prime Minister grandly proclaimed that it seemed that he was ordained to perform many important tasks for this country including this one. And then, with much fanfare, this Government introduced this Bill claiming credit as usual for a groundbreaking move. But wait! What does this Bill really say? Article 334 of the Bill says that the reservation shall come into effect only after delimitation has been undertaken.

Delimitation will only be undertaken after the relevant figures for the next census have been published. Rotation of seats for women shall take effect after each subsequent exercise of delimitation. So, what does this mean? In true BJP's Goebblesian doublespeak style, it means we do not know if and actually when we will have 33 per cent of women sitting in the Lok Sabha.

It is because number one, the date of next census is entirely indeterminate and number two, the date of the next delimitation exercise is, therefore, doubly

indeterminate. It is also controversial, as my esteemed colleague Kanimozhi from the DMK said. She said according to the data, we will have an increase of zero per cent in the number of seats. From Kerala, it is 26 per cent but a whopping 79 per cent increase will be there both in Madhya Pradesh and in Uttar Pradesh. So, women's reservation is dependent on two totally indeterminate dates. Can there be a greater *jumla*? Forget 2024, this may not even be possible in 2029.

We are being asked time and again if we support the Women's Reservation Bill. तृणमूल कांग्रेस इस बिल को सपोर्ट करेगी या नहीं ? BJP's Members are reaching out to us, asking us to support this Bill wholeheartedly saying "no ifs and no buts प्लीज, पूरा सपोर्ट कीजिए । "To them, we say very clearly that we not only support Women's Reservation Bill but in truth it is Mamata Banerjee, India's only female Chief Minister today, who is the mother of this Bill. She has given birth to the original idea where she has unconditionally sent 37 per cent of women MPs to this Parliament. What have you brought here? What this Government brought here today is not Women's Reservation Bill. It is Women's Reservation Rescheduling Bill and should be renamed as such. Its agenda is delay. Its agenda is not reservation. The endless dithering over when there will be the next census, when there will be the next delimitation will only ensure that the urgent need of reservation for women in elections to the Parliament and to the State Legislatures will be indefinitely delayed yet again. Alas, this is not the historic Bill that it is being touted as. It is a sham. For the women and the men, and the girls and the boys who would be the future women and men of India, we had better recognise this, recognise this because it is staring at us in the face. And I also

hope that there are sufficient numbers amongst us, the current Members of Parliament, who also recognize this Bill for what it is. It is a sham.

The question of women's reservation requires action, not the placebo of legislatively mandated procrastination. To the Government and to the Ruling Party, I say this. Give us this day our equal rights. We hold up half the sky. Give us at least a third of our earth. Mamata Banerjee and the Trinamool Congress have already walked the talk. We do not need to go on record to show this country that we support the Bill. We have already sent more MPs than what this Bill even envisions. It is you, this Government, this ruling dispensation that needs to go on record. You need to support us, not the other way around. You need to send more than 33 per cent MPs to this Parliament. When this Government wanted to protect cows - I support the move, make no mistake - you did not wait to count the number of cows, you did not wait to see whether the cow was a *Jersey* or a *Gir* or a *Sahiwal*. You just went and built cow shelters. Are we women any less that we have to wait while you count numbers and you draw lines? We do not need any more *vandans*. We do not need any more *vandanas*. Thank you very much. What we need is the direct action.

Hon. Prime Minister, this is your moment to really show us that मोदी है तो मुमकिन हैं। Implement the reservation Bill immediately based on today's voters list. Send 33 per cent women to Parliament. Send 33 per cent women to Parliament in 2024 from the BJP the way our Party has done. Support us unreservedly.

In conclusion, I can only echo the poet Rehana Roohi's words.

"दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए,
हमको अब इतना भी आसान न समझा जाए।

हम भी लोगों की तरह जीने का हक मांगते हैं,
इसको बगावत का ऐलान न समझा जाए।"

Thank you very much.

महिला और बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): सभापति महोदय, आज इस सभागार में माँ भारती का नमन कर, मेरे संसदीय क्षेत्र के हर एक नागरिक का आभार व्यक्त कर, मैं नव भारत के निर्माण के सृजन की सबसे सशक्त नींव, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, के लिए इस सदन को सर्वप्रथम प्रणाम करती हूं, और, विशेषत: देश के प्रधान सेवक का वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। कल की तारीख, जब यह विधेयक आदरणीय कानून मंत्री जी ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया था, वह तारीख न सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक थी कि इस नये भवन में नये संकल्पों के साथ हम सब ने प्रवेश किया है, साथ ही, एक पुनीत समय गणेशोत्सव के पुण्य अवसर पर हमने नये भवन में प्रवेश कर विघ्नहर्ता को प्रणाम किया। लेकिन, अगर विघ्नहर्ता के सृजन की, आराधना की मूल भावना को देखें तो गणेश जी का स्वरूप अपने आप में अपनी माँ के हाथों से सृजित है और माँ के प्रण ने और माँ की तपस्या ने गणपति जी में प्राण दिए, यह उसका सबसे बड़ा प्रतीक है।

हमारी सभ्यता में यह भी मान्यता है कि नवभवन में जब प्रवेश होता है तो पहला पैर, पथ पर पहला आगमन घर की लक्ष्मी का होता है। कई समाज के वर्गों में भवन के बाहर घर की लक्ष्मी अपने हाथ की अमिट छाप छोड़ती है और कई परिवारों में पैरों के नीचे आल्ता लगाकर बेटियों का सबसे पहला कदम ऐसे भवनों में रखा जाता है, और, अगर संविधान की मर्यादा की दृष्टि से देखें तो लक्ष्मी ने संवैधानिक स्वरूप लिया है, इस अधिनियम के माध्यम से, जिसके लिए मैं सरकार का, इस सदन का और पीठ का विशेषत: आभार व्यक्त करती हूं।

आज चर्चा में कई महानुभावों ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया और साथ ही आदरणीय देवेगौड़ा जी को भी आभार वंदन किया। यह भी सत्य है कि मुझ से पूर्व की वक्ता ने राष्ट्र को जब गुलामी से स्वतंत्रता मिली तब महिलाओं की क्या परिस्थिति थी, उसका उल्लेख किया कि हाँ तब भी, जब देश आजाद हुआ तब भी कई प्रदेशों की साधारण परिवारों की महिलाओं ने कहा कि हमारा संवैधानिक अधिकार आरक्षित करें, लेकिन तब साधारण परिवारों की वो महिलाएं जिन्होंने राष्ट्र

को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई, जो दूरदर्शी थीं, जानती थीं कि साधारण वंचित समाजों की महिलाओं को अगर मौका, अनोखे ढंग से, संविधान की मर्यादा में न दिया गया तो शायद आगामी वर्षों में महिलाओं के लिए एक चुनौती बन जाएगा। आज मैं उन महिलाओं की दूरदर्शी सोच को वंदन करती हूं।

महोदय, वर्ष 1971 में तब की सरकार में एक कमेटी का गठन हुआ- On the status of women in India. और, आज मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करती हूं वर्ष 1974 में जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को साझा किया तो उसके सातवें चैप्टर में पोलिटिकल स्टेटस के वर्णन में यह इंगित है कि तब भारतीय जनसंघ ने कहा था कि महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी कीजिए। They were the advocates for women's reservation. आज जनसंघ के उन नेताओं को, उन चिंतकों का मैं आभार व्यक्त करती हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की साधारण कार्यकर्ता हूं जिसको मेरे संगठन ने असाधारण मौके दिए ताकि मैं संगठन के माध्यम से संविधान की मर्यादा में अपने राष्ट्र की और समाज की सेवा कर सकूं।

यह भाजपा के कार्यकर्ताओं का गौरव है कि इस राष्ट्र के अपने संगठन में पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। यह भी कहना सत्य होगा कि व्यवस्थाओं को किस दृष्टि से संगठन में सम्मिलित किया गया। उसके लिए साल 2007 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के अंतर्गत तब के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी के कैबिनेट के हमारे वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह जी ने एक कमेटी का गठन किया था।

यह मेरा सौभाग्य है कि उस कमेटी में वर्तमान के दो सदस्य आज इस सदन में उपस्थित हैं। उस कमेटी की अध्यक्षता श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने की थी। आज उस कमेटी की एक और सदस्य किरण माहेश्वरी जी, जिनका देहांत हो चुका है तथा संगठन में अध्यात्म की दृष्टि से मेरे मार्गदर्शक रहे श्रद्धेय बाल आपटे जी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनके योगदान के लिए भी उनको नमन करती हूँ।

सभापति जी, यह भी कहना उचित होगा कि उस कमेटी में नजमा हेपतुल्ला जी थीं, उनका मैं आभार वंदन करती हूँ तथा सुमित्रा महाजन जी थीं, जिन्होंने बार-बार लगातार अपनी पुण्य भूमि इंदौर

से चुनाव जीतकर हम सबका गौरव बढ़ाया। उन्होंने स्पीकर की भूमिका में महिलाओं का राष्ट्रभर में गौरव बढ़ाया। मैं ताई की अनुपस्थिति में ताई को प्रणाम करती हूँ। उस कमेटी में और दो महानुभाव थे, जो वर्तमान के सदन में विद्यमान हैं। जिन्होंने भाजपा के संगठन में महिला आरक्षण कैसा हो, उसको सुनिश्चित किया, जो आज मोदी सरकार के मंत्री भी हैं और वे आदरणीय जी. किशन रेड्डी जी और किरेन रिजीजू जी हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ।

सभापति जी, it is said that success has many fathers but failure has none. इसलिए कल जब यह प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा कि यह हमारा बिल है। कुछ लोगों ने कहा कि हमने चिट्ठी लिखी। कुछ लोगों ने कहा कि यह पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। आज ऐसी एक सम्मानित नेत्री ने इस सदन में अपना वक्तव्य रखा, लेकिन मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने दो विषयों पर ऑन रिकॉर्ड स्पष्टीकरण दिया है। हमको बार-बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73वां और 74वां अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिटयुशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूँ कि पहली बार उनके द्वारा इस सदन में स्पष्टता हुई कि यह पुण्य काम पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरान्त उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया।

दूसरा, यह कथन कि अभी क्यों नहीं और यह हमारा बिल है तो इसे अभी करिए। महोदय, यह उस बिल की प्रति है, जिनको वे हमारा कहते हैं। उसमें अगर आप दूसरे पृष्ठ पर 2(बी) और 3(बी) पढ़ें, चूँकि यह वह डेटा है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि यूपीए की सरकार में राज्य सभा में पारित हुआ और फिर लोक सभा में प्रस्तुत हुआ। अगर आप इस पृष्ठ पर ये दोनों छंद पढ़ें तो यूपीए, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने कहा है – No seat shall be reserved for women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Third General Elections.

आप 3(बी) पढ़ें तो उसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया – No seat shall be reserved for women in the Third General Elections.

अर्थात आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा, तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी जी की गारंटी है, लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव पढ़ें, तो 2(बी) और 3(बी) में यह प्रस्ताव था कि no seat shall be reserved for women in SC, ST in the Third General Elections. No seat shall be reserved for women in Third General Elections.

कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं प्रधान मंत्री जी और न्याय मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। फिर इनका यह वक्तव्य है कि आप अभी क्यों नहीं कराते हैं?

महोदय, हम जानते हैं कि संविधान को छिन्न-भिन्न करना, यह कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन आज आप इसी गरिमा में संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें। …(व्यवधान) यह किताब नहीं है। मेरे हाथों में संविधान है। यह आपके लिए किताब होगी, हमारे लिए पूजनीय है। यह संविधान है। …(व्यवधान)

मैं आपकी अनुमति से आर्टिकल 82 पढ़ना चाहती हूं।

“Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine: Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published.”

क्या यह विपक्ष के नेताओं का मत है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया संविधान में इंगित है, उसकी अवहेलना हो? Should we not abide by the Constitution? Is that the position taken by the leaders of the Opposition parties? That is my humble suggestion and submission.

फिर यह आरोप लगाया गया है कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हैं? मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग, जो वर्तमान में बिना माइक और पीठ की परमिशन के दांत चबा-चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है।

महोदय, आज मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं कि यह भारत वह भारत है, जहां पर आज लोगों के पास व्यवस्थाएं डिजिटली भी पहुंची हैं। हमारे देश के नागरिक को जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, वे उस भ्रम में न फंसे, इसलिए तथ्यों का रिकॉर्ड पर आना उचित है। आज जो इस सभागार में बिना पीठ की अनुमति के आते ही एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए, तो महिला के साथ विधान सभा में क्या आचरण करने का इनका इतिहास है?

ऐसे लोग आज महिला की मर्यादा पर टिप्पणी न करें तो इस सदन की शोभा बढ़ेगी। जो साफ-साफ जानना चाहते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं तो वह यह है कि राष्ट्र के इस फैसले को स्वीकार करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सरकार समर्थन देती है। राष्ट्र की महिलाओं के संवैधानिक सशक्तिकरण में अगर विपक्ष रोड़ा न बने तो हम कृतज्ञ होंगे।

महोदय, आज जिन लोगों ने इसको जुमला कहा और कहा कि हम चिट्ठियां लिख रहे थे इसलिए काम हुआ। उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि इस सरकार में प्रधान सेवक ऐसा, इतने विराट दिल का है कि आप उनके साथ पक्षपात करते रहे, जब आपके पास सत्ता थी, आप बार-बार उनका अनादर, अपमान करते रहे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर आपके हर कम्युनिकेशन को पढ़ा और आपसे चर्चा की। मैं स्तब्ध हूं कि आज जिन लोगों ने महिला सशक्तीकरण का व्याख्यान किया, वे यह भूल गए कि सत्ता उनके पास थी, चमन उन्होंने लूटा, वरना आज प्रधान मंत्री जी ने जैसे कहा- यह कब का गुलिस्तां हो चुका होता। हम साल 2014 में माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में देश की सेवा के लिए अनुगृहीत भाव से इस सदन में आए। हमने तब से लेकर अब तक महिला उत्थान के लिए विभिन्न इकाइयों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए। इस

सदन में महिलाओं के लिए टॉयलेट्स बनाने की बात हुई, इस सदन में महिलाओं को किस प्रकार से घर दिलवाया, उसकी बात हुई, लेकिन महिला सशक्तीकरण माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए एकमात्र टर्म से संबंधित, योजना से संबंधित संकल्प नहीं, बल्कि जब से उन्हें भारतीय राजनीति में राष्ट्र की, अपने प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला, तब से उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति गवर्नेंस का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के माध्यम से प्रदेश और देश विकसित हो पाएगा।

मैं आपके सामने उसके दो-तीन उदाहरण रखना चाहती हूं। एक, साल 2006 में जब माननीय प्रधान मंत्री जी के पास प्रदेश में मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी थी, तब उन्होंने जेंडर इक्विटी की पॉलिसी बनाई, लेकिन मात्र पॉलिसी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने 10 अलग-अलग विभागों के माध्यम से जेंडर बजट को भी प्रस्तुत किया। आज जो कह रहे हैं कि मुद्दे पर आओ, तो मुद्दे की बात यह है कि जब उनकी सरकार थी तो जेंडर बजट के दृष्टिकोण से साल 2013-14 का आंकड़ा 90 हजार करोड़ था और अगर आप मोदी जी की सरकार में वर्ष 2023-24 का जेंडर बजट देखें तो वह 2 लाख 23 हजार करोड़ है।

ये मुद्दे की बात पर आना चाहते हैं तो मुद्दे की बात यह है कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तब उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए अपने आपको समर्पित किया। ड्रॉप आउट रेट 18 परसेंट था। माननीय प्रधान मंत्री जी के मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में ड्रॉप आउट रेट 1 परसेंट हुआ और आज प्रधान मंत्री की जब उनको जिम्मेदारी मिली है तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए अलग से जेंडर इनक्लूजन फंड का प्रावधान करने वाली सरकार नरेन्द्र मोदी की सरकार है।

ये कहते हैं कि मुद्दे पर आओ तो मुद्दा यह है कि जब प्रधान मंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने ई-ममता एक कार्यक्रम शुरू किया ताकि गर्भवती माताएं, बच्चे उसके माध्यम से सरकारी व्यवस्था से, उनका बेनिफिट ट्रेक हो सके, कौन वंचित हैं, उस तक हम पहुंच सके। आज जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हैं तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार पोषण ट्रेकर के माध्यम से

देश के साढ़े सात करोड़ बच्चे और ढाई करोड़ महिलाओं को पोषण अभियान के माध्यम से डिजिटली सेवा पहुंचाई जाती है।

15.00 hrs

ये कहते हैं मुद्दे की बात पर आओ। तो मुद्दा यह है कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेवारी थी, तो उन्होंने 'माँ वात्सल्य' योजना की शुरुआत की। जहाँ महिलाओं को, जिनकी एनुअल इनकम लगभग डेढ़ लाख रुपए थी, उनको इस योजना के माध्यम से 4 लाख रुपए से ज्यादा का मेडिकल ट्रीटमेंट सरकारी व्यवस्थाओं में देने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और आज 'आयुष्मान भारत' योजना के कारण 10 करोड़ गरीब परिवार, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को 24 हजार से ज्यादा अस्पतालों में, 1 लाख 60 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य केन्द्रों में यह सुविधा मिल रही है। यह सेवा देने वाली सरकार, मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है।

इसलिए जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण आज मात्र एक चुनावी मुद्दा है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ:

नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है,
देता वही प्रकाश, आग में जो अभीत जलता है।

आपने नरेन्द्र मोदी जी पर कई आक्षेप किए। राष्ट्र के नव-निर्माण में, चाहे वह 'मेक इन इंडिया' हो, चाहे आर्टिकल 370 को हटाने की बात हो, हर विषय पर, जीएसटी पर भी आपने न केवल व्यवधान किया, बल्कि व्यवधान के बाद जब इस सदन ने उन कानूनों को पारित किया, तब आप एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से कोर्ट में चुनौती देते गए। आप कोर्ट में भी हारे, पीपल्स कोर्ट में भी हारे। इस बार लोग कहते हैं कि 27 साल नहीं, अगर आप जनसंघ की पृष्ठभूमि देखें, तो वर्ष 1974 से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बार-बार कहा कि आप संवैधानिक ढांचे की मर्यादा में महिलाओं की आरक्षण गारंटी करें। आज मोदी जी इस अधिनियम के माध्यम से, जो वंचित महिलाएं हैं, उनको अधिकार गारंटी कर रहे हैं।

इसीलिए पूरे सदन से विनम्र आग्रह है कि एक साइंटिफिक पद्धति से संविधान का संरक्षण करते हुए, जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई है, अगर वाकई में आपकी रुचि महिलाओं को पॉलिटिकली सशक्त करने की है, तो आप इस अधिनियम का समर्थन करें।

अंत में, कुछ लोगों ने अपने वक्तव्यों में यह भी कहा कि आप रैंकिंग देख लीजिए। महोदय, मैं उस पर एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में वे महिलाएं, जो भारत की पंचायतों से जीतकर आती हैं, उन महिलाओं का न तो सम्मान होता है, न उनकी गणना होती है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में वे महिलाएं, जो विधान सभा या विधान परिषद में चुनकर आती हैं, उन महिलाओं की भी गणना नहीं होती, उनकी गिनती भी नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में जो महिलाएं लोक सभा और राज्य सभा में चुनकर आती हैं, उनकी भी गणना नहीं करते। यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा था। मोदी सरकार ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया और लिखित में उनको जवाब दिया कि हाँ, अब हम हिन्दुस्तान की पंचायतों में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, विधान सभाओं में जीतने वाली महिलाओं का सम्मान करेंगे, लोक सभा और राज्य सभा में जो महिलाएं सेवा दे रही हैं, हम उनकी गिनती करेंगे। We have made women count, and it is time for you to step up in the opposition and not merely reduce your words to paper or speech, but speak with action and support the *Nari Shakti Vandan Adhiniyam.*

Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Now, Adv. Ariff Ji.

… (Interruptions)

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Please keep the House in order. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): What is this *nari shakti vandan adhiniyam?* This is a Constitution Amendment Bill. … (*Interruptions*) Sir, I am seeking only a clarification. Yesterday, the hon. Prime Minister also mentioned it. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. The Minister is going to clarify.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Since the clarification has been sought and as my senior colleague has again brought to the notice of the hon. senior Member, what I spoke is on record. It is available for you to verify. What is indeed saddening is that you did not know the facts to begin with.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : No, I was seeking a clarification whether it is a Constitution Amendment Bill or not. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Adv. Ariff Ji.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of Mr. Ariff will go on record.

… (Interruptions)…[*]

ADV. A.M. ARIFF: Sir, I am here to express my views on behalf of the CPI (M) Party. … (*Interruptions*)

---

[*] Not recorded.

I wholeheartedly welcome the Constitution (128th Amendment) Bill, 2023 introduced by the Government because it aims to achieve reservation for women.

It is an undisputed fact that women should have a prominent role in the law-making process as well as policy decisions, and discussions in this regard started long back in our country. But now what this Government is trying is to cover up all such previous efforts and to project the introduction of this Bill as something which only the BJP Government could achieve.

The credit for this legislation should go to all the women organisations and leaders, including Comrades Brinda Karat, A. Raja, Sreemathy Teacher and those who have approached the hon. Supreme Court to implement the reservation for women and, thus, to ensure equal justice and equal status as promised by the Constitution. My red salute goes to all those known and unknown leaders for their efforts all these years.

By introducing this Bill at the fag end of the tenure of this Lok Sabha, and that too with the non-implementable provisions in the near future, the Government has exposed the hollowness of its pseudo-hearted attempt before the women of the country.

The Government kept all of us in the dark in respect of the List of Business till the last moment in blatant disregard to the Rules of Procedures followed till date.

Even though we had no knowledge about this Bill till its introduction, it is a proof that all the people of BJP knew about it in advance. …* We all witnessed that. They are the trusted persons more than the Members of the Parliament. This is another affront to democracy.

Why the Government played such a high-voltage drama? This is just to make a mockery of this House and the democratic principles.

The BJP has promised to introduce 33 per cent reservation for women in the Parliament and the State Assemblies way back in 2014 in its election manifesto. Had the first Modi-Government taken lead for it as promised in its manifesto, now this House would have at least one-third women Members, if not more.

Even in 2019, soon after coming to power for the second term, they had the opportunity to bring such a reform, if they actually wished to implement it.

The Government passed a number of legislations without even holding discussions in the House or referring to the Standing Committees.

On all such occasions, the BJP as well as the Government kept mum on the issue women's reservation, and chose to introduce the Bill after almost four and half years of its second tenure.

Sir, it goes without saying that you are going to be cursed by women just as you entered the New Parliament Building with your right foot on the very sacred Vinayaka Chaturthi day with the discussion of cheating women because there will be no women's reservation in the coming elections in 2024. There is no mention

---

* Expunged as ordered by the Chair.

of time limit for Census and delimitation. Women will have to wait indefinitely for many years.

Sir, with the timing of the introduction of the Bill when the upcoming general elections are in the forefront, it is crystal clear that this Bill was introduced just to give reply to the hon. Supreme Court with regard to a public interest litigation. I wish to quote what the hon. Supreme Court asked to this Government on August 11, almost a month back during the hearing of a public interest litigation regarding women's reservation. I quote the hon. Supreme Court. It says, "You have not filed a reply. Why are you shying away? Why have not you filed a reply? Say, you want to implement it or not. It is too important an issue to be thrown on the back burner. It is too important. It concerns all of us"

This is what the hon. Supreme Court asked the Government, and this Bill is the last resort to answer those questions.

Sir, there was another instance in the Supreme Court when it recently expressed its displeasure to this Government over its handling of the issue of women's reservation in local self-government institutions in Nagaland. The hon. Supreme Court asked, "You take extreme stands against other State Governments which are not amenable to you. But your own Government is violating the constitutional provisions, and you do not want to say anything". This Government had no answer to this.

Sir, coming to the contents of the Bill, it is worth mentioning that the Statement of Objects and Reasons of this Bill is probably the funniest among all the Bills introduced so far in this House. Right from the regime of Shri Rajiv

Gandhi to other Prime Ministers, several attempts were made to pass the Women's Reservation Bill in this House, and even the Rajya Sabha had passed it in 2010. This history should have been mentioned in the Statement of Objects and Reasons.

Instead, what has our Law Minister included? It is a mere jargon such as *Amrit Kaal*, *Vikasit Bharath*, *Nari Sakthi*, and slogans such as *Sabka Saath*, *Sabka Vikas, Sabka Viswas, Sabka Prayas*, all put forward by the Prime Minister.

Sir, we have seen how this Government has tried to gain cheap popularity by including the colour of BJP's flag and lotus symbol in the logo of G20, and portraying the success of Chandrayan-III as a political victory of BJP. ... * is also an example of how degrading propaganda you will use.

Sir, I demand the Government to remove political jargons from the Statement of Objects and Reasons, and contain only facts, reasons and the history of this legislation.

Sir, I am standing here as a representative of the people of the State of Kerala, which implemented reservation for women in panchayati raj institutions way back in the 1990s, some 32 years back when zila councils were formed, in which I was also elected as a member. About 30 per cent seats were reserved for women at that time. In 2008, we enhanced the reservation for women representatives in local self-government institutions to 50 per cent, much above the constitutionally mandated limit of 33 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Shrimati Harsimrat Kaur.

ADV. A.M. ARIFF: I am concluding in just one minute.

Sir, I am proud to say that our State was the first State to give reservation to women in local self-government institutions than any other State in the country. So, the claim of the Government that it has taken a historic decision is nothing but a political gimmick to fool women voters in this country.

Therefore, I request on behalf of CPI(M) that without waiting for delimitation and Census, this Women's Reservation Bill should be implemented in the upcoming elections of 2024.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Sir, in a House of 543 Members, it has taken 78 of us to fight against thousands of men to eventually reach this House. It is these 78 women MPs here that represent the voice, the dreams and the challenges of 70 crore women who look up to this House, to this Government and especially to the womenfolk over here, to speak of the plight that they face on the ground. They are under-privileged in the sense that they do not have the privilege like us to be here.

Sir, there are only 14 per cent women, after 75 years, in this House. There were 24 in the 1st Lok Sabha and there are 78 in the 17th Lok Sabha. If you look at it in terms of increase in percentage, it is barely nine per cent in 75 years. Even the speed of a bullock cart is more than that! And, we are talking about women representation to 50 per cent of our population.

Sir, it is shocking that 11 out of 13 MPs in this House are men. Now, if there is something more unfair and uneven than that, I cannot imagine what it could be. That is the reason why almost 50 per cent of the Legislative Assemblies in India have never seen a woman legislator from those constituencies. Fifty per cent of India have never voted for and made a woman a legislator. The participation of women, who now have voting rights, is even more than that of men today, but neither is their participation here equal even though their participation of 67 per cent is higher than the men who vote, to make these Governments. They vote in a higher number because the woman is aspiring that she be heard and she be a part of decision-making.

आजादी के अमृत काल में, 75वें साल में नया पार्लियामेंट, न्यू इंडिया, नया भारत। 24 घंटे पहले बहुत एक्साइटमेंट थी। शाम को लेट इवनिंग केबिनेट की बहुत सीक्रेसी के साथ मीटिंग की गई। पहले तो किसी को पता नहीं चला कि यह सैशन किसलिए बुलाया गया। पता नहीं इसे इतना छिपा कर क्यों रखा? उसके बाद एजेंडा क्या है, एजेंडा किसी को नहीं दिया गया। उसके बाद लेट इवनिंग केबिनेट मीटिंग में क्या हुआ, किसी को नहीं बताया। What was this shroud of secrecy for? जब पता चला कि वूमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, तो देश में इतनी एक्साइटमेंट, सभी ने वेलकम किया कि 75 साल बाद eventually we are getting our right. Hopes were built after that only to be dashed in 24 hours because in the details lie the devil. In this पेपरलेस न्यू पार्लियामेंट, मेरा हेड फोन काम नहीं कर रहा था। So, I could not hear anything, leave alone read about this. When the details came out, it became clear that this Reservation Bill is going to come into force after the Census takes place after delimitation. वर्ष 1885 के बाद इतिहास में पहली बार जब से यह सेंसस का काम शुरू हुआ है, it is for the first time that Census has been delayed by two years. How many more years is that going to be delayed by? किसी को आज तक कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी है कि इस डेट तक हो जाएगी। उसके बाद डीलिमिटेशन में कितना समय लगेगा, वह भी हमें नहीं पता। उसके बाद रिजर्वेशन बिल आएगा So, today there is no final date as to when women will get their 33 per cent reservation in this House. Then, what was the urgency to bring this Bill in this Session? जब वर्ष 2014 और 2019 के मेनिफेस्टो में आपने 33 परसेंट वूमेन रिजर्वेशन का प्रोमिस किया था तो साढ़े नौ साल का समय आपको क्यों लग गया? आप साढ़े नौ साल क्या कर रहे थे और अब चुनाव से छह महीने पहले यह बिल क्यों ला रहे हैं और अगले पांच-छह साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता है। आज आप महिलाओं को लड्डू दिखा रहे हैं कि यह लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसे खा नहीं सकते और यह लड्डू यहां पड़ा है। ...(व्यवधान) आप डेट बताइए कि कब महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा? निशिकांत जी कहते हैं कि दो

साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था। आप बताएं कि चाइना ने कैसे सेंसस कर लिया? यूके ने कैसे सेंसस कर लिया? आप तो विश्व गुरु हैं और क्या विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता है? ऐसे फालतू के जवाब यहां से मिल रहे हैं। दो साल से सेंसस नहीं हुआ। डीलिमिटेशन नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि यह जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है। हर सरकार आती है और इलेक्शन से पहले औरतों का वोट लेने के लिए ऐसा करती है। आप आंकड़ों को देखें। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 कहती है कि इंडिया 146 देशों में से 127वें नम्बर पर है। भूटान, नेपाल और चीन से भी पीछे हमारा देश है। In the Gender Equality Index 2022, India is at 122nd position out of 164 countries. कहते हैं कि दो साल लग जाएंगे, जब तक यह जेंडर इक्वेलिटी होगी।

महोदय, जैसे क्राइम अगेंस्ट वूमेन है, इस सदन में इन चीजों के बारे में क्यों नहीं कभी चर्चा होती है? पिछले पाँच सालों में क्राइम अगेंस्ट वूमेन 26 प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए तो मणिपुर में एक औरत के ऊपर ऐसी हरकत होती है और तीन महीने तक सरकार मुँह नहीं खोलती है, आखिर में नो-कॉन्फिडेंस मोशन के बाद ही मुँह खोलती है।

हरियाणा का मिनिस्टर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए एक्यूज्ड है, लेकिन अभी वह कैबिनेट स्टेटस एन्जॉय कर रहा है। वूमेन रेसलर्स, जो हमारे देश के लिए इतने बड़े-बड़े मेडल्स लेकर आती हैं, वे महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे हैं। बिलकिस बानो के रेपिस्ट्स को तो संस्कारी कह कर इनके लीडर्स स्टेज पर चढ़ा कर उनको मान देते हैं।

In this House, 306 MPs have criminal cases like rape, murder, and kidnapping. Forty-five per cent of them are from the ruling party. क्या यह बेटी बचाओ है? Literacy rate in our country is 65 per cent, which is 20 per cent lower than the global average. हेल्थ में, India is at the last in the Global Gender Gap Index of Health and Survival Index. It is at the last out of all the nations.

सर, आप अपने देश में घंटों में लॉकडाउन कर सकते हैं, आप यहां पर चुटकी मारकर घंटों में नोटबंदी कर सकते हैं, जल्दी-जल्दी जीएसटी ला सकते हैं तो फिर वूमेन रिज़र्वेशन बिल क्यों नहीं ला

सकते हैं? इसे क्यों नहीं ला सकते हैं? इसका जवाब दीजिए कि साढ़े नौ सालों से क्यों नहीं लेकर आए और अब जब इसे लाए हैं तो इसे आप अगले इलेक्शन से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए।

सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे सिखों के गुरुओं के समय से ही यह है। हमारे पहले गुरू ने 550 साल पहले बोला था कि औरतों को सत्कारया, सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजान। हमारे दूसरे गुरू ने वूमेन लिट्रेसी को एनकरेज किया। हमारे थर्ड गुरू ने सती जैसी प्रथा, फीमेल चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, सभी को बैन किया। हमारे फोर्थ गुरू ने डाउरी के खिलाफ हमें सिखाया और हमारे टेन्थ गुरू ने जब खालसा पंथ बनाया, तो माता साहिब कौर ने 50,000 पूरे पंथ को बोला कि औरत तुम्हारी माँ की तरह है, इसलिए हमारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, the only institution in the world which is voted and voted by the Sikhs to be run, gave voting rights to Sikh women in 1925. Even before the country got its independence, हमारी कम्युनिटी ने अपनी औरतों को वोटिंग राइट्स दी थी। In 2012, Shiromani Akali Dal was the first party in the country which elected the first woman Finance Minister. इतने बड़े होकर ये इसे बाद में लेकर आए, उससे पहले तो हम लेकर आए हैं।

Being a woman, I definitely support this Bill but I will end by saying, महिला आरक्षण बिल तुरन्त लागू करो, महिला को उसका हक दो। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, you cannot show the placard.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : अगर सही में हक देना है तो कोई बात होती है, नहीं तो अगर यह जुमलेबाजी है तो फिर उसमें डबलिंग फार्मर्स इनकम, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, अच्छे दिन, पन्द्रह लाख, ये सब बहुत सुन लिया। … (व्यवधान)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. On behalf of IUML, I express my support to this Bill. I also demand that 50 per cent of the total seats allotted to women be set apart for OBCs and minorities like Muslims.

This is not the first time to have a move like this. The Prime Minister yesterday was saying that God has specially chosen him to make this Bill a law. It is an exaggeration. It is quite a contradictory fact. Many efforts were made in the past, especially during the UPA period. We may recall the efforts in 1996, 1998, 1999, and 2008. We are indebted to the UPA Government which took a bold initiative in this regard.

I would like to say we are indebted to Shri Rajiv Gandhi also for the bold initiative regarding local bodies. That was the beginning. He was bold enough to start that. We must salute him.

There was some propaganda, “Women cannot perform, they will work as proxies. Husband or brothers will have to support her.” But, in fact, it has been categorically proved that the women can perform very well. Not only that, in some cases, they have worked better than men. So, the credit goes to us.

Secondly, Sir, I would like to say that having such a legislation is a great thing. Worldwide, women representation in the legislative bodies is 25.8 per cent whereas in India, it is just 14.94 per cent. So, such a legislation was very much necessary.

In the 1977-1980 period, the Lok Sabha saw the ratio of women MPs plummeted to its lowest, that is, 3.4 per cent only. In the mid-90s, it never

touched 10 per cent. That is a fact. We had a guilty conscience. If we pass such a legislation, we will have a satisfaction that we did justice to our sisters.

I wish to say that Census is due in 2027 after which delimitation exercise will start. Then only, reservation will be worked out. We can very well understand the paraphernalia. So, it is to be discussed.

If BJP was really interested in giving this, they could have done it earlier. Even though the name of the Bill is such but it is a fact that the BJP is trying to find out an escape route. So, this Bill can be called as an 'Escape Route Bill'. That is the thing.

With regard to implementation of this Bill, after next delimitation, there are many hurdles. Anyhow whatever may be the situation, we have to jointly work to get it solved. It will be a credit for the entire democratic system for the country.

Finally, Sir, I would like to ask who is going to identify the constituencies. I feel that the people's representatives, political parties must have a say in that mechanism. It should not be left to the Election Commission. So, I feel that a body of political parties must have a say in this.

In the end, I would say that there must be some reservation within it for the OBCs also. That is necessary. We all know that the OBCs and minorities, especially the Muslims are facing deprivation, underrepresentation and non-representation. That is a fact. That is why we have said that some effective steps should be taken to set apart some percentage of reservation of backward sections of the society.

Sir, there may be many hurdles. But when we are doing this work jointly, we must be able to tide over all these crises. So, I once again express my party's support to this Bill.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): सभापति महोदय, मैं भाग्यशाली हूँ कि आप सभी लोगों के समवेत् एक सदन से ले कर दूसरे सदन का प्रवास, एक लोकशाही के माध्यम से विकास यात्रा का रथ आप सभी लोगों ने अपने कंधों पर लिया। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में नई संसद में, नई उम्मीदों के साथ अखण्ड भारत को आगे ले जाने के लिए हम मोदी जी के हाथ सक्षम करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आप सभी को बधाई दूंगा कि आप सभी इस नई संसद के भी सदस्य हैं और पुरानी संसद की एक कड़ी बन कर हम सब लोग आगे जा रहे हैं।

कल प्रधान मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में यहां पर पहली जो स्पीच दी है, उसमें प्रधान मंत्री जी ने इस स्वर्णिम युग के लिए एक नई घोषणा की और एक प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा।

हमारे देश की जो 50 प्रतिशत आबादी है, वह महिलाओं की है। जो मातृ सत्ता मानने वाला देश है, जिसकी बीजें बहुत पुराने काल से इस देश में हैं, लेकिन उसका योग्य तरीके से सम्मान नहीं हुआ था। आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था देने की बात की है। अगर इस देश को आगे ले जाना है तो महिलाओं का सम्मान और कंट्रीब्यूशन इस देश के होने वाले विकास में समानता से होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक पहल की है, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं शिव सेना पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं।

यह प्रस्ताव बहुत बार लोक सभा में आया, राज्य सभा में भी आया, लेकिन सिर्फ प्रस्ताव आने से वह मंजूर नहीं होता, बल्कि उसके लिए बहुमत की जरुरत होती है। यह पहली सरकार है, जिसने पूर्ण बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को सदन में लाई है। इस सदन के माध्यम से यह पारित भी हो जाएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में 15 सालों के लिए महिलाओं को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए एक नई पहल प्रधानमंत्री जी ने की है।

महोदय, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वह कोल्हापुर जिला है। वह शाहू जी महाराज की नगरी है। अगर किसी ने इस देश को पहली बार आरक्षण दी होगी तो वह छत्रपति शाहू जी महाराज ने दी है। आरक्षण की जो व्यवस्था बनायी गई, उसे शाहू महाराज जी ने अपने कार्यकाल में बनायी। उसी

को आगे ले जाते हुए, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सर्वोच्च संविधान में उसका प्रावधान किया। आज हम यहां हरेक तबके के लोगों को आरक्षण देने का काम करते हैं। हमारी जो माताएं एवं बहनें थी, उनके लिए कभी आरक्षण नहीं था। पंचायत लेवल पर काम करने वाली महिलाओं के लिए आरक्षण है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगरपालिका में 50 परसेंट रिजर्वेशन है। जहां तक उनके लिए लॉ बनाने की बात है या उनके लिए कोई न कोई कायदा बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी में महिलाओं की सहभागिता थी, लेकिन कानून बनाने में उनकी सहभागिता नहीं थी। जो महिलाएं आज इस सदन में आई हैं, वे अपने कर्तव्य को स्थापित करके आई हैं। पहले मैं उन महिलाओं का सम्मान करता हूं, जिन्होंने आज संसद में किसी भी आरक्षण के बिना अपना स्थान प्रस्थापित किया है। मैं उन सभी माताओं एवं बहनों का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा।

सर, उस समय रिजर्वेशन नहीं था। आज मोदी जी की वजह से 33 परसेंट रिजर्वेशन की बात हो रही है। आज भी इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। वे अपने बल-बूते पर यहां आई हैं। उन्होंने पहला संघर्ष अपने कुटुम्ब से करके इस सर्वोच्च सदन में पहुंचने का काम किया है। इन सारी महिलाओं ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। मेरी माँ भी इस सदन की एक सदस्य थी। जब मैं छोटा था, तब उनके साथ यहां आता था। मैं उनको बात करते देखता था। वह पाँच बार लोक सभा चुनाव लड़ीं। वह तीन बार हारी और दो बात जीती। मैं अभिमान के साथ कहना चाहूंगा कि एक महिला का संघर्ष, उनके परिवार का सदस्य होने के नाते मैंने नजदीक से देखा है। जब मैं सिर्फ तीन साल का था, तब मेरे पिताजी का निधन हो गया था। उसके बाद एक औरत होने के नाते जिस संघर्षपूर्ण भूमिका से, सिर्फ घर का नहीं, बल्कि इस राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व करने का काम मेरी माँ ने किया, मैं अभिमान से कहना चाहूंगा कि यही वह संस्था है, जहां एकजुट होकर प्रबलता से देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हमारी महिलाओं को एक साधन दिया है।

महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, वह तारा रानी का जिला है। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, तारा रानी हों, झांसी की रानी हों, कितनी तो रानियाँ हैं, जिन्होंने इस देश में अपना अस्तित्व अपने बल-बूते

ही प्रस्थापित की है। आरक्षण की इस देन की वजह से सिर्फ महिलाओं को इसका उत्कर्ष करने का कारण नहीं है। प्रधानमंत्री जी कल जब इसका विवेचन कर रहे थे, तो बहुत लोगों को शंका होने लगी थी। सबसे ज्यादा पुरूष लोग डर गए। अभी क्या होगा? आरक्षण आ गया तो क्या होगा? कल की बात क्या होगी? 33 परसेंट आरक्षण होने के बाद, बहुत लोगों ने अपनी बीवियों का नाम सोचना शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने अपने बच्चों का नाम सोचना शुरू कर दिया। यह आरक्षण अपने बीवी-बच्चों के लिए नहीं है, यह उन बच्चों के लिए है, जो कभी इस सदन में नहीं आ पाए हैं। वह जिला परिषद और पंचायत में जितने वालों बच्चों के लिए है। हमारे बच्चे कहीं भी स्थान ले लेंगे, लेकिन उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मोदी जी ने यह निर्णय लिया है। निश्चित रूप से उन बच्चियों का भविष्य बनेगा। इस समृद्ध भारत के लिए उनका योगदान होने वाला है। मैं मोदी जी का अभिनंदन करते हुए, अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, तारा रानी भी एक ऐसी रानी थीं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थीं। वह अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ लड़ी। निश्चित रूप से उन्होंने स्वराज्य का रक्षण किया। जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो महिलाएं संरक्षण की भूमिका में आती हैं। उनके पास नम्रता है, ममता उनके पास है, उनके पास विजन है।

वह न्याय की भूमिका से आती है, एक मां की भूमिका से जो आती है, इस भारत को हम लोग माता कहते हैं और मां भारती की सेवा के लिए आज उसकी बेटियां भारत के इस सबसे बड़े सभागृह में आने वाली हैं। उनके स्वागत के लिए संसद निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और हम जैसे जो लोग हैं, वे इसके समर्थन में खड़े हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कविता सिंह (सिवान):

या देवी सर्वभूतेषु मातृ-रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नम: ।।

सभापति जी, धन्यवाद। मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के बिल पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, संसार के सबसे बड़े देश भारत के संविधान में अब तक देश हित में 105 बार संवैधानिक संशोधन किए गए हैं और आज हम फिर अपने देश के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने जा रहे हैं। आज भारत की महिलायें, जनप्रतिनिधि भारत में समतामूलक समाज बनाने की नींव रख रही हैं। बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधियों की यह भागीदारी गांवों से संसद तक विकास की ओर अग्रसर है।

महोदय, अपने शास्त्रों और पुराणों में हमने शुरू से ही नारी शक्ति के बारे में सुना है। चाहे वह मां दुर्गा के शक्ति रूप की चर्चा हो, मां सरस्वती के विद्या रूप की चर्चा हो, मां लक्ष्मी के धन रूप की चर्चा हो, महिलायें अग्रणी भूमिका निभाती आई हैं। आज इस आधुनिकता के दौर में जब हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह जो संशोधन है, पांचवीं बार इस विधेयक को लाना पड़ रहा है। इससे पूर्व में भी चार बार यह विधेयक आया, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। आज भारत की सभी महिलायें संसद की तरफ देख रही हैं कि हम महिलाओं की भागीदारी को कब वह कामयाबी मिलेगी? बार-बार हम लोगों को लोक-लुभावने सपने दिखाये जाते हैं और जो कार्य आज उसके लिए यहां हो रहा है, क्या वह होगा या नहीं होगा?

महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के हित के लिए, महिला सशक्तीकरण के लिए, वर्ष 2005 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उन्होंने वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया। वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया। साथ ही साथ, जब प्रारम्भिक शिक्षकों की बहालियां हो रही थीं, तो उसमें महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया। सरकारी

नौकरियों में, सिपाही हो, बिहार पुलिस हो, उसमें 35 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया है। जब महिलाओं के हितों की चर्चा होती है तो बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां पर बालिकाओं को साइकिल योजना और पोशाक योजना के तहत आगे बढ़ाने का कार्य किया गया।

महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत नामांकन में भी न्यूनतम 35 प्रतिशत सीट्स छात्राओं के लिए आरक्षित की गई हैं। नारी सशक्तीकरण की मिसाल बनने वाला बिहार देश का पहला राज्य है, जहां पर महिलाओं को इतनी भारी संख्या में लिया गया है।

महोदय, हमारी पार्टी ने वर्ष 2006 में राज्य में महिला एवं स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए परियोजना शुरू की थी जिसका नामकरण 'जीविका' दिया था। अब तक बिहार में 10 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिनमें 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक महिलायें कार्यरत हैं। नारी शक्ति को जिसे हम ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माइक ऑन कीजिए।

... (व्यवधान)

श्रीमती कविता सिंह: महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के हित की जब भी बात आती है तो एक महिला दूसरी महिला का विरोध करती है। लेकिन आज मैं सभी से कहना चाहूंगी कि सभी महिलाओं की अकांक्षा होती है कि हम सदन में जाकर अपने क्षेत्र की बातों को उठाएं और उनकी आवाज बनें।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं दो बार विधान सभा की सदस्य बनीं। जब वर्ष 2019 में लोक सभा का चुनाव हो रहा था तो सिवान लोक सभा क्षेत्र की जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से अपनी आवाज को आप सभी के सम्मुख रख रही हूं।

मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी पार्टी की तरफ से महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती हूं। महिलाओं के हित की बातें सिर्फ कागजों में ही न रहें, उसे धरातल पर भी उतारा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, नया संसद भवन राष्ट्र के उदय का प्रतीक बन रहा है। यह भवन अलौकिक और अनुपम है। स्वतंत्र भारत की अपनी वास्तुशिल्प से बना है। यहां प्रवेश के बाद प्रथम सत्र में जो बिल आया है, यह संकेत करता है कि यह अभी तो शुरूआत है। अभी यहां से बहुत कुछ होगा जो निर्णायक और अभूतपूर्व होगा।

लोक सभा में पेश नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा निर्णय है, जिसमें नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने दिखा दिया है विमन लेड इम्पॉवरमेंट मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं, एक संकल्प है, जो सिद्धि तक पहुंचेगा। यह सदन उसका साक्षी बनेगा, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए देश की करोड़ों-करोड़ मातृशक्ति की ओर से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति हम हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर लोकतंत्र के इस नव मंदिर में हम सब लोगों ने प्रवेश किया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी नेतृत्व में हमारी पुरातन संस्कृति और हमारी ज्ञान परंपरा को यह भवन पुनर्जीवित करता है। नारी शक्ति वंदन विधेयक से श्रीगणेश कर भारत की एक नई तस्वीर और तकदीर लिखेगा। जिस प्रकार से सब लोगों के विचार आ रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ? इतना वक्त कैसे लग गया?

आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इतने वर्षों तक यह बिल नहीं आया, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? इतने वर्षों तक नारे आए, वादे आए, लोगों को गुमराह किया गया। लेकिन सही मायने में मोदी जी जो कहते हैं, वह करते हैं, जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। इसीलिए अगर इस देश की जनता किसी पर अटल विश्वास करती है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेन्द्र भाई मोदी।

यह बिल निश्चित रूप से गौरवशाली परम्परा की देन है, हम सब लोग इसे आदि अनादि काल से देखें। कुछ लोग सनातन, कुछ लोग हिन्दू, कई बातें हमारे बीच कही गईं। लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है। उसमें नारी शक्ति का सम्मान है। कई लोग कहते हैं कि उनको बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सनातन परंपरा में

नारी को हमेशा ऊंचा रखा गया है। यह वही भारत है जिसमें हम भारत को माता का जयघोष भी करते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा, जहां भारत को भारत माता कहा जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ इस देश में कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आगे नारी शक्ति का नाम आता था, सीता माता, सीता राम आता था। हम लोग देखें, प्रभु कृष्ण के आगे भी राधा का नाम आता था, देवों के देव महादेव के आगे भी गौरी का नाम आता था। भगवान विष्णु नारायण के आगे भी लक्ष्मी का नाम आता था। हमारी गौरवशाली परंपरा आज से नहीं है, आदि-अनादि काल से चली आ रही है। हमारे लिए माँ और देश को स्वर्ग माना गया है। महिला शक्ति हर क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां का गौरवशाली इतिहास है, चाहे रानी पदमावती हों, उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। पन्ना धाय ने स्वामी भक्ति के लिए अनुपम त्याग किया, मीरा बाई जी ने आध्यात्मिक गहरी छाप छोड़ी। हम सबने देखा, अमृता देवी बिश्नोई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए 365 महिलाओं के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। महिलाओं ने आज से नहीं, कई वर्षों से बलिदान दिया है। काली बाई भील ने अंग्रेजों से अपने गुरू को बचाने के लिए अपनी देह का त्याग कर दिया। हम ऐसे ही भीकाजी कामा को भुला नहीं सकते, जिन्होंने विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराया। यह देश सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला की उड़ान को भूल नहीं सकता है। यह वह देश है जिसके बारे में कहा गया है कि यहां कन्याओं की पूजा होती है और उनके पैर छुए जाते हैं। यह वह देश है जहां वधु के पहली बार घर में प्रवेश करने पर उसके चरणों को पूजा जाता है। जैसे मेरे मित्र ने अभी कहा कि इस देश में कई शासक रहे और महिला शासक भी रहीं, चाहे गोंडवाना की रानी दुर्गावती हों, चाहे इंदौर में अहिल्या बाई होल्कर हों, चाहे किट्टूर की रानी चेन्नम्मा हों, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, रामगढ़ राज की रानी अवंतीबाई हों, मराठा राज की रानी ताराबाई मराठा हों, चाहे गुजरात की नायकी देवी हों, उन्होंने न सिर्फ शासन किया बल्कि पराक्रम में भी अपनी छाप छोड़ी। इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम लिखा हुआ है।

मैं गुजरात की नायकी देवी का उदाहरण देना चाहता हूं। मोहम्मद गौरी ने महिला समझकर आक्रमण किया क्योंकि उसने गुजरात के रास्ते से प्रवेश करना था, लेकिन नायकी देवी की सेना ने

उसे वहां से खदेड़ दिया और इसके बाद कभी मोहम्मद गौरी ने गुजरात की तरफ नहीं देखा। आज उसी भूमि के माननीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी हैं, अब मां भारती की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। यह देश इसीलिए अटूट विश्वास करता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और अमित शाह जी हैं तो यकीन है। आज लोगों ने कहा कि नारियां अशक्त नहीं शक्त होती हैं, वे उजाड़ती नहीं हैं, बसाती हैं, विध्वंस नहीं करतीं, सृजन करती हैं। इस बिल से सृजन का प्रस्फुटन होगा। मैं सोचता हूं कि इससे नारी शक्ति का और सशक्तीकरण होगा। इन लोगों ने अपनी बात छिपाने के लिए काफी बातें कही हैं। वे इतने वर्षों तक यह काम नहीं कर पाए तो फिर किस बात का पेट में दर्द है? यह सही है कि इस देश में ऐसी कई विदुषी नारियां हुईं, जैसे माता अनुसुइया, माता सावित्री, माता कात्यायनी, माता गार्गी ज्ञान से परिपूर्ण थीं और इनका देश के गौरवमयी इतिहास में नाम अंकित है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि अब तक क्यों आरक्षण क्यों नहीं हुआ? मैं जिस प्रदेश से आता हूं, राजस्थान में नारी की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, चाहे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हो या कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची हो,आईसीयू में महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है। जो नारी की रक्षा नहीं कर सकते वे किस प्रकार प्रश्न चिह्न लगा सकते हैं?

माननीय सभापति: वाइंड अप करें।

… (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आज इनकी पार्टी की महिला विधायक वहां कहती है कि इस प्रदेश में मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं।

माननीय सभापति: श्री असादुद्दीन ओवैसी।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I thank you for giving me the opportunity. On behalf of my Party, I stand here to oppose this legislation Justification being given for bringing in this legislation is to ensure that more women get elected to the Parliament and the State Assemblies. If that is the justification, why is that justification not being extended to the OBC women and to the Muslim women whose representation in this august House is minimal, very less.

15.49 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

Secondly, we know that Muslim women are seven per cent of the population. But in this Lok Sabha, their representation is only 0.7 per cent. We know for a fact that the annual dropout rate of Muslim girls is almost 19 per cent, while it is 12 per cent for other women. Nearly half of the Muslim women are illiterate. The Modi Government wants to increase representation for *savarna* women. They do not want representation for OBC women and for Muslim women.

About 690 women MPs have been elected till the 17^{th} Lok Sabha. Out of those 690 MPs, only 25 have come from the Muslim community. In 1957, 1962, 1991, and 1999, no Muslim woman got elected. I would like to bring to the notice of the august House that this number has never gone beyond four Members. When I hear that reservation cannot be given on religious grounds, then what is this Presidential Order of 1950? You are deceiving the Muslim community by denying them a quota in this women's reservation. A Muslim woman faced double bind discrimination, as a woman and as a Muslim also.

This Government does not want to live in a world where the marginalised people get substantial representation. You want a Parliament which consists of only *bade log*. You do not want people from *chote log* to enter this august House. This Bill will deny a fair share to OBCs. This Bill will close the doors for the Muslim representation in the Parliament and Assemblies. We know for a fact that with the rise of Hindu majority and nationalism and with the formation of Hindu vote bank by BJP, the Muslim representation has gone down and will go down further. Is this good for our country - the politicalisation of Muslims? Is this good for our country? No, it is not at all good for our country. Is this an inclusive legislation? No, it is an exclusive legislation for those people who are already represented in this august House.

Hon. Chairperson, Sir, may I bring to your notice that this selective affirmation is an election stunt. The Prime Minister comes from an OBC community. You have only 120 OBC MPs in the august House. You have 232 Members from the upper caste. The Prime Minister says that he is an OBC. But you are not looking after your own OBCs. Is this your love for OBCs? Only 22 per cent OBCs are here in this august House. The Government talks about Vandan. What sort of Vandan is this when Bilkis Bano's rapists are released? You talk about Vandan when female workforce participation has declined from 30 to 19 per cent. What sort of Vandan is this when 63 million women are missing and have disappeared? What sort of Vandan is this when from 2017 to 2022, 22 million women dropped out from workforce, leaving only nine per cent eligible population employed or looking for jobs. What is this Bill? This is a women-deception Bill.

This is a cheque bounce Bill. This is anti-OBC and anti-Muslim women Bill. This is a distraction Bill. This is not an inclusive Bill. This is an exclusive Bill.

May I conclude by saying that no women MP has entered here from Jain community. Can Amit Shah stand up and say as to why is there no MP from the Jain community? Can Gujarat people stand up and say as to why from 1984 not a single Muslim MP got elected from Gujarat?

Hon. Chairperson, Sir, in conclusion, I would say that I would blame ... * and ...* for deceiving the minorities in the Constituent Assembly. Had they been honest, the Muslim representation would have been higher over here? …(*Interruptions*) That is why, I oppose this Bill.

Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The names of ... * and ... * should be removed.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Those names will be removed from the record.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Those names will be removed. That will be expunged. The Chair has already given directions for expunction.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now, hon. Member, Shri Chirag Paswan.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Nothing is going on record except the speech of Shri Chirag Paswan.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

… (Interruptions) …[**]

SHRI CHIRAG KUMAR PASWAN (JAMUI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity.

128वें संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में मैं अपनी बातों को यहां पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। … (व्यवधान) दो दिन पहले जब पुरानी संसद में और मौजूदा संविधान सदन में मैं अपनी बातों को, अपने अंतिम संबोधन को वहां पर रख रहा था, तो उस वक्त इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब नई संसद में जाएंगे और उस संसद में जो पहला संबोधन होगा, वह देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ होगा। यकीनन, यह हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इससे लगभग हर व्यक्ति सहमत होगा।

यह मांग लंबे समय से हर राजनीतिक दल के हर राजनेता की रही है, लेकिन हर राजनीतिक दल ने इस पर अपनी राजनीति भी खूब रची। इस कानून को बेहतर बनाने की आड़ में, इस कानून को सशक्त करने की आड़ में और महिलाओं को और अधिकार देने की आड़ में लगातार, निरंतरता में इस विधेयक को लटकाया गया। इसको संसद में आने से रोका गया। यही कारण है कि पिछले 27 सालों से यह कानून अभी तक मूल स्वरूप में नहीं आ पाया और धरातल पर नहीं उतर पाया, क्योंकि इसमें सिर्फ राजनीति होती गई। डॉ. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी समाज या किसी भी देश के विकास के मापदंड को परखना है तो आपको वहां की महिलाओं के विकास को देखना होगा। हमारे देश से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे देश के सर्वोच्च पद पर न सिर्फ एक महिला बैठी है बल्कि अनुसूचित जनजाति से आने वाली वह महिला आज हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। इससे बेहतर महिलाओं के लिए और क्या होगा। आज की इस तमाम चर्चा में तीन बातें बहुत मजबूती से सामने आई हैं। एक कि इसमें देरी होगी, सेंसस आएगा और उसके बाद इसमें डिलिमिटेशन होगा, तब जाकर यह कानून धरातल पर उतरेगा। अगर विपक्ष को देरी की इतनी ही चिंता थी तो इन 27 सालों में क्यों नहीं यह कानून आ गया था? क्यों नहीं

[**] Not recorded.

इस कानून को उस वक्त लाया गया था, जब इसी तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के कई नेताओं ने रोकने का प्रयास किया था। इसको सशक्त करने की आड़ में रोका गया। अगर उस वक्त यह कानून आ गया होता तो आज जो बाकी की लंबित मांगें हैं, वे भी पूरी हो जातीं।

दूसरा मुद्दा आरक्षण को लेकर उठाया गया। 'रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन', डेफिनेटली हम सब इसके पक्षधर हैं। हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन, मेरा यह विश्वास भी मेरे प्रधानमंत्री पर ही है। आज से तीन साल पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर जब मैं अपनी बातों को रख रहा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरा विश्वास सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री पर है, क्योंकि इन्हीं में यह इच्छाशक्ति है कि वे इस कानून को ला सकते हैं और इन्होंने आज वह करके दिखाया। यह मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में, आप पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद जिस वर्ग से आते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, जिन्होंने रोहिणी कमीशन के गठन का कार्य किया, क्या उन पर आप अविश्वास करेंगे? अगर इन्होंने अभी तक इतने कार्य पिछड़ा वर्ग के लिए किए हैं तो यकीनन मेरा विश्वास है और जहां मेरा विश्वास है, वहीं मैं अपनी लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) की तरफ से यह आग्रह भी करूंगा कि जल्द से जल्द इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा जाए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए भी इसमें रिजर्वेशन हो और उनके लिए इसमें सीट आरक्षित की जाए।

सर, एक अंतिम बात, मीडिया के माध्यम से और अपनी बातों से यहां एक अविश्वास का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है कि यह सिर्फ जुमला चल रहा है। इनके पास इतना समय था, विपक्षी दलों के गठबंधन के पास पूरा समय था, अगर ये चाहते तो तब से लेकर अभी तक इसको ले आते, लेकिन नहीं लाना इनकी नीति इनकी नीयत को दिखाता है।

सर, अंत में, मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक्युजेशन्स बहुत लगाए गए, लेकिन इनकी तरफ से सजेशन्स नहीं आए। मैं यह आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इस कानून को तमाम दल, जो इससे सहमत हैं, सर्वसम्मति से इसको पारित करें। अंत में, मैं एक शब्द अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से,

जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है, जमुई के लोग, हाजीपुर के लोग और बिहार की पूरी जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए ढेर सारी बधाई दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): धन्यवाद सभापति महोदय । आज सदन में संविधान (एक सौ अट्ठाइसवां संशोधन), विधेयक 2023 पर चर्चा हो रही है। अच्छा तो यह होता कि 17 तारीख को जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, उसके अंदर यह एजेंडा आता कि हम महिला आरक्षण का बिल लेकर आ रहे हैं तो विस्तार से उस पर चर्चा होती। जो सारी जानकारी थी, उसके बारे में सारी पार्टियां अपनी बात रखतीं। उसके बाद इसको रखा जाता। अचानक से विशेष सत्र बुलाया गया। हम सबको लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा क्या विशेष हो गया। बात चली कि एक साथ चुनाव हो रहे हैं, 'एक देश, एक चुनाव' और दूसरे कई तरह के विधेयक लाने की बात चली। लेकिन, जब यह बिल लाया गया तो मैं और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महिला आरक्षण का पक्षधर है और हम इस बिल का समर्थन करते हैं। लेकिन, देश में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी हो, इस दिशा में हमने हमेशा अवाज उठायी है।

16.00 hrs

सभापति महोदय, जब बिल आया, तो शायद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को भी नहीं पता था। उन्होंने बिल नहीं पढ़ा था। कई सदस्य ऐसा भाषण दे रहे थे कि पूरे संविधान में संशोधन हो गया है। मैंने एक-दो लोगों को देखा था। वे बिल नहीं पढ़ पाए थे। जब बिल को पढ़ा, तो उसमें यह लिखा था कि ये पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होंगे।

सभापति महोदय, जैसे ही यह पढ़ा, तो समझ में आ गया कि आपने देश में फिर एक जुमला छोड़ दिया है। पांच राज्यों में चुनाव हैं। वर्ष 2024 में लोक सभा का चुनाव है। मैं आपको वर्ष 2014 की बात याद दिलाता हूं। जब वर्ष 2014 में आपका घोषणा पत्र आया था, तो उसमें आपने यह बात कही थी कि हम महिला आरक्षण बिल को भी पारित करेंगे। आपने वर्ष 2014 में ये वादा किया था। जब वर्ष 2019 आया, तब आपने इस बात को अपने घोषणा पत्र में नहीं रखा। आपका यह एजेंडा था

कि अभी इसको कर दें। जब मीडिया ने कल छापा कि बिल पारित हो गया था, तो देश के कोने-कोने और ढाणी-ढाणी तक बात पहुंच गई कि महिलाओं को आरक्षण मिल गया और जहां चुनाव हो रहे हैं, तुरंत ही इतनी महिलाएं एमपी और एमएलए बन जाएंगी। हम इस बिल का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। इस देश में आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक चाहे आप लीडरशिप की बात करें, बलिदान की बात करें, जो हमारे लोग थे, उसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था और अपनी तलवार की धार से दुश्मनों को झुकाया और भगाया।

सभापति महोदय, केन्द्र की जो सरकार है, इस बिल की आड़ में उस पर सवालिया निशान उठ गया कि प्रतिबद्धता को लेकर जो दावे किए गए हैं, वह खोखले नज़र आएं। जब देश में केन्द्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, अपराध, देश में बेरोजगारी, सेना में अग्निवीर, किसान आंदोलन, महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता आपकी सरकार से सवाल करने लगी है। उन मुद्दों को छुपाने के लिए आप यह बिल लेकर आए हैं। यदि आप वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, तो वर्ष 2014 से एनडीए की सरकार है। आज 9 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है, आपको इतने वर्षों के बाद महिला आरक्षण का विषय कैसे याद आया? यह बिल आपकी प्राथमिकता में क्यों नहीं था? इसके बारे में देश की जनता आपसे जानना चाहती है।

सभापति महोदय, मैं विधेयक में लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण से जुड़े बिंदु को पढ़ रहा था। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के बारे में आपकी क्या मंशा है? हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी संविधान प्रदत्त आरक्षण रूपी हक को मद्देनजर रखते हुए उचित प्रतिनिधित्व देने का क्लॉज़ रखा जाए। जब आप जवाब दें, तो इस बात पर भी सरकार की मंशा के बारे में बताएं। वर्ष 2010 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष थे और सदन में महिला आरक्षण बिल के पास होने पर उन्होंने इसे अपने लिए गर्व और सम्मान का ऐतिहासिक पल कहा था। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज उस समय लोक सभा में विपक्ष की नेता थी। वह इस बिल की सबसे प्रमुख पैरोकारों में से एक थीं। लेकिन आज वर्ष 2023 में विडंबना यह है कि उनकी पार्टी बीजेपी दूसरी बार सत्ता में भारी बहुमत

से काबिज़ होने के बाद भी यह बिल 10 सालों तक लटका रहा। अब चुनाव कब होगा? वर्ष 2026 तक डीलिमिटेशन फ्रीज है। वर्ष 2029 में होगा, 2033 में होगा, 2047 में होगा, 2052 में होगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा? आपने तो जुमला छोड़ दिया। …(व्यवधान) देश इस बात के लिए आपसे हिसाब मांग रहा है।

सभापति महोदय, आज दुनिया की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का दावा करने वाले हमारे देश की महिलाएं …(व्यवधान) मध्य युग से भी ज्यादा सामंती सोच, असंवेदना, असुरक्षा, हिंसा, वीभत्स तथा विभिन्न अपराधों का शिकार बन रही हैं। आज सवाल यह है कि बड़ी संख्या में महिलाओं के लापता होने एवं यौन उत्पीड़न के सवाल पर बहस क्यों नहीं छेड़ी जाती है? बहस इस बात पर भी होनी चाहिए कि दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कानूनों को कठोर किया गया, लेकिन कानून बन जाने के बाद भी स्थितियां क्यों नहीं सुधरी हैं? चिंता का कारण है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कोई विशेष कमी आती नहीं दिख रही है। वे पहले की तरह यौन अपराधों का शिकार बन रही हैं, लापता हो रही हैं। छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, लापता होने और दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाए जाने की घटना के वीडियो वायरल की बात हो या राजस्थान के प्रतापगढ़ में धरियावद जिले में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर वीडियो वायरल करने का मामला चिंताजनक है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-21 के बीच मात्र तीन वर्षों में देश भर में 13,00,000 से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। इन लापता हुई लड़कियों और महिलाओं में दलित, आदिवासी जनजाति की संख्या ज्यादा थी। मेरा यह निवेदन है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज कनक्लूड कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि महिला उत्पीड़न एवं महिला अत्याचारों पर भी सदन के अंदर एक दिन चर्चा हो, ताकि सभी माननीय संसद सदस्य अपनी बात रख सकें। देश

के अंदर जो प्रमुख आरक्षण आंदोलन है। आज सदन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। चूंकि आरक्षण का विषय है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर सहित अन्य ऐसे राज्यों में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण का दर्जा मिला है, लेकिन केन्द्र में नहीं है। …(व्यवधान) उन्हें केन्द्र में ओबीसी आरक्षण देने …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please wind up. Your time is over. Please conclude.

श्री हनुमान बेनीवाल : हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लें। … (व्यवधान) सर, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आप मुझे एक मिनट दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Please wind up.

श्री हनुमान बेनीवाल: सर, थोड़ा आप तो हमारा ध्यान रखें। गुर्जर आंदोलन, हरियाणा और राजस्थान के जाट आरक्षण आंदोलन में मुकदमे दर्ज थे, वे वापस लिए जाएं। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन कर रहे हैं। मराठों का इतिहास देखिए, उन्होंने धर्म को बचाया। मराठों को भी आरक्षण मिलना चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Navneetji, you can start.

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महिलाओं के आरक्षण का जो बिल है, इस पर पहले तो इस पार्लियामेंट में जितनी भी महिला रिप्रेजेंटेटिव्स होकर गई हैं, उनको दिल से नमन करना चाहूंगी। … (व्यवधान) आज जितनी महिलाएं इस सदन में हैं, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन सभी को मैं दिल से नमन और अभिनंदन भी करना चाहूंगी। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. A *mahila* Member is speaking.

श्रीमती नवनित रवि राणा : बेनिवाल भईया, राजस्थान के इलेक्शन हैं, हम सभी को पता है।

HON. CHAIRPERSON: Navneetji, please start.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: Sir, I have already started. But in-between, he was speaking. So, I have stopped again… (*Interruptions*) इस पार्लियामेंट में आज जितनी भी महिलाएं चर्चा कर रही हैं कि आरक्षण होना है और होना चाहिए तथा हम सभी महिलाओं की इच्छा है, लेकिन यह बात भी सच है कि हम से ज्यादा पुरुषों की भी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों की इच्छा नहीं है। हमारा आरक्षण इस पार्लियामेंट में आना चाहिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई देता है तो देश के प्रधान मंत्री जी देते हैं। उनकी इच्छा है और उनका सपना है कि महिला इक्विली ट्रीट हों, सिर्फ उनका भाषण में मान-सम्मान न हो। उनके अधिकारों के लिए भी उनका बिल इस पार्लियामेंट में आना चाहिए। इसलिए इस देश के हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगी। इस पार्लियामेंट में बहुत सारी महिलाएं इस बिल के पहले भी रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर आई हैं, चाहे उनमें सुषमा स्वराज जी हों, जय ललिता जी हों, बंगाल की अब की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी हों और मायावती जी हों, ये सभी महिलाएं अपने अधिकार से लड़कर और किसी ने अभी बहुत अच्छा कहा कि बहुत सारे पुरुषों के सामने लड़कर महिलाएं यहां तक पहुंचती हैं। इसमें एक भी गलत शब्द नहीं है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके हम महिलाएं यहां तक आती हैं।

सभापति जी, कई अपोज़िशन के नेताओं को अभी मैंने बोलते हुए सुना कि महाराष्ट्र हो या बंगाल हो और अन्य राज्यों में भी हम आरक्षण लाए हैं। हम एक लड़की हैं या हम चाइल्ड हैं, ऐसा बोलते हुए मैंने अभी कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सुना है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे निर्णय की

बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरूआत की और हमारे महाराष्ट्र में जिला परिषद और जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें हमें आरक्षण मिल गया है। मेरा एक सवाल कांग्रेस पक्ष से भी रहेगा। आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारा सपना था और हम यह बिल लाए थे। मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि अगर यह आपकी इच्छा थी, आपका सपना था तो 27 वर्षों में आप यह पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ नौ वर्ष हुए हैं और नौ वर्षों में वह महिलाओं के अधिकारों के लिए इस बिल को लाए भी हैं तथा पेश भी किया है। हम महिलाएं और देश की महिलाएं इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि आज यह बिल पास भी होगा। पूरे देश की जनता और जितनी भी महिलाएं हैं, वह यह आवाज सुन रही हैं कि मोदी जी ने सिर्फ महिलाओं के मतदान का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि महिलाओं को अधिकार देने का काम इस पार्लियामेंट में किया।

सर, हमने इस पार्लियामेंट में पहले दिन कदम रखा और जब हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं तो महिला से शुरूआत करते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं तो महिलाओं के नाम से जय-जयकार होती है, लेकिन इस पार्लियामेंट और हमारे पूरे सदन का दुर्भाग्य है कि आज तक महिलाओं के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मंचों पर किया गया, लेकिन अधिकार देने की बात किसी ने नहीं की। अगर मंशा इतनी स्पष्ट थी तो महाराष्ट्र की बात करते समय जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो इनको यह भी उत्तर देना पड़ेगा कि आज तक महिलाओं को न मुख्य मंत्री का पद दिया गया, न ही उप मुख्य मंत्री का पद दिया गया। इनको यह भी उत्तर देना चाहिए कि अगर महिलाओं से इतना प्यार और विश्वास है तो महाराष्ट्र में आज तक महिलाओं पर इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया, सिर्फ शब्दों में विश्वास और सिर्फ मतदान के लिए विश्वास रहा।

मुझे लगता है कि सिर्फ मतदानों के लिए किया गया है, लेकिन मोदी जी ने हमारी भावनाएं...ऐसा नहीं कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तभी हम लड़ के पार्लियामेंट में आएंगे। नहीं सर! हमारे ग्रेट लीडर्स ने, हमारे ग्रेट हीरोज़ ने, सभी ने ... (व्यवधान) डोन्ट डिस्टर्ब सर। महिलाओं को बोलते हुए बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

… (Interruptions)

श्रीमती नवनित रवि राणा : मुझे लगता है कि महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो this Parliament has to listen. आपकी तरफ से तो ज्यादा सुनना चाहिए, जिन्होंने 60 वर्ष तक राज किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का यूज़ किया और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

… (Interruptions)

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: Sir, I am coming to that point. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

Hon. Member, Shrimati Kavitha.

… (Interruptions)

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA: I have already spoken about the President; you do not have to tell me. हम महिलाओं के सम्मान के लिए यहां खड़े हैं, महिलाओं के द्वारा महिलाओं का अपमान करने के लिए यह मंच नहीं है। इसके लिए यह पार्लियामेंट नहीं है … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

… (Interruptions)

श्रीमती नवनित रवि राणा : सर, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि रानी झाँसी लक्ष्मीबाई जी, आई जीजाऊ जी, आई रमाई जी, सावित्री जी, जिन्होंने हमें शिक्षण का अधिकार दिया। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मतदान का अधिकार दिया। आज यह पार्लियामेंट मोदी जी के द्वारा हमें हमारा अधिकार, हमारी ताकत और हमारे में फिर से एक बार विश्वास जगाया कि हम आने वाले समय में बराबरी में खड़े होकर निर्णय ले सकें।

सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अमित भाई शाह भी यहां बैठे हैं। आप लोगों की भावना साढ़े चार वर्षों में सभी महिलाओं ने महसूस की है। जिस तरीके से एक सांसद को हर बार अपने विचार रखने का मौका दिया। हमें चांस दिया कि आग बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं।

सर, मैं लास्ट में दो लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करती हूं-

सम्मान तुम हो, स्वाभिमान तुम हो, अभिमान तुम हो
दिल अपना कभी न दुखाना, उस विधाता का विधान तुम हो।

सर को मैं दिल से धन्यवाद करूंगी कि हम जैसी नॉर्मल फैमिली बैकग्राउण्ड से आने वाली महिला को आने वाले समय में बहुत मौका मिलेगा कि पार्लियामेंट में आकर अपना टैलंट, अपनी जिद और अपनी लड़ाई दिखा सके। धन्यवाद।

श्रीमती कविता मलोथू (महबूबाबाद): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं भारत देश से अकेली बंजारा महिला सांसद हूं और मुझे यहां पहुंचने का मौका मुख्यमंत्री के.सी.आर. साहब ने दिया है। इसके लिए मैं हमारी बंजारा महिलाओं की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूं।

*I am very happy and feel fortunate that as a woman Member of this House I am participating in this prestigious Women Reservation Bill to give 33 per cent reservation for women. Though the whole country is happy about the Women's Reservation Bill that is being passed today, women are unhappy at the way it will be implemented. I request the Government to take into consideration these aspects. Our leader KCR with his farsightedness passed a Resolution in 2014 in Telangana Assembly to provide 33 per cent reservation for women and reservation for OBCs, and sent that Resolution to the Union Government. In Telangana state, women are being provided with 50 per cent reservation in MPTCs ZPTCs and Market Committee Chairman posts. This shows that our

---

* English translation of the Speech originally delivered in Telugu.

leader KCR is in favour of women empowerment. If the Union Government resorts to delaying tactics in implementing this Women's Reservation Bill the people of this country will perceive this step as an act to garner more votes before elections. Therefore, I request the union government to take steps to implement the Women's Reservation Bill by 2024 elections. I request on behalf of women to implement reservation for women as per the present census immediately. Actually, census should have been conducted in 2021 but due to corona pandemic, that got delayed. I request the Government to go for the census immediately and not to delay implementation of this Bill in the name of delimitation process. On behalf of BRS party, I request the Government to implement this reservation in 2024 elections. I thank you for giving me this opportunity.

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity.

Today, I stand before you on behalf of my Party, Telegu Desam, to address a pivotal moment in our Parliamentary proceedings – the discussion surrounding the Women's Reservation Bill, 2023. This legislation holds the potential to reshape our democracy and empower women across our great nation.

First and foremost, I want to commend the Government and the hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji for taking this bold step towards achieving gender parity in our political landscape. The Women's Reservation Bill, if passed, will reserve 33 per cent of seats for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies, marking a significant stride towards gender equality and female empowerment.

The need for such a Bill cannot be overstated. India, with its rich history and diverse culture, is home to a vast pool of talent, intelligence, and leadership potential among its women. Yet, despite making up nearly half of our population, women remain under-represented in the political sphere. This Bill addresses this imbalance head-on, recognizing that true democracy can only thrive when all voices, irrespective of gender, are heard and valued.

Let us not forget that the call for gender equality and respect for women's roles in our society are deeply embedded in our culture, tradition, and history. From our ancient texts to our rich mythology, Indian culture has celebrated the divine feminine energy. Goddesses like Saraswati, Lakshmi, and Durga symbolize wisdom, prosperity, and strength respectively. This profound reverence

for the feminine underscores the fact that empowerment of women is not just a modern concept but a timeless value woven into the fabric of our civilization.

Sir, in our history, we find inspiring examples of women who displayed unparalleled courage and leadership. Women like Rani Lakshmi Bai of Jhansi and Rani Rudramma of the Kakatiya dynasty, a Telugu lady, often referred to as 'Warrior Queens', valiantly resisted colonial rule and continue to inspire us today. These courageous women exemplified the strength, determination, and unwavering commitment to our nation's cause. Women like Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi, Aruna Asaf Ali, Bhikaji Cama, and Durgabai Deshmukh, a lady from Andhra Pradesh, were not just poets, supportive partners, or flag-bearers. They were dedicated freedom fighters who worked tirelessly alongside male leaders, enduring hardships and making immense sacrifices to secure India's independence. Their contributions are a testament to the vital role women have always played in our nation's progress

Indira Gandhiji, the first woman Prime Minister of India, was not just a prominent political figure but a dynamic force in shaping our nation's destiny.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KESINENI SRINIVAS: Sir, I am concluding in just two minutes.

Her leadership during challenging times left an indelible mark on India's political landscape, proving that women can excel in roles traditionally dominated by men. Moreover, it is a matter of great pride that the founder of Telugu Desam Party, Nandamuri Taraka Rama Rao Garu was the first in this country to bring in and execute legislation for equal inheritance rights for women way back in 1985 in

the State of Andhra Pradesh. This ground-breaking move set a precedent for the entire nation, ensuring that women had an equal share in family property. Remarkably, this visionary policy was eventually implemented across the country twenty years later in the year 2005, creating a more equitable society.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI KESINENI SRINIVAS: Sir, I will conclude within one minute.

Our present Leader and former Chief Minister, Chandrababu Naidu Garu has consistently demonstrated his commitment to women's empowerment. His administration was not just about words but concrete actions. Chandrababu Naidu made history by appointing a woman named Shrimati Pratibha Bharati as the Speaker of the Andhra Pradesh Assembly in the year 1999, making her one of the first women to hold this prestigious position in our country.

HON. CHAIRPERSON: Now, hon. Member, Shrimati Sumalatha Ambareesh.

… (Interruptions)

SHRI KESINENI SRINIVAS: Sir, I am just concluding. Please let me read just one paragraph.

This move showcased our Party's unwavering dedication to gender equality and empowerment. Chandrababu Naidu Garu is not just a Leader; he is a strong advocate of women's empowerment. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down now. Your time is over.

… (Interruptions)

SHRI KESINENI SRINIVAS: Sir, I am just concluding. … (*Interruptions*)

The Women's Reservation Bill, 2023, is not an isolated legislative effort. It aligns seamlessly with the Telugu Desam Party's long-standing commitment to women's rights and empowerment. It is a continuation of the party's legacy of championing gender equality and ensuring women's prominent place in the political arena.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): As I stand to speak for the first time in our new Parliament building, I am filled with pride and pleasure—that is, the long-awaited Women's Reservation Bill that I am getting an opportunity to speak about.

While we are celebrating 75 glorious years of our Parliamentary journey, I have to mention that I am the first independent woman MP from Karnataka. I am very well versed in the challenges we women face when we choose to enter public life. There was a time when women were not even considered eligible to vote. We have to remember some of our great leaders, like Savitribai Phule, Sarojini Naidu, and, of course, Dr. B.R. Ambedkar, who have fought and pioneered women's rights in our country. We have travelled a long path of challenges to come to realise the aspirations of millions of our women, who are deserving and capable of playing an important role in the most important decision-making bodies of our country.

Sir, I come from Karnataka, where women like Kittur Rani Chennamma, Abbakka Rani, and Onake Obavva were celebrated as icons of bravery and women's pride. In parts of Karnataka, we have also been following a system of Aliya Santana which follows the maternal system, where women are considered

superior in every way. This I consider part of Sanatana Dharma. Bharat is the only country that calls a woman a Shakti, or Shakti Swaroopani. It is also, I believe, a reflection of Sanatana Dharma today.

Dreams are dreams unless and until you have the will and conviction to make them a reality, and I thank the hon. Prime Minister, Modi, and his Cabinet for having the conviction and the will to demonstrate this truth today. This Bill will help us achieve the United Nations-mandated Sustainable Development Goal No. 5, which focuses on women's empowerment and gender equality.

Today, as we stand on the cusp of this great Bil which attempts to bring more representation for women who have been under-represented for so long in our country, I wholeheartedly welcome and support this Bill. I believe this will help us bring closer to changing the course of countless women in our country. Thank you for giving me this opportunity.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairperson, Sir, for affording me this opportunity to have my maiden speech in the new Parliament House. Since it is the maiden speech, sufficient time may be given.

HON. CHAIRPERSON: No. Within three minutes, you have to conclude your speech.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, first, I would like to support the Bill, subject to certain reservations and amendments that I would like to move.

First of all, I would like to seek clarification from the Cabinet colleagues. Even the Prime Minister yesterday, at the time of the introduction of the Bill was eliciting that this Bill is the Nari Shakti Vandan Bill*. Today, the Cabinet colleague, Smriti Irani ji, said that this is a* Nari Shakti Vandan Adhiniyam*. This is a Constitution Amendment Bill, which has to come separately before Parliament to explain the details of reservation, etc. But I can't understand the Constitution Amendment Bill already being given in another name, that too, in Hindi. Even the Constitution and the Rules are very specific in that the nomenclature of the Bill has to be in English, but it is quite unfortunate that almost all the legislation… (Interruptions)*

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, in the List of Business, it is clearly mentioned as the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill. Now, how do we refer it? Definitely, there are different names for a Bill. It has been there in the past also. This is not the first time. But when it is printed in the List of Business, it

is clearly mentioned as the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill. There should be no confusion in the minds of the hon. MP.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: *Nari shakti vidheyak* means Women's Empowerment Bill. … (*Interruptions*) This is a Constitution Amendment Bill providing reservation to the women. So, you can name it in any way. You can describe it in any way but the nomenclature of the Bill is, it is a Constitution Amendment Bill. There is no doubt about it.

Regarding the nomenclature also, I am not going into the details because I know there is no time.

HON. CHAIRPERSON: Yes, your time will go.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I fully support the Bill. Once again, I would like to say that I fully support the Bill. It is Constitutionally okay but at the same time, I would like to say that more than half of the population in the country, as we all know, are women. Definitely, women are playing an important role in the nation-building process. … (*Interruptions*) I think it is mistakenly done.

So, the participation of women in the policy making process should be adhered to because it is the need of the hour. The idea of boosting women's empowerment has been there from 1957 onwards. The reports of Bal Rai Mehta Committee in the year 1957, the Ashok Mehta Committee in the year 1978, and the National Perspective Plan for Women in the year 1988 are stressing the need for women's participation in the legislative bodies. So, it has been there back from the year 1957 onwards.

In the legislative history of India, for the first time, the reservation for women was sought to be incorporated or a Bill was being brought in the Parliament was by none other than the late Shri Rajiv Gandhi in the year 1989. Sir, 33 per cent reservation had been provided for women in the 1989 Constitution Amendment Bill. It was passed in the Lok Sabha but unfortunately, it was defeated in the Rajya Sabha. In defeating that Bill, the BJP was also a party to it. … (*Interruptions*)

So, in parliamentary history, in the legislative history of India, Rajiv Gandhi's name has to be remembered. It used to be memorised because he is the person who, for the first time, introduced the Bill by which 33 per cent of reservation for women was provided in the Parliament as well as in the State Legislative Assemblies. Yes, it is absolutely correct. Subsequent to it, in the year 1993, when P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister of the country, the 73rd and 74th Amendments had come into place, and there also, 33 per cent of reservation had already been provided for women.

Also, I would like to state that in my Kerala State Legislative Assembly, you may see, in the year 1990, by way of the District Council Act, 30 per cent reservation has been provided in the State of Kerala. In the Zilla Panchayat and the three-tier Panchayati Raj and Nagar Palika Institutions, now it is more than 50 per cent. As per the statistics of Kerala State LSGs, we are having 57.5 per cent participation of women in the Local Self-Governments in the State of Kerala. I would also support the speech made by Smt. Supriya Sule today.

Two questions have already been asked. Why is this Special Session for enacting such a law? This law would be applicable only after the Census and only after the delimitation process. That means we are getting a lot of time. Then, what is the need of having a Special Session so as to pass this legislation? This is my first question.

Also, 9.5 years have already lapsed. Yesterday, the hon. Prime Minister was making a speech in the Parliament saying that it was the wish of the God that the mothers and sisters of this country should get participation and that the opportunity or the fortune had been given to him so as to have a legislation for giving participation to women in the legislative bodies. If that be the case, already 9.5 years or one decade has passed. What prevented the Government from making a legislation in the first NDA Government led by Shri Narendra Modi Ji? The delay has to be explained.

Also, I would like to seek a specific assurance from the hon. Minister as to when the Government intends to implement the Bill. Kindly provide an assurance in the Bill so that we can support the Bill.

With these words, I conclude. Thank you very much for providing this opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, Shrimati Sandhya Ray.

....(Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, Shrimati Sandhya Ray has already started.

....(Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे : पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरा हक है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No Point of Order. She has already started delivering her speech.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Sandhya Ray, please continue.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have already called Shrimati Sandhya Ray's name.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nishikant ji, under what rule are you raising your Point of Order?

....(Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे : स्पीकर का डायरेक्शन 115 है। यह बात इनकरेक्ट है। जब ये वर्ष 1989 की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम किया है। … (व्यवधान) उस वक्त लोक सभा में हमारे केवल दो एमपी थे और केवल तीन एमपी राज्य सभा में थे। श्री अटल जी और श्री आडवाणी जी ने यदि उसके खिलाफ वोट किया होगा, यदि वे इसे साबित कर देंगे, तो मैं यहीं इस्तीफा दे दूँगा। … (व्यवधान) इन्होंने बीजेपी के बारे में गलत बात कही है। … (व्यवधान) उस समय लोक सभा में केवल दो एमपी थे और राज्य सभा में केवल तीन एमपी थे। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member Shrimati Sandhya Ray.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I have rejected it.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please sit down.

श्रीमती संध्या राय (भिंड) : माननीय सभापति महोदय, महिलाओं से संबंधित यह बिल नारी के वंदन का बिल है, यह बिल नारी के अभिनन्दन का बिल है, यह बिल नारी के सम्मान का बिल है, यह बिल नारी के गौरव का बिल है, यह बिल नारी के विकास का बिल है, यह बिल नारी की भागीदारी का बिल है और यह बिल नारी के सशक्तीकरण का बिल है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने एक पिता बनकर, एक बड़ा भाई बनकर, देश की आधी आबादी- हमारी बहनों का सम्मान कैसे बढ़े और नारी शक्ति कदम-से-कदम मिलाकर कैसे चले और वह समाज में अपनी भूमिका को पूरी ताकत के साथ निभा सके, इसके लिए काम किया। महिलाओं से संबंधित इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं देश की बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ, मैं कानून मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे नेतृत्व को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमारी बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण पहले ही दे दिया है, जिससे हमारी बहनें संगठन में भी अपनी भूमिका को निभा रही हैं। संगठन में काम करते-करते आज हमारी बहनें राजनीति में सशक्त बनी हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरा चम्बल का ऐसा क्षेत्र है, जहाँ से आज तक अनुसूचित वर्ग की कोई भी महिला सांसद नहीं बनी। मेरी पार्टी ने बिना आरक्षण के ही मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया। मेरी जैसी कई बहनें हैं, जो विधायक भी बन रही हैं और सांसद भी बन रही हैं। मैं पूरे नेतृत्व को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक अनुसूचित जाति वर्ग की बहन को नेतृत्व करने का मौका दिया।

वर्ष 2014 में भारत में मोदी जी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाईं, जिनमें 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना का लाकर उन्होंने बेटियों को सामाजिक अधिकार दिया। 'सुकन्या समृद्धि' योजना का लाभ देकर बेटियों को गौरव दिया, बेटियों को लखपति बनाने का काम किया, जिससे बेटियों का रेश्यो बढ़ा। पहले यह स्थिति थी कि एक हजार बेटों पर 850 बेटियाँ थीं। बेटियों को भ्रूण में ही मार दिया

जाता था। 'वन स्टॉप सेन्टर' चलाकर उन महिलाओं को जीने का अवसर प्रदान किया, जो किसी हिंसा से पीड़ित होती थीं, उनका जीवन संवारने का काम हमारी सरकार करती है।

प्रशिक्षण और रोजगार की योजनाएं चलाकर, इनके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता और कौशल को बढ़ाकर उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। 'स्वधा' योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में और उनके जीवन में उजाला लाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

ई-हाट के द्वारा महिलाएं अपनी हुनर को पहचान देते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ती हैं। 'उज्ज्वला' योजना के तहत भारत की नौ करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस देकर उनके जीवन को सुधारने का काम किया है। 'दीनदयाल अंत्योदय' योजना के तहत हमारी बहनों को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़ने का काम किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है और वे आत्मनिर्भर बनी हुई हैं।

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

श्रीमती संध्या राय : सर, मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए, मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं।

11 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को शौचालय देकर मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया मुद्रा लोन के तहत हमारी बहनों को उद्यमी बनाकर देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। विज्ञान में भी हमारी बहनें पीछे नहीं हैं, हमारी बेटियाँ एयर फोर्स में जा रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी है, नौ सेना और वायु सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, सीआरपीएफ में भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है।

ISRO में हमारी बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कि 27 फीसदी है। महिला पायलटों में भारत सबसे आगे है। यह हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है।

वर्ष 1996 में पहली बार श्री देवगौड़ा जी की सरकार बनी थी। उसमें महिला बिल पहली बार रखा गया, लेकिन तब विधेयक पारित नहीं हो पाया। इसके बाद वर्ष 1998 में अटल जी की सरकार आई। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

… (Interruptions)

श्रीमती संध्या राय : सर, मुझे सिर्फ दो-तीन मिनट और बोलने का मौका दे दीजिए। मैंने सुबह से तैयारी की हुई है। मैं अपने शब्दों में लिखकर लाई हूं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

… (Interruptions)

श्रीमती संध्या राय : वर्ष 1998 और 1999 में हमारे माननीय अटल जी की सरकार बनी। उस सरकार में इस महिला बिल को लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार चाहती, तो महिला बिल लोक सभा में वर्ष 2008 में पारित हो जाता, लेकिन सरकार न गिर जाए, इस डर से वे इसे लोक सभा में पारित नहीं कर पाए। वर्ष 2010 में राज्य सभा में 108वें संशोधन के तौर पर इसे पास कर दिया गया, लेकिन लोक सभा में आप इस बिल को पारित नहीं करा पाए, क्योंकि आपकी सरकार के कुछ सांसदों ने इस महिला बिल का विरोध किया था।

15वीं लोक सभा में हमारी नेत्री श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने इस बिल पर चर्चा की, अपनी बात रखी, लेकिन आपकी सरकार को सत्ता प्यारी थी। आपकी सरकार को महिलाओं को सशक्त नहीं करना था, इसलिए आपने इस महिला बिल की षडयंत्र के साथ लोक सभा में हत्या कर दी गई। 18 मई, 2014 को 15वीं लोक सभा भंग हो गई और महिला बिल की भी हत्या हुई। यह सब आपकी सोची-समझी साजिश थी। देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा देश को चलाने का अवसर आपको मिला था, लेकिन आपने देश को सशक्त बनाने की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया, बल्कि देश को एक कमजोर देश बनाकर, देश को डराकर रखा। … (व्यवधान) देश को मांगने वाला देश बना दिया। … (व्यवधान) मोदी जी की सरकार में आज महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और अपना परिवार चला रही हैं। … (व्यवधान) देश का किसान भी मजबूत हुआ है, देश का युवा भी सशक्त हुआ है।

HON. CHAIRPERSON: Sandhya Ray ji, you have taken enough time. Please sit down now.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Arvind Sawant.

… (Interruptions)

श्रीमती संध्या राय : देश की 11 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से निकालकर ऊपर उठाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। देश के हर वर्ग का विकास मोदी जी की सरकार कर रही है। देश आज देने वाला देश है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record except Shri Arvind Sawant's speech.

… (Interruptions) … *

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण के विषय पर आज यह विधेयक इस सदन में आया। इस सदन में आने के बाद यह पहला बिल है।

HON. CHAIPRERSON: Shri Arvind Sawant, please be brief.

… (Interruptions)

श्री अरविंद सावंत : सर, मैं दो-चार मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। यह इस सदन का पहला बिल है। यह पहली बार है और बिल भी पहला है। मैं सदन में एक चित्र देख रहा हूं। कुछ खामियां जरूर नजर में ला रहे हैं, लेकिन सभी की एक ही मांग है कि इस महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए।

इस मांग को लेकर जब मैं पीछे इतिहास में देखता हूं, तो अगर हम महाराष्ट्र से शुरू करेंगे, तो जीजा माता जी हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, ताराrani हैं, ये सब कर्तव्यवान महिलाएं हैं। जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, वे जीजा माता हमारी मां थीं। उन्होंने इस देश को स्वराज्य की भूमिका बताई और छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य लाया। उन्होंने स्वराज्य जीजा माता के

* Not recorded.

आशीर्वाद से लाया। सतजणाबाई आईं, मेहणाबाई आईं, उसी तरह से रिफॉर्मर्स आए। शाहू, फुले, अंबेडकर जी का नाम हम लेते हैं। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। पूरे महाराष्ट्र में क्रांति होती रही है।

आज भी मैं इतना ही कहूंगा कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, 'चले जाओ' की भूमिका हुई, तो मुंबई के ऑगस्ट क्रांति मैदान में 'चले जाओ' का नारा लगाया गया। महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब कौन लड़ेगा? सारे नेतागण को पकड़ लिया था। एक महिला खड़ी हुईं, जिनका नाम था – अरुणा आसफ अली। हाथ में तिरंगा लिया, भारत माता की जय बोली, लोग उनके पीछे चलते गए। अत: इस देश ने महिलाओं को देखा है, परखा है, अनुभव किया है। हमने अपने परिवार में अनुभव किया है कि हमारी मां, हमारी बहन किस तरह से अपना परिवार चलाती हैं। आज भी देश में इस तरह की महिलाएं हैं। आज महिलाओं के लिए लाए गए इस विधेयक पर लोगों ने बहुत सारी बातें कहीं कि कब-कब बिल आया था, कैसे आया था, देवगौड़ा जी के समय में कैसे आया, राजीव गांधी जी के समय में कैसे आया। सबसे पहले, वर्ष 1931 में, ब्रिटिश राज में सरोजिनी नायडू जी ने पत्र लिखा था कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। ब्रिटिशर्स को यह लिखने वाली महिला सरोजिनी नायडू जी थीं।

उनके बाद में ये सारे प्रयास हुए हैं, जिनके बारे में अभी सभी लोगों ने बताया है। वह आपने देखा है। मैं इतना ही कहूँगा कि सुरक्षा या आरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा की बात महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में मणिपुर का हादसा हुआ। महिला पहलवान धरने पर बैठीं, तब जाकर कोई नहीं रोया। यह सदमा भी हमारे दिल में है कि किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। एक तरफ हम आरक्षण दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन पर अत्याचार हो रहे हैं। आँसू भी नहीं बहा, गुस्सा भी नहीं जताया गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी और फिर लगता है कि आरक्षण दे तो रहे हो। आज भी इस सदन में 131 सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षित हैं। अब 33 प्रतिशत और है। उसमें ओबीसी, एससी-एसटी, सारी बातें हैं। हमारे वंदनीय हिन्दू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे कहते थे कि पहले महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करो। उन्होंने महिलाओं से कहा था कि आप जो पर्स लेकर घूमती

हो, उसमें छोटा चाकू रखो या मिर्ची का पाउडर रखो। जब भी सुरक्षा की बात आये तो उसकी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। इस आरक्षण से बहुत सारी महिलाओं को अवसर मिलेगा, लेकिन रोटेशन के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। जब रोटेशन आएगा, तो जो महिला इतना अच्छा काम पांच वर्ष करके आई है, वह रोटेशन में अगली बार क्या करेगी? वह उधर ही बैठेगी या चुनाव नहीं लड़ेगी? अगर वह लड़ेगी, पार्टी उसको टिकट दे देगी तो वह आरक्षण 33 प्रतिशत से आगे जाने वाला है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह आगे जरूर जाएगा। जैसे रेलगाड़ी में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में पुरूष नहीं जा सकता, लेकिन पुरूषों के डिब्बे में महिलायें जा सकती हैं। ऐसा आगे होने वाला है। आप इतना ध्यान में रखिएगा। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। जल्दी से जल्दी ये जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, पहली बात है कि यह बिल पूरा राजनीतिक है, चुनाव सामने रखकर इसे लाया गया है। जितनी असफलतायें महत्वपूर्ण विषयों पर इस सरकार की हैं, चाहे वह किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, महंगाई हो, इन सारे विषयों पर जो असफलता सामने आई है, उसको ढकने का एक नया प्रयास उन्होंने शुरू किया है। फिर भी प्रयास तो कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity.

First of all, I would like to congratulate and extend my gratitude to the current Government and our hon. Prime Minister, Modi ji for bringing about this historic Constitution Amendment Bill for women's reservation in Parliament and the Legislative Assemblies. I would also like to extend my gratitude to all Members present here today across party lines who have pretty much unanimously agreed to this and supported this legislation.

We know that while more and more women across the world are being elected to the Parliament, Legislatures, and other decision-making bodies, these spaces remain predominantly dominated by men. Women face several challenges entering elected offices because of discriminating social and cultural beliefs regarding a woman's role in society, traditional forms of Indian society, and restricted access to resources, especially education and political access.

Sir, here I would like to give a reference of a paragraph from Shri Ram Guha's book *India After Gandhi* where he narrates the story about the first Constituent Assembly where in the northern India a lot of women chose to get their names registered as so-and-so's mother or daughter as opposed to their own names. The then Chief Election Commissioner, Shri Sukumar Sen was very, very appalled by this practice. He asked his officers to register the names of women not according to the relation they had to the men in their families. Due to this, names of over 2.8 million women were struck down from the voters' list.

From then to now, we have come a very long way. We see that today we are standing here for women's reservation Bill.

Across the world, efforts have been made to tackle the matters of women's representation in the highest elected positions. In India, the topic of reservation for women in the Lok Sabha and the Legislative Assemblies has been under discussion for more than three decades with numerous attempts by different Governments to introduce such a Bill.

Various leaders from across party lines have played a pivotal role in making this happen. I would like to name leaders like Madam Sushma Swaraj, Madam Sonia Gandhi and Madam Brinda Karat. Across party lines, these women and many other leaders have played a pivotal role in bringing about this kind of a change.

The most recent version of this Bill, referred to as 'The Constitution (128th Amendment) Bill, 2023, was presented in this House yesterday in a Special Session of the Lok Sabha. The entire credit for this goes to our hon. Prime Minister Modi ji and the current Government.

Sir, why is it important that we have women's representation? As per the latest figures published by the Inter Parliamentary Union and the United Nations, as of 2023, India ranks 140 out of 186 countries when it comes to women's representation in Parliament. India has 15.1 per cent representation in the Lower House and only about 13.8 per cent in the Upper House. While representation in both the Houses has increased, these figures still remain very low.

Madam Sumalatha Ambareesh was talking about the matrilineal society. I also belong to a State which has a matrilineal society. Even in my own State, we have only three women legislators. From the North-East, there are only four women who are Members of Parliament today.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude, now.

KUMARI AGATHA K. SANGMA: Sir, just give me two minutes.

Also, India ranks 127 out of 146 countries in the global gender parity according to the World Economic Forum's Gender Gap Report. The index evaluates women's participation in four spheres, namely, economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment.

In terms of crimes against women, according to the National Crime Records Bureau, 2.44 lakh crimes against women were reported in 2012. This number jumped to about 4.28 lakh in 2021 implying a 42.96 per cent increase in the total crimes reported.

Today I am so grateful and honoured to be delivering my speech in this New Parliament Building which represents modern India. But at the same time, it is also a fact that 23 million girls drop out of school because of non-availability of menstrual hygiene in the schools.

After the 73^{rd} and 74^{th} Amendment, we have seen that women's representation has increased in the Panchayats. A study tells us that facilities in terms of water, health and schools have improved because of policies made at that level. Therefore, there is a need for women's representation because

policies sensitive to women and the girl child will drastically improve when women are there in the policy-making bodies of the country.

Sir, I would not go into the details. I just want to make two points here. Firstly, as a party we agree with this Amendment Bill. But Article 332(A), Clause 2, which states: “As nearly as may be one-third of the total number of seats shall be reserved,” should be changed to “Not less than one-third of the total number of seats shall be reserved” so that there will be no scope for ‘may be’ in this.

Secondly, Sir, this Bill does not talk about reservation in the Rajya Sabha. Even that could be considered.

I would conclude with one quote by Maya Angelou from her poem called Our Grandmothers. It says: “I come as one but I stand as 10,000.”

Today, I stand on behalf of almost 50 per cent population of this country which is women – my mothers and my sisters. I would like to thank the Government for giving us this wonderful Bill. We support it. Today, I would like to congratulate everybody for this Bill.

Thank you. Jai Hind.

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): सभापति महोदय, धन्यवाद । यह मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए सुयोग है कि मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूं।

महोदय, हिन्दी की एक कविता की दो पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी –

तुम एक अनल कण हो केवल,
अनुकुल हवा लेकिन पाकर,
छप्पर तक तो तुम जा सकती,
ज्वाला प्रचंड फैला सकती,
एक नन्हीं-सी चिनगारी भी।

सर, आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश में महिलाओं के लिए अनुकूल हवा और सकारात्मक वातावरण की सृष्टि करने की दिशा में पदक्षेप ले रहे हैं, बहुत ही बलिष्ठ पदक्षेप, उनके बलिष्ठ नेतृत्व में, हम सब जितने लोग बैठे हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है, जिस दल के जो भी हैं, हम सबका कर्तव्य है कि हम इस ऐसे बलिष्ठ पदक्षेप लेने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हों और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें । मैं एक महिला सांसद हूं । मैं इस लोक सभा में भुवनेश्वर का प्रतिनिधित्व करती हूं । यह जो सुयोग है, यह जो सौभाग्य है, जो मुझे मेरे प्रधान मंत्री जी ने दिया है, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं और इस बिल के लिए भी उन्हें मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, कल पुराने संसद भवन में जब मैं प्रवेश कर रही थी तो आदरणीय सोनिया गांधी जी भी प्रवेश कर रही थीं । मैं पीछे हट कर खड़ी हो गयी । जितने भी मीडिया बंधु थे, सांवादिक बंधु थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है । उन्होंने कहा कि यह हमारा बिल है । मैं हतप्रभ रह गयी, मैं आश्चर्यचकित रह गयी । … (व्यवधान) निश्चित तौर पर मैं बोलना चाहूंगी, दो बातें रखना चाहूंगी । … (व्यवधान)

<u>16.52 hrs</u> (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

Sir, I will take you down the memory lane. … (*Interruptions*) Please listen to me. … (*Interruptions*) You have spoken enough. … (*Interruptions*) Let a woman speak. … (*Interruptions*)

Sir, I would like to take you down the memory lane. At the cost of being repetitive I would like to say all these things. Mr. Nishikant Dubey ji and all my colleagues have said it, but at the cost of being repetitive I would say that Mr. Deve Gowda ji in the 11th Lok Sabha had actually brought this Bill on 12 September, 1996, then in Twelfth Lok Sabha and Thirteen Lok Sabha in 1998 and 1999. So, every Government every time tried to push this Bill, but nobody succeeded. I would like to tell you that it demands a lot of courage and some degree of conviction to bring the Bill again and say that we will pass it. … (*Interruptions*) It does not come like that. … (*Interruptions*)

सर, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं यह मानती हूं कि कांग्रेस राज्य सभा में इसे 9 मार्च, 2010 को लाई थी। मैं यह मानती हूं कि इसे दो-तिहाई बहुमत से पास किया गया, मैं कल से टी.वी. डिबेट्स में बैठी हूं, मैं हमारे सारे बंधुओं को यह बताना चाहूंगी कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का भरपूर समर्थन किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ लगातार खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमारी महिलाएं 50 प्रतिशत हैं और उनके प्रति हमारे मन में बड़ा आदर और सम्मान का भाव है।

सर, 27 वर्षों की यात्रा के पश्चात आज प्रधान मंत्री महोदय ने इस बिल को सबके समक्ष उपस्थापित किया। मैं कहूंगी कि यह बिल निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा बिल है, हम सब लोग इसकी प्रशंसा करें, इसके साथ खड़े हों। No Sir. Please give me two minutes time.

I would definitely like to mention here that implementation is a very strong point of Prime Minister Modi’s Government whether it is Article 370 or Triple Talaq or GST -- One nation, one tax. Whatever big works and achievements have come our way, we have handled all the issues with lot of in-depthness. … (*Interruptions*)

So, right now, on the issue of implementation, I can tell you once again that implementation is our strong point.

Census will be carried out and delimitation exercise will be done. This particular Bill may kindly be passed by all of us. The implementation will be carried out under the leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. It is our responsibility to support the Bill.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आज आपने मुझे संविधान में 128वां संशोधन विधेयक, 2023 – महिला आरक्षण बिल पर विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तथा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

महोदय, बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की कितनी दूरगामी सोच थी कि संविधान सभा में महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग के अनुपात के विपरीत अर्थात देश की आधी आबादी के समुचित विकास – जैसे शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए संविधान में व्यवस्था दी और बाबा साहब ने कहा है कि सभ्य भारतीय समाज में यदि किसी समाज के समग्र विकास को देखना है तो उस समाज की महिलाओं की दशा और स्थिति देख कर जाना जा सकता है। महिलाओं को शिक्षित करना, सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीति में भी उचित प्रतिनिधित्व दे कर देश की आधी आबादी के विकास के बारे में काम करना चाहिए। जैसा कि हम सभी को विदित है कि इस संशोधन का उद्देश्य महिलाओं की संख्या लोक सभा, राज्यों की विधान सभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में बढ़ाने का है। वर्तमान में हमारे देश में यह संख्या लगभग 14 प्रतिशत है, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इण्डिया के केस में महिलाओं के आरक्षण के संबंध में सरकारी नौकररियों और पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन में 30 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था दी थी।

इससे पूर्व भी महिला आरक्षण देने के लिए संविधान के आर्टिकल 239ए, 330ए, 332ए में भी संशोधन करने के लिए वर्ष 1996, 1988, 1999 और 2008 में तत्कालीन सरकारों द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन सरकारों की मंशा महिलाओं के अधिकार के प्रति सजग न होने और दुराग्रह से ग्रसित होने के कारण आज तक यह बिल अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच सका है। कुछ शंकाए हैं, जैसे कि यदि यह बिल पास होता भी है तो इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि सबसे पहले जनगणना होगी, उसके बाद में परिसीमन किया जाएगा और तब इस बिल को लागू किया जाएगा। मेरा यह कहना है कि अभी वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी और आज तक इसकी अन्य कार्यवाहियां संपादित नहीं की जा सकी है और उसके बाद वर्ष 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है। जनगणना में ही न केवल 5 से 10 वर्ष का समय लगेगा, बल्कि उसके बाद परिसीमन में जो समय लगेगा वह अलग है। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार द्वारा भी, पिछली सरकारों की तरह ही यह बिल ला कर भोली-भाली महिलाओं के वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास न हो। हमारी पार्टी की तरफ से आदरणीया बहन जी की माँग है कि यदि यह बिल पास होता है तो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का जो कोटा है, उसको वर्तमान की स्थिति में ही रखा जाए और जो 33 प्रतिशत का आरक्षण आप महिलाओं के लिए ला रहे हैं, उसमें एस.सी., एस.टी. और ओबीसी का आरक्षण भी अलग से देने की व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए।

सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तमाम सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कहने का काम किया है, मैं भी दो मिनट में अपनी बात रखूंगा। आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी जब 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थी, तब उनकी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाए थे। साथ ही, बालिकाओं के उत्थान के लिए सावित्री बाई फूले आर्थिक मदद योजना ला कर उत्तर प्रदेश में यह प्रावधान किया कि जो बालिका 10वीं कक्षा पास कर के कक्षा 11वीं में जाएंगी, उसे 15000 रुपये और एक साइकिल दर जाएगी और कक्षा 11वीं पास कर के 12वीं कक्षा में जाने वाली बालिकाओं को 10,000 रुपये देने की व्यवस्था की थी।

मान्यवर, हमारी सरकार में आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी ने महामाया आवास योजना दे कर महिलाओं को एक घर देने की व्यवस्था दी । महामाया पेंशन योजना ला कर, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया । इतना ही नहीं हमारी सरकार के रहते उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए, जहां पर दलित, पिछड़े, कमज़ोर बच्चियां, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थीं, उन बच्चियों की शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था साथ में हॉस्टल दे कर की थी।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। धन्यवाद।

16.59 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

45th Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Hon. Chairperson, Sir, I rise to present the Forty-fifth Report of the Business Advisory Committee.

17.00 hrs

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL, 2023-Contd.

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Sir, in Tamil Nadu before 1990, if a baby girl was born, she was killed by her own parents or relatives by giving poison from the cactus plant. In Tamil, we call it Kalli Paal. Because of the poverty, the poor parents could not grow a baby girl in the society. The former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Jayalalitha, whom we all fondly call `Puratchi Thalaivi Amma', had fought her way to the top of a largely male political public sphere primarily on her own strength. She improved their lives in a big way. The Scheme called the Cradle Baby Scheme was among the first ever welfare scheme launched by Amma to save these baby girls, to check female foeticide and gender-based abortions.

She pioneered in setting up the first all-women police station in entire Asia during her first tenure as Chief Minister in early 1990s. Several other schemes were introduced like Amma Master Health Check-up Plan for Women, Amma Baby Care Kit Scheme, Thaalikku Thangam Thittam, which means gold for marriage whereby four grams of gold and cash up to Rs. 50,000 was offered to economically backward women who had completed their diploma or degree. The welfare schemes for school going girls remains as a role model to the rest of the States. All women administered hotels called Amma Unavagam, along with feeding thousands of poor, have also improved the lives of many women.

HON. CHAIRPERSON: Now, come to the Bill.

SHRI P. RAVINDHRANATH: Sir, Tamil Nadu is among the first State that provided 50 per cent reservation for women in local bodies. Under the leadership of late Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma, two consecutive terms for women were announced in the constituencies reserved for them. I wish to suggest that this will be continued in the new reservation policy too. I also wish to urge that women from the OBC community should also be considered for reservation in the Lok Sabha and the Legislative Assemblies.

I wish to appreciate the vision and efforts of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji for truly extracting the potential of *Nari Shakti* in building a powerful and prosperous Atmanirbhar Bharat. I came across many of my colleagues in the Opposition criticising our Prime Minister for bringing this Bill for political gains. Let me remind them that it was our hon. Prime Minister, who since taking office in 2014, has been consistently emphasizing the importance of gender equality and the need to empower women in all spheres of life. Let us not forget that for the first time, we have a woman representative from the tribal community in the highest constitutional position, that is, the President of our country. This is the highest example of an inclusive democracy as envisaged by our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji.

So, on behalf of Puratchi Thalaivi Amma, our Party coordinator, Shri O. Pannserselvam, and my beloved mother, Shrimati Vijayalakshmi, I support this Bill.

With these words, I conclude my speech.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023 which will provide one-third reservation to women in the Parliament as well as the State Assemblies. I, on behalf of my Party, Kerala Congress (M), support this Bill to provide reservation to women in the Parliament and the State Assemblies.

This House must be aware about the fact that this is not the first attempt to give reservation to empower women politically. Many attempts have been made so far; that has already been mentioned here. Even as early as in 1931, prominent leaders like Sarojini Naidu and Begum Shah Nawaz wrote to the then British Prime Minister asking him to take steps for ensuring absolute equality of political status for Indian women. The National Perspective Plan of 1988 for women also made recommendations to give reservation to women at all levels of governance, from panchayat to Parliament. By way of the 73rd and 74th Constitution Amendment Acts, one-third of the seats were reserved for women in panchayati raj institutions in both urban as well as local bodies.

We must remember Shri Rajiv Gandhi for his efforts in 1989 to bring a Bill for reservation for women. Subsequently, as has already been mentioned, the H.D. Deve Gowda Ministry brought a Bill for reservation for women. Then again in 1998, 1999, 2000, 2002 and 2003, such attempts were made. Now, of course, it is the credibility of the Government that they are coming up with the reservation Bill.

It is important to mention here the fact that the current representation of women in the Parliament is only around 15 per cent. It is said that the participation of women as public representatives in policy making at the State and national level is very good. However, things are not as simple as told by the present Government. First, the Bill in clause 5 says that the reservation can only be implemented after the exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after the commencement of this Act.

The Government for the first time after Independence has not conducted the census in time, that is within 10 years. If the Government was intending to do or come up with this amendment, they should have conducted the census a long back. The intention of the Government is not clear. Then, there is no provision for reservation for OBCs. That has to be done.

I would like to make one more point here. Kerala is the pioneer in the empowerment of women. After the 73^{rd} and 74^{th} Constitution Amendments, we have passed the Kerala Panchayati Raj Act and the Kerala Municipality Act. We have reserved 33 per cent seats for women. As has already been mentioned here, it has been increased to 50 per cent. Now, the reservation for women is more than 58 per cent in Kerala. In Kerala, we have made achievements in many aspects. Regarding literacy of women, we are the first. In the case of health parameters, we are the first. So, we are the role model in the county. Thank you, Sir.

*__SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM):__ Honourable Chairman Sir, I am glad to receive the opportunity to speak on the Bill providing for 33% reservation to women in Lok Sabha and State Legislative Assemblies. This is a historic moment and when we are discussing such an important issue in this new building of Parliament, on behalf of the Sikkim Krantikari Morcha and the entire people of Sikkim, I rise to support this Bill from the core of my heart. It is a matter of happiness that after 75 years of Independence we are bringing this Bill today for enactment. There have been attempts to pass it several times, but the prevailing gender prejudice in the society was such that we couldn't pass it in those occasions and we couldn't provide 33% reservation to women.

However, I think that the dream of Dr. Bhimrao Ambedkar is going to be fulfilled today. Therefore, on my behalf and on behalf of the people of Sikkim, I would like to thank the honourable Prime Minister and his government. This bill is important also because when we are entering Amrit Kal and we are going forward with a vision of becoming a developed nation by 2047. Women empowerment becomes very important under such circumstances and the participation of women should not be confined to only administration or only academics or research and development, but their involvement must also be ensured in policy making. Therefore, the State govt. of Sikkim has also started AAMA Yojana in order to empower our daughters, in which Rs 20,000 is provided yearly, under Batshalya Yojana couples with infertility receive Rs 3,00,000 and under Vahini

---

* English translation of the Speech originally delivered in Nepali.

Scheme, the school going girls get free sanitary napkins. Likewise, there are many fronts in which the Govt of Sikkim is working for the benefit of women.

So far as the implementation of women reservation is concerned, when the issue of delimitation came up, we hope that the delimitation exercise will be done at the earliest.

There is one very typical example in Sikkim that two communities were provided ST category in 2002 but they are yet to get their reservation just because the delimitation is being frozen till 2026.

तत्कालीन स्टेट गवर्नमेंट ने मिसटेक की कि उस समय सीट रिजर्वेशन नहीं किया और डीलिमिटेशन को ऐसे ही करने दिया। उसके बाद आज तक नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि यह मिसटे वूमेन रिजर्वेशन में नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा ही करेगी।

So, once again on behalf of my Party and my leader, Shri Prem Singh Tamang, and the entire people of Sikkim, I support this Bill.

Thank you.

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): सभापति महोदय, नारी शक्ति को नमन करते हुए मैं अपनी पार्टी जेजेएम की तरफ से इस बिल का स्वागत करता हूं। दोनों पक्ष की तरफ से कहा गया कि यह बिल पहले भी आया, किन कारणों से इतना विलंब हुआ। मैं उन सब चर्चाओं में नहीं जाऊंगा। मैं कह सकता हूं कि मैं जिस समुदाय से आता हूं वहां नारी का सम्मान और समान दर्जा देने का जो तरीका है, हमारे समुदाय के अंदर जो कानून है, उसके बारे में यहां के लोगों को जनना चाहिए। उससे कई फायदे होंगे। शादी के बाद बहुत सारे समुदाय में टाइटल बदल जाता है, लेकिन संथाल समुदाय में नहीं बदलता है।

आज बहुत वर्षों बाद जो यह बिल एक मुकाम पर आने के लिए तैयार है, इसमें किसलिए इतनी देरी हुई, इन सभी चीजों पर कई बार बातें हो चुकी हैं। इस देश की आधी पोपुलेशन को आज सम्मान देने की बात हो रही है या उन्हें आश्वासन देने की बात हो रही है। लेकिन मैंने सदन में पहले भी यह बात कही थी कि इसी सदन के माध्यम से महिला का अपमान भी हुआ है।

प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति ... * जी हैं। आज हम लोग पुराने सदन से नये सदन में आएं, लेकिन किसी भी एक कार्यक्रम में उन्हें उपस्थित नहीं देखा।

मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब इस पूरी प्रक्रिया के विधि-विधान में सदन के बाहर से कई लोगों को बुलाया गया, लेकिन जिस चेयर के द्वारा यह हाउस बुलाया जाता है और आज एक महिला उस चेयर पर बैठी हैं, एक आदिवासी महिला बैठी हैं, पुराने सदन से हम नए सदन में घुस गए, लेकिन हम लोग उनको किसी एक भी कार्यक्रम में नहीं देख पाए। ...(व्यवधान) मेरा यह सवाल इस सदन के माध्यम से है। ...(व्यवधान) मैं यह बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से उस प्रथम चेयर का अपमान हुआ है, ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप ऑनरेबल प्रेजीडेंट का नाम मेंशन नहीं कर सकते।

... (व्यवधान)

श्री विजय कुमार हांसदाक: इस सदन के माध्यम से ही अपमान हुआ है। ...(व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

HON. CHAIRPERSON: That name will be expunged.

… (Interruptions)

श्री विजय कुमार हांसदाक : यहां नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा? … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not use the name of the President. You can very well say “President”.

… (व्यवधान)

SHRI VIJAY KUMAR HANSDAK: Okay, I will not use the President’s name. लेकिन आपने जो गलती की है, उसे आप स्वीकार कर लीजिए। …(व्यवधान) आपने जो गलती की है, उसे आप स्वीकार कर लीजिए। …(व्यवधान) आज 50 परसेंट पापुलेशन को आप कन्विंस करना चाहते हैं कि आप उनको उनका हक देना चाहते हैं, लेकिन इसी सदन में आपने अपमान किया है। …(व्यवधान) इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति जी, आज से पहले 75 सालों में जितनी सरकारें रही हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी ने प्रयास नहीं किया कि किसी आदिवासी महिला को अपने बल पर इस देश का महामहिम राष्ट्रपति बनने का अवसर मिले। वह अवसर मिला है तो इसी सरकार के समय में मिला है। लेकिन इनको अपनी हलकी राजनीति के चक्कर में उस बिल में, जहां महिलाओं को अधिकार देने का काम हो रहा है, महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम इसमें नहीं घसीटना चाहिए। …(व्यवधान) यह राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। वह महामहिम राष्ट्रपति देश की हैं। …(व्यवधान) यह उचित नहीं है। …(व्यवधान)

श्री विजय कुमार हांसदाक : जब यहां देश की आधी पापुलेशन को सम्मान देने की बात की जा रही है और उसी सदन में अपमान हो रहा है, मैं अगर बात रख रहा हूं तो उनको समझना चाहिए कि उनसे कहां गलती हुई है। …(व्यवधान) इस पूरी प्रक्रिया, विधि-विधान में अगर उनको किस वजह से यहां उपस्थित नहीं होने दिया गया तो यह भी बताने की जरूरत है। …(व्यवधान)

मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): माननीय सभापति जी, संविधान में भारत के नागरिकों को समान अवसर देने के लिए कहा गया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना कर्तव्य निभा रही हैं। देश के सर्वांगीण विकास में महिलाओं का लोकतंत्र में भी योगदान रहा है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने नए संसद भवन में पहले ही दिन विधान सभा और लोक सभा में 33 परसेंट आरक्षण के बिल को मंजूरी दी है। यह ऐतिहासिक फैसला है। सबका साथ', सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयाससे ' ही हम इस देश को दुनिया में नंबर एक तक ले जा सकतेहैं। इसी दिशा में यह एक कदम है।

इस बिल के आते ही इस सदन में और राज्य सरकारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा और इसके साथ-साथ महिलाओं की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। मैं हर पार्टी से कहना चाहती हूं कि आप काबिल और पढ़ी-लिखी महिलाओं का चयन करके राज्य एवं केंद्र में भेजें। हम महिलाओं को भी समझना होगा कि आप अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास करें क्योंकि इस देश के संविधान ने आपको यह ताकत दी है। आज एक महिला के तौर पर मैं माननीय प्रधान मंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और सभी पार्टियों से विनती करती हूं कि वे अपने क्षेत्र की काबिल और युवा महिलाओं को प्रतिनिधित्व और राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करें।

मैं आपको अपने विचार सदन में रखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करती हूं और सहर्ष इस बिल का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

SHRI TOKHEHO YEPTHOMI (NAGALAND): Hon. Chairperson, I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Constitution (128th Amendment) Bill on women reservation.

First of all, I would like to wholeheartedly congratulate hon. Prime Minister and the present Government for taking the bold decision to introduce this Bill in this House on 20th September, 2023. While congratulating the hon. Prime Minister, let us also not forget our past leaders who have given their best in bringing 33 per cent reservation for women. Much has been discussed about the Women Reservation Bill. So, I will not repeat what the hon. Members have already shared on the floor of this House. But in the presence of hon. Law Minister, I would like to seek a few clarifications before the Bill is put to vote. Recently, delimitation has been completed in Jammu and Kashmir and also in Assam. In the first hour of this morning, the Gazette Notification has been placed on the floor of this House by the hon. Law Minister and very soon, there is going to be delimitation in Arunachal Pradesh and Nagaland. I want to know whether women's reservation is going to be implemented in those States where delimitation has been completed or due to be completed. Or do they have to wait for other States to implement this reservation? Lastly, I want to bring to the notice of the hon. Home Minister that since 1974, delimitation has not been there in Nagaland. During 2020-21, there was a proposal to have delimitation in Assam and Arunachal Pradesh along with Jammu and Kashmir, but because of a litigation, delimitation could not take place there. For the last 50 years when there was no delimitation, out of 60 constituencies, some constituencies have even one

lakh voters, while some constituencies have less than 10,000 voters. There is a lot of disparity in the State of Nagaland in respect of delimitation. Therefore, I would like to ask hon. Law Minister one thing. As and when this Bill is passed and the hon. President gives her assent, when is this Bill likely to be implemented? I think a time bound schedule should be given. Once again, I am asking whether this reservation will be implemented in those States where delimitation has been completed. On behalf of my Party, NDPP, and on behalf of my hon. Chief Minister, Shri Neiphiu Rio, I fully support the Bill for 33 per cent reservation for women.

DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

I would like to congratulate the Government for bringing about this particular contentious Bill. In the past, it was attempted to be passed many times and yet, it failed. But this time, we think that it will be surely passed. As we have come to the new Parliament Building, there is new vision, new hope and new attitude. So, I am sure that every Member will continue to support whatever comes up on the floor of the House for discussion.

On the first day of Session here in the new Parliament, I thought that the semblance of order was much higher and so, let us leave whatever was in the old House and let us begin anew here.

The people of North East India have always given a very special place for women in matters concerning governance of villages and societies.

Manipur has had its role of producing women of great character and calibre and freedom fighters among the tribal communities. Rani Gaidinliu had led the battle against the colonial rule and she had fought for self-rule for her own people.

In 1904, Nupi Lan was also fought by the women of Manipur against the British colonial rulers. They fought against them in response to an order by the colonial authorities to send Manipuri men to the Kabaw valley to fetch timber for rebuilding of the then Police Agent's bungalow. So, the womenfolk truly fought against them.

Meira Paibis who are the torch bearers or women's associations of various communities amongst the tribals have played a great role in preventing atrocities and attacks on human rights by armed forces and social cleansing by staging prohibition campaign against alcohol and drugs at local village levels. Good governance at villages have also been propagated by women force in those States.

Sir, I belong to the Naga People's Front. In 2017, elections to the local bodies were held against reservation of 33 per cent seats for womenfolk in the State of Nagaland. My party had been ruling there at that particular point of time. Due to certain discrepancies and infringement of ground rules, particularly pertaining to special provisions granted to Nagaland under Article 371, there was confusion and there was a lot of opposition from members of the society.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

DR. LORHO PFOZE: Therefore, at this particular point of time, unless the communities and various stakeholders are taken into confidence and unless they

are informed about the way it is going to be implemented, we may face this type of problem again.

For equality and participation of women in all developmental and decision-making processes of the nation, women are equally gifted as men to deliver. Empowerment is the need of the hour in this age. My Party, the Naga People's Front supports this Bill. Thank you.

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अहम बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया। वूमेन एम्पॉवरमेंट का मामला, मैं समझता हूं कि आज के जमाने में कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन, मैं सुबह से देख रहा हूं कि झगड़ा केवल क्रेडिट के लिए हो रहा है। कोई कैश की बात ही नहीं कर रहा है। असली बिल तो राजीव गांधी जी लाए थे, यह तो सबको मानना पड़ेगा। …(व्यवधान) आप अपनी बात अपने टाइम पर बोलिए, हमारे टाइम पर मत बोलिए। आप मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हैं। उसके बाद, लोक सभा में कांग्रेस पार्टी ने उसको पास किया। जब वह राज्य सभा में गया तो इसी बीजेपी पार्टी ने उसको इनकार किया, उसका साथ नहीं दिया। …(व्यवधान) आज क्रेडिट लेने की बातें हो रही हैं। हकीकत यह है कि औरतों का बिल पास होना चाहिए। हमारी पार्टी इसका पूरा-पूरा सपोर्ट करती है। मैं राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी पदयात्रा ने इनकी नींदें हराम कर दी हैं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, he is not yielding. He is not yielding.

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल : ये क्या ला रहे हैं, क्या दे रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। हम परेशान हैं कि ये बिल के ऊपर बिल लाएंगे। यह सेशन भी जो बुलाया गया है, यह उसी का एक हिस्सा है। किसी को पता ही नहीं है कि क्यों बुलाया गया है। …(व्यवधान)

सर, आप बैठिए, मैं जानता हूं कि आप अच्छे आदमी हैं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप चेयर की तरफ एड्रेस कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल : महोदय, इसलिए, मैं राहुल जी से यही कहूंगा कि आप अपनी पदयात्रा जारी रखें। इंशाअल्लाह, बहुत जल्दी ये हर हफ्ते में एक सेशन बुलाएंगे और नया-नया बिल लाएंगे। … (व्यवधान) अब आप देखिए, मंदिर-मस्जिद का झगड़ा लास्ट टाइम इलेक्शन में खत्म हो गया। अब फिर दूसरी बाबरी मस्जिद बनने वाली नहीं है। उन्होंने मंदिर बना लिया, कोई बात नहीं।

इस मर्तबा क्या मुद्दा लाएं, उसके लिए परेशान हैं? औरतों के तलाक का मामला लाएं, कश्मीर का मसला लाएं, रिजर्वेशन का मसला लाएं। ये आरक्षण मिलना था, औरतों का हक है। मैं इसी के साथ यह कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए उन बच्चियों के बारे में भी सोचिए, जो पार्लियामेंट तक आने के लिए जिनकी एजुकेशन नहीं है। अगर वे आते हैं, तो उनको पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों ये बड़ी-बड़ी पार्टियां औरतों को टिकट देने में इतनी कंजूसी करती हैं? एक मर्तबा दिल खोलिए। सिर्फ पार्लियामेंट बोलने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर भी काम करना पड़ेगा।

महोदय, आज मेरे असम का क्या हाल है? मैं असम से आता हूं। फ्लड और इरोजन की वजह से हमारे लोग तबाह और बर्बाद हो गए हैं। बड़ी-बड़ी आबादियां खत्म हो गई हैं। इसलिए मैं इसकी ताईद करता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप फ्लड और इरोजन को जरूर देखिए। असम बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, प्लीज उसको बचा लीजिए।

[جناب بدرالدین اجمل (دھبری): جناب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم بِل پر بولنے کا موقع دیا۔ وومین ایمپاورمنٹ کا معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ جھگڑہ صرف کریڈِٹ کے لئے ہو رہا ہے۔ کوئی کیش کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اصلی بِل تو راجیو گاندھی جی لائے تھے۔ یہ تو سب کو ماننا پڑے گا۔ (مداخلت)۔ آپ اپنی بات اپنے وقت پر بولئے، ہمارے ٹائم پر مت بولئیے۔ آپ مجھے ڈسٹرب کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد، لوک سبھا میں کانگریس پارٹی نے اس کو پاس کیا۔ جب وہ راجیہ سبھا میں گیا تو اسی بی۔جے۔پی۔ پارٹی نے اس کا انکار کیا، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ (مداخلت)۔ آج کریڈِٹ لینے کی باتیں ہو رہی

ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کا بِل پاس ہونا چاہئیے۔ ہماری پارٹی اس کا پورا پورا سپورٹ کرتی ہے۔ میں راہل گاندھی جی کہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی پد یاترا نے ان کی نیندیں حرام کر دیں ہیں۔ (مداخلت) یہ کیا لا رہے ہیں، کیا دیں رہے ہیں، اور کیا بات کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ ہم پریشان ہیں کہ یہ بِل کے اوپر بِل لائیں گے۔ یہ سیشن بھی جو بُلایا گیا ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں بُلایا گیا ہے۔ (مداخلت)۔

جناب، اسی لئے، میں راہل جی سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی پد یاترہ جاری رکھیں۔ انشا اللہ، بہت جلدی یہ ہر ہفتہ میں ایک سیشن بلائیں گے اور نیا نیا بِل لائیں گے (مداخلت)۔ اب آپ دیکھئے، مندر مسجد، کا جھگڑا لاسٹ ٹائم الیکشن میں ختم ہو گیا اب پھر دوسری بابری مسجد بننے والی نہیں ہے۔ انہوں نے مندر بنا لیا، کوئی بات نہیں۔

اس مرتبہ کیا مُدعہ لائیں، اس کے لئے پریشان ہیں؟ عورتوں کے طلاق کا معاملہ لائیں، کشمیر کا مسئلہ لائیں، ریزرویشن کا معاملہ لائیں۔ یہ ریزرویشن ملنا تھا، عورتوں کا حق ہے۔ میں اسی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لئے ان بچیوں کے بارے میں بھی سوچئیے، جو پارلیمینٹ تک آنے کے لئے جن کی ایجوکیشن نہیں ہے۔ اگر وہ آتے ہیں، تو ان کو پیچھے سے سپورٹ نہیں ملتا ہے۔ کیوں یہ بڑی بڑی پارٹیاں عورتوں کو ٹکٹ دینے میں اتنی کنجوسی کرتی ہیں؟ ایک مرتبہ دل کھولئیے۔ صرف پارلیمینٹ میں بولنے سے کام نہیں چلے گا، زمین پر بھی کام کرنا پڑے گا۔

جناب، آج میرے آسام کا کیا حال ہے؟ میں آسام سے آتا ہوں۔ فلڈ اور ایروزن کی وجہ سے ہمارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ بڑی بڑی آبادیاں ختم ہو گئیں ہیں۔ اسی لئے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ

آپ فلڈ اور ایروزن کو ضرور دیکھیئے۔ آسام برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے برائے مہربانی اس کو بچا لیجیئے۔

(ختم شد) [

***श्री सुशील कुमार रिंकू (जालंधर) :** स्पीकर साहब, तुहाडा बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, there is no translation coming here.

HON. CHAIRPERSON: Let me check.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, I think, you have not given letter for translation. So, please speak in Hindi. You can very well speak in Hindi. Otherwise, you have to give a letter in writing in advance so that your speech can be translated simultaneously.

श्री सुशील कुमार रिंकू : महोदय, फिर मुझे दो मिनट ज्यादा दे दीजिएगा। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No. Please speak in Hindi.

… (Interruptions)

श्री सुशील कुमार रिंकू : महोदय, मदर टंग के अलावा दूसरी भाषा में बोलने में थोड़ी दिक्कत है। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The question is that if you want to speak in your mother tongue, there is no problem, but you have to give letter in writing in advance for its translation. Otherwise, Members may not know what you are speaking including myself also. So, if you are speaking in Hindi, you can speak.

… (Interruptions)

---

* Hindi translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

SHRI SUSHIL KUMAR RINKU: Sure, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

श्री सुशील कुमार रिंकू : महोदय, मैं जिस राज्य से आता हूं, उस राज्य से बहुत ही महान माताजी गुर्जर कौर जी, जो कि साहिब श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी की माता थीं। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान अपने पति यानी 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी देखी। उनके चार पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान उनको समाज और कौम के ऊपर शहीद करवाए। उनके अपने पुत्र एवं 10वें गुरु श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज की शहादत भी उन्होंने अपनी आंखों से देखी। जब शहीद भगत सिंह जी सूली पर चढ़े थे, तो उनकी माता जी ने देश के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी।

मैं समझता हूं कि इस देश की महिलाओं को मान-सम्मान जरूर मिलना चाहिए। इस बिल में मुझे कुछ ऐसी त्रुटियां नज़र आ रही हैं, जो इस बिल के तुरंत लागू करने में अड़चन और दिक्कत पैदा कर रही हैं। मैं यह विनती करना चाहता हूं कि सामने हमारे साथी बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री साहब ने सेन्ट्रल हॉल में बहुत अच्छी स्पीच दी थी।

महोदय, मैं यह विनती करना चाहता हूं कि जब इस नए हाउस का नींव पत्थर रखा गया, जब इस नए हाउस के बनने के बाद इसका उद्घाटन किया गया, कल जब हम सबने इस नए हाउस में प्रवेश किया, तो हम सबने कस्टोडियन ऑफ द हाउस एवं हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया की गैर-मौजूदगी को नोटिस किया। वह हमारे हाउस की कस्टोडियन हैं। हमारा फर्ज़ बनता था कि उनको इज्जत देते। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The custodian of the House is not the President.

… (Interruptions)

श्री सुशील कुमार रिंकू : महोदय, मैं विनती करना चाहता हूं कि हमारे सामने जो पार्टी बैठी है, अगर इनके मन में महिलाओं के लिए इतनी चिंता है, तो जो बिल तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे, ऑलरेडी जो बिल पहले राज्य सभा में पास हो चुका था, अगर हम उसी बिल को पास करवा देते, तो तुरंत उसका फायदा हमारे देश की महिलाओं को मिल जाता। मैं एक

तरफ इस बिल का समर्थन करता हूं, तो दूसरी तरफ इस बिल में जो त्रुटियां हैं, मैं उनका डटकर विरोध करता हूं।

*__DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):__ Hon Chairman Sir, Vanakkam. I wholeheartedly welcome and support this historic Bill. At the outset, I am duty-bound to remember and pay my respect and gratitude to *Annai* Savitribai Phule and Mahatma Jyotirao Phule who founded one of the early schools to impart education to girls besides empowering them. I salute them for their extraordinary contribution to women's education. We have kept our women in deprived conditions since time immemorial. We have committed unpardonable sins against women. They were deprived of education. We snatched powers from our women. They were not even having freedom of expression. They were not having legal rights for property. Women remained suppressed and oppressed in several ways. They were kept indoors. Serving men became their way of life. We have created such a social set-up that from birth to death a woman has to be a dependant on a man. I should say that has created a hesitation to invite our Hon. President to the inaugural function of this new Parliament Building. Is that because she hails from Tribal community or she is a widow? This question is bothering our minds. My friend and Hon MP from Jharkhand Mukti Morcha spoke about this. It is not only his question. This is the question raised by the entire country and its people. Those who belong to BJP, the ruling party, should give clarification on this. It is a big sin that after keeping a woman in a topmost Post and making her unable to function freely. Although this Bill is brought out by this

---

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

Government, situation is such that there are hurdles in its implementation. Hon. Shri Rajiv Gandhi introduced this in the year 1989. After 33 years this Bill is being passed. We have come forward to provide just 33 per cent reservation to women who constitute 50 per cent of our population. We portray as if just out of sympathy we are trying to give them this reservation. That too after 33 years of long wait.

But when will it be implemented? Earlier this Bill was introduced but not passed. Now it is being passed and we are unaware of the fact that when it will be implemented. There is a possibility of this Act being implemented in the year 2033. There are several questions. When will we have the enumeration of population census? When will we carry out the delimitation exercise? Why this Bill should be introduced without having an intention to implement immediately? Just it is seen as an election gimmick or a political drama of the BJP Government. It is a political drama staged by the ruling party. I support this Bill and urge that this should to be implemented immediately. Thank you.

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम) : जब भी नारी की बात होती है, तब हाउस में भाषण में सब उसको देवी बना देते हैं, लेकिन ग्राउण्ड रियलिटी बिल्कुल अलग है । मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि देवी नहीं, एट लीस्ट उनको इंसान समझिए, वही काफी है। रेप करना बंद कीजिए, वही काफी है। जब आप अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाना बंद कर देंगे, वही काफी है । मेरा यह क्वेश्चन किसी सरकार से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, मैं देश के पुरुषों से यह जानना चाहती हूं कि जब आप लोग बोलते हैं कि मैं पावर देता हूं, मैं यह क्षमता देता हूं तो आप होते कौन हैं? यह देश इक्विली मेरा है, यह दुनिया इक्विली मेरी है, यह वर्ल्ड इक्विली मेरा है। आप देने वाले नहीं हैं।

<u>17.39 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

ममता बनर्जी इस बिल के सपोर्ट में पहले भी थीं और अभी भी हैं। मैं यह कहूंगी कि महिला को ऐसे लाएं, जिसको पावर भी देनी है। ऐसा नहीं है कि वह पावर उसके नाम से हो और उसका हसबैंड, उसका भाई, उसका बाबा काम करे तथा वह घर में रोटी बनाए। जो वह करती थी, वही करती रहे। मैं यह भी बोलना चाहती हूं कि जब आप लोग बोलते हैं कि हम लोगों की सरकार ने इतने परसेंट दिया है, उसमें चाहे 15 परसेंट हो, 30 परसेंट हो या 31 परसेंट हो तो आप लोग ऐसे देते हैं और हम लोग ऐसे ले लेते हैं।

आप देकर खुश हो जाते हैं, हम लोग लेकर खुश हो जाते हैं। जब देने और लेने का सिलसिला बंद हो जाएगा, जब इक्वल हो जाएगा, तब ही नारी को असली सम्मान मिलेगा We are waiting for that day जब आप और हम लोग इक्वल होंगे।

SHRI RAHUL GANDHI (WAYANAD): Thank you, Speaker, Sir. It is nice to be speaking for the first time in the new House in your presence. I stand in support of the Women's Reservation Bill.

Yesterday I was listening to the discussion, and the issue of the Sengol came up. There was a conversation to and fro about the Sengol, and a little bit of conversation about the transfer of power from the British to the people of India. Before handing over power to the people of India, the British asked the leadership of the freedom movement, "Who are we going to transfer power to?" Of course, there was a little bit of arrogance in the statement because they viewed India as a poor country. And the revolutionary answer that our freedom fighters gave was that we were going to transfer power to the people of India. So, we became a country that, from its inception, gave the power to vote to all. This was a revolutionary thing at the time. We also gave votes to every single community, and the vote was a mechanism for the transfer of power. It was designed to further transfer power to the people of India. If you look at the journey since Independence, it has been that journey. It has been a constant transfer of power, more and more power, to the people of India, on the one side. On the other side, the counter-idea takes away power from the people of India. This is the fight that is going on. In fact, in many ways, it is the fight that is taking place today. A huge step forward in the transfer of power to the women of India was the Panchayati Raj, where they were given reservations and allowed to enter the political system. This is another step. It is a big step. It is not a small step. I am sure everybody in this House, the Treasury Benches and the opposition, agree that this is a very

important step for the women of our country. They fought for Independence. They are as capable as any man. In many ways, they are more capable and should be given as much space as they possibly can be given.

There is one thing, in my view, that makes this Bill incomplete. I would like to have seen OBC reservations included in this Bill.

I think it is very important that a large chunk of India's population, a large chunk of India's women, should have access to this reservation, and that is missing in this Bill.

There are also two things that seem strange to me. One is the idea that you require a new census to implement this Bill. And, the second is that you require a new delimitation to implement this Bill. In my view, it is quite simple. This Bill can be implemented today by giving 33 per cent of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas to India's women. So, I wonder if this is not designed to push the ball forward seven, eight, nine years, and then let this thing play out the way it does. I know my friends tend to like to take the attention of people away from other issues. You know that. There is, of course, the Adani issue from which they always wanted to take the attention away. … (*Interruptions*)

But there is another issue. Yes, I would like to say that. One of the things is that this is quite a nice building. There is nice peacock. There are nice peacock feathers on the ground. There are nice peacock feathers in the chairs. The full building is a nice place. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal

community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one House to the other.

So, one of the things that the Government likes to distract us from is, of course, Mr. Adani. And there is another thing that the Government likes to distract everybody from and that thing is the caste census. For some reason – and I do not quite understand what this reason is -- the moment the Opposition raises the issue of caste census, BJP tries to create a new distraction, a new sudden event so that the OBC community and the people of India look the other way.

In my research for this speech, I took a look at the different institutions that define how our country moves forward. There are many. There is the Lok Sabha; there is the Rajya Sabha; there are Vidhan Sabhas; there is the bureaucracy; there is the Press; and there is the Judiciary. I looked with an eye to understand what is the participation of the OBC community in these institutions. मतलब, हमारे जो इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है? यह सवाल मैं पूछ रहा था और मैंने अलग-अलग इंस्टीट्यूशन्स पर थोड़ा रिसर्च किया है। …(व्यवधान) Do not worry. Do not be scared. We are discussing. डरो मत - डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। आप डरो मत।

I checked. One simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the Government of India – the people who define how this country is governed. Of course, there is Lok Sabha and there are Vidhan Sabhas. But beyond that, there are 90 Secretaries of the Government of India. These 90 people, the Secretaries are responsible for managing the core of the Government

of India. I asked myself the question, how many of these 90 people come from the OBC community? I was shocked and shattered by the answer.

मैंने यह सवाल पूछा कि जो 90 सेक्रेट्रीज हैं, ये हिन्दुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं, मैंने यह सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के 90 सेक्रेट्रीज में से सिर्फ तीन ओबीसी से हैं। …(व्यवधान) आप और सुनिए। …(व्यवधान) घबराइए मत। …(व्यवधान) डरो मत। …(व्यवधान) ये जो सेक्रेट्रीज हैं, जो ओबीसी कम्यूनिटी से हैं, ये हिन्दुस्तान के सिर्फ पांच परसेंट बजट को कंट्रोल करते हैं। अगर हिन्दुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ रुपए का है, तो ये 2.47 लाख करोड़ रुपए, मतलब पांच परसेंट कंट्रोल करते हैं। आप और सुनिए। …(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): आप ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं? …(व्यवधान) आप ओबीसी के खिलाफ हैं? …(व्यवधान) ओबीसी के अधिकार के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं? …(व्यवधान) ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं? ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते? क्या ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट रूकिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि एक तो यह महिला आरक्षण बिल है। दूसरा, सभी माननीय सदस्य समान हैं। डरो मत, डरो मत, ये शब्द पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए।

… (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): आज आपने ओबीसी की यह स्थिति पैदा की है। …(व्यवधान) 60 सालों तक किसने राज किया? …(व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Speaker, Sir, this discussion is about the transfer of power to the people of India. The women are one group of the people of India, and the OBC community is another group of the people of India. *....(Interruptions)*

I am elaborating that the OBCs who number a huge percentage have three per cent of the 90 Secretaries of this country, and control and define five per cent of India's budget. *....(Interruptions)* This is an insult and a shame to the OBC community. *....(Interruptions)* यह ओबीसी कम्यूनिटी का अपमान है। सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसीज हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेन्सस से मिल सकता है।

मेरा सरकार को एक सुझाव है कि सबसे पहले यह जो महिलाओं से संबंधित बिल है, आप इसको पास कीजिए। आज इसे पास कीजिए।

यह लागू कीजिए और यह जो डिलिमिटेशन है, यह जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप 33 परसेंट सीधे महिलाओं को दे दीजिए । दूसरी बात, इसको बदलिये । आप इसको बदलिये। …(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे । पूरे भाषण में आपको ही दिखाएंगे …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : आप यह बदलिये । यह जो लिस्ट है, यह ओबीसी समाज का अपमान है । हिन्दुस्तान के 90 लोग सेक्रेटरीज़ हैं, उनमें से तीन लोग ओबीसी समाज से हैं, 5 परसेंट बजट को कंट्रोल करते हैं। आप जल्दी से जल्दी कास्ट सेंसस कीजिए। हमने जो कास्ट सेंसस किया था, उसका डेटा आप रिलीज कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू।

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि युग बदलने वाले विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है।

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान को संशोधित करने वाले 128वें संविधान संशोधन के समर्थन में बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी …(व्यवधान) क्या हुआ? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिसको जाना है, जाने दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : डरिये मत। अरे भाई, डरो मत। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिसको जाना है, जाने दीजिए। ऐसे क्यों कर रहे हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य सदन में रुक सकता है या जा सकता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन के कार्य का पहली बार श्रीगणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था, महिलाओं को आरक्षण, अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन के नेता और देश के प्रधान मंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ कि 140 करोड़ की आबादी में 50 प्रतिशत जिसका हिस्सा है, उस मातृ शक्ति को सच्चे अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो संविधान संशोधन है, यह संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोक सभा और देश के सभी राज्यों की विधान सभाओं में एक तिहाई स्थान मातृ शक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगा। इसलिए इस बिल के अदंर अनुच्छेद 239एए, जो कि दिल्ली की विधान सभा से संबंधित है, उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं।

18.00 hrs

नया अनुच्छेद 330 A, जो लोक सभा में एक-तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा, नया अनुच्छेद 332 A, जो राज्यों की विधान सभाओं में एक-तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। इसके साथ-साथ, एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिज़र्व्ड हैं, उनमें भी एक-तिहाई सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही महिलाओं के अधिकार की एक लम्बी लड़ाई का अंत हो जाएगा। इसकी कल्पना जी-20 की बैठक में सम्माननीय नरेन्द्रभाई ने समग्र विश्व के सामने रखी। Women-led development की बात समग्र विश्व के सामने रखी। Women-led development के नये युग का श्रीगणेश इसी बिल से होने जा रहा है क्योंकि अब इस देश की माताएं, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटियाँ न केवल नीतियों के अन्दर अपना हिस्सा पाएंगी, बल्कि वे नीति-निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएंगी।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है। परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेन्द्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। …(व्यवधान) आप फिर से सुनिए। …(व्यवधान) मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेन्द्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि मान्यता का सवाल है। यह मान्यता का सवाल है।

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सिद्धांत के लिए किसी व्यक्ति या संस्था का आकलन करना हो कि सिद्धांत के प्रति उसकी मान्यता कितनी दृढ़ है, तो कोई एक घटना, कोई एक कदम से यह नहीं बताया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे, जब वे गुजरात प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की वड़ोदरा कार्यकारिणी हुई थी, उस ऐतिहासिक कार्यकारिणी में मोदी जी के रोल के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पदों में एक-तिहाई रिज़र्वेशन माताओं के लिए किया गया था। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ऐसा काम करने वाली मेरी पार्टी सबसे पहली पार्टी है और मेरी पार्टी सबसे अंतिम पार्टी भी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को ढ़ेर सारी भेंट मिलती हैं, ज्यादा-से-ज्यादा लोग उनको तोशाखाना में आरक्षित रखवा देते हैं। मोदी जी ने उस वक्त निर्णय किया था और सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि जितनी भी भेंट आएंगी, उनका ऑक्शन होगा और उससे प्राप्त धनराशि बच्चियों की पढाई-लिखाई के लिए खर्च किया जाएगा।

सीएम रहते हुए, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना। वर्ष 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुनाव हुआ और तीस साल के बाद इस देश की महान जनता ने पूर्ण बहुमत की एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का मैनडेट दिया।

जब सरकार बनाने का समय आया, तब मोदी जी का मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा देना स्वाभाविक था। इस्तीफा देने के बाद ही वे प्रधान मंत्री बन सकते थे। मुख्य मंत्री पद से जब मोदी जी ने इस्तीफा दिया, तब उनके बैंक अकाउंट में जितना भी मुख्य मंत्री की तनख्वाह से और जितना भी पैसा बचा था, वह सारा का सारा पैसा गुजरात सचिवालय के वर्ग तीन और चार के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई-लिखाई के लिए दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं था, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। जब मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब बेटी बचाओ', बेटी पढ़ाओका नारा देश भर में ' दिया। गुजरात में उनके प्रयासों से, जन-जागृति के माध्यम से किसी कानून के बगैर, लिंग अनुपात के

अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करके लाखों बेटियों को पृथ्वी पर आने का अधिकार नरेन्द्र मोदी जी ने दिया। तपती धूप में, मई के महीने में पटवारी से लेकर मुख्य मंत्री तक, पूरी की पूरी सरकार पांच दिनों तक गर्ल चाइल्ड इनरोल्मेंट के लिए गांव-गांव में जाती थी। कोई कस्बा ऐसा नहीं होता था, जहां सरकार के पदाधिकारी नहीं जाते थे। पंच, सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य, तहसील पंचायत के सदस्य, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्य मंत्री, सभी लोग जाते थे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके इनरोल्मेंट के लिए और ड्रॉप-आउट रेश्यो को कम करने के लिए और उनको पुन: दाखिला दिलाने के लिए गांवों में निवास करते थे।

माननीय अध्यक्ष जी, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का परिणाम क्या था? एक ओर तो लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आया और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी गुजरात में जो लेगेसी छोड़कर गई थी, प्राइमरी एजुकेशन में 37 परसेंट ड्रॉप-आउट रेश्यो था। मोदी जी जब मुख्य मंत्री से प्रधान मंत्री बनकर आए, तब वह 37 परसेंट ड्रॉप-आउट रेश्यो घटकर 0.70 परसेंट हो गया।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह हमारी मान्यता का मुद्दा है, हमारे स्वाभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब नरेन्द्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, ये कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था, पहले रोक लिया गया, ये सब बातें तो मैं बाद में बताता हूं। परंतु, यह जो महिला सशक्तीकरण की बात है, यह संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, ये तीनों चीजें, जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का श्वास और प्राण, दोनों बने हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कई ऐसी चीजें हैं, जो हुई हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री बने, इस देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने चालू की 'जनधन योजना', बैंक अकाउंट खोलने का अभियान चालू किया, 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए और 52 करोड़ बैंक अकाउंट में से 70 प्रतिशत बैंक अकाउंट माताओं के नाम से खोले गए।

माननीय अध्यक्ष जी, आज महिला सशक्तीकरण हुआ है। सारी योजनाओं का जो पैसा जा रहा है …(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : दस मिनट का भाषण देना था। … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मुझे किसने दस मिनट दिए हैं? … (व्यवधान) क्या आप वहां बैठकर टाइम दोगे? … (व्यवधान) सुनने की आदत डालिए। … (व्यवधान) क्या आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? … (व्यवधान) मैं अपनी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप फैसला करने वाले कौन होते हैं?

माननीय गृह मंत्री जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई भी स्कीम का पैसा जाता है तो वह महिला के बैंक एकाउंट के अंदर जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में पांच दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, जहां शौचालय नहीं था। …(व्यवधान) गरीबी हटाओ के नारे दिए, मगर वह गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। जब एक घर में शौचालय नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ युवा बेटी, बहन और मां को होती है। शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं, जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। 11 करोड़ घर ऐसे थे, जिनके घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी ने पहले पांच साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की सहमति हो तो इस विधेयक के प्रस्ताव पर चर्चा होने और उसके पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री अमित शाह : मान्यवर, 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने। किसका एम्पॉवरमेंट हुआ? 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनने से माताओं का, बेटियों का, बहनों का सम्मान हुआ, उनका सशक्तिकरण हुआ।10 करोड़ परिवार धुएं से युक्त थे। कंडे और टहनियां जलाकर आंख की नेत्रमणि खत्म हो जाती

थी, फेफड़े फाइब्रोसिस से भर जाते थे। ...(व्यवधान) 10 करोड़ घरों में एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देकर माताओं का सशक्तिकरण करने का काम किया है। ...(व्यवधान) 3 करोड़ से ज्यादा माताओं को घर दिया और वह घर माता के नाम से करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया।

मान्यवर, 12 करोड़ घर ऐसे थे, जहां पीने का पानी नहीं था। अब जो समाज के अंदर रहते हैं, जो जमीन को जानते हैं, उनको मालूम है कि घर में पीने का पानी नहीं है तो पीड़ा सबसे ज्यादा किसको होती है, किसको ज्यादा तकलीफ होगी? जिस घर में पीने का पानी नहीं है, उस घर की माता को ही तकलीफ होती है। 12 करोड़ परिवारों के घरों में नल से जल पहुंचाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ लोगों को, हर घर में प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। जब चूल्हा नहीं जलता है तो बच्चे भूखे रहते हैं। चूल्हा तो नहीं जलता है, मगर मां का दिल जलता है। ...(व्यवधान) भूखे परिवारों को पांच किलो अनाज प्रति व्यक्ति देने का काम हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी ने किया। 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले। ...(व्यवधान) 3 करोड़ महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत फायदा पहुंचाया। ...(व्यवधान)

मान्यवर, लगभग-लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, पेड मैटरनिटी लीव देने का काम हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। एम्पॉवरमेंट क्या होता है? आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाले पायलटों में महिलाओं की संख्या 5 प्रतिशत है, भारत में 15 प्रतिशत है और यह 10 साल में बढ़ी है। इसको एम्पॉवरमेंट कहते हैं। ...(व्यवधान)

मान्यवर, हम जो यह बिल लेकर आए हैं, कई साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए, महिला भी उतनी ही सशक्त है, जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूँ, महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा मजबूत **है**, मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है, जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसिजन मेकिंग में पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। यह सम्मान करने के लिए यह आरक्षण लाया गया है।

मान्यवर, इस देश में जो भी रहता है, जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं, वह किसी भी महिला को कमजोर मानने की गलती नहीं कर सकता है। दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों स्वरूप देवियों के हैं। दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, सरस्वती विद्या का स्वरूप है और लक्ष्मी ऐश्वर्य तथा वैभव का स्वरूप है। इन तीनों स्वरूपों में हमारे पुरखों ने, हमारी संस्कृति ने माँ की ही कल्पना की है, किसी और की कल्पना नहीं की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रश्न क्या है, मतलब जड़ें भारत से नहीं जुड़ी हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि जड़ें कहां जुड़ी हैं। जड़ें यदि भारत से जुड़ी हैं, तो तकलीफ नहीं बढ़ती।

मान्यवर, मैं आज आपको कहना चाहता हूं। हजारों वर्ष से हमारे सांस्कृतिक प्रवाह और हजारों वर्ष के हमारे देश के इतिहास के अंदर कई सारी ज्ञान की नई-नई विधाएं और ज्ञान के नए-नए आयाम हैं। कहीं वेदों की ऋचाएं, कहीं उपनिषदों के मंत्र हैं, कभी पुराणों के श्लोक पढ़े हैं। ऋग्वेद के 422 मंत्रों में महिलाओं का महिमामंडन करने का काम हमारे ऋषियों ने किया है। वेदों की रचना में योगदान देने वालों में गार्गी, मैत्रेयी, घोसा, विश्म्बरा, श्रद्धा, संध्या, देवयानी, सचि, अदिति, लोपामुद्रा, ये सभी वेदों को संवेदना से परिपूर्ण करके समग्र चराचर की चिंता करने वाली माताएं हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि अदिति को इंद्र की माँ कहा जाता है। अदिति चारों वेदों में पारंगत थी और चारों वेदों को पूर्ण करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शासन की बात करें तो दसवीं शताब्दी में कश्मीर की रानी दिद्दा, काकतीय वंश की रूद्रमा, 13वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली जिजाऊ, रानी चेन्नम्मा, महारानी अब्बक्का और महारानी लक्ष्मीबाई को इस देश का समाज और इतिहास कभी भूल नहीं सकता है।

मान्यवर, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, वड़वा, प्रतिथेयी, अरुंधति और सावित्री बाई फूले ने इस समाज को सम्पूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हम जो बिल लेकर आए है, इस भाव से लेकर नहीं आए हैं। एक प्रकार की समाज व्यवस्था बनी है और समाज व्यवस्था में एक क्षति है, इस क्षति को सुधारने के लिए महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए उनका सम्मान करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लेकर आज हम यहां आए हैं।

मान्यवर, जहां तक ढेर सारे लोगों ने अलग-अलग प्रकार की बातें की हैं, मैं आज यहां कुछ चीजों का जवाब भी जरूर देना चाहूंगा। मैं इससे पहले स्पष्ट कर देता हूं कि कोई इस जवाब को दिल से न लगा लें। मैं किसी भी दल के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूं। बहुत मौके आएंगे, जहां राजनीतिक उत्तर देने की जरूरत होगी, दम-खम के साथ देंगे, डट कर देंगे परन्तु यह ऐसा मौका है जिसमें इस सदन को समग्र देश को, समग्र देश को ही नहीं मान्यवर, आपके माध्यम से समग्र विश्व को यह संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी ने जिसकी कल्पना की यह वूमेन लेड डेवलपमेंट के लिए पूरा सदन एक मत है। मान्यवर, कुछ चीजें यहां कही गईं, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसकी स्पष्टता कर दी जाए।

मान्यवर, यह जो प्रयास है, यह पाँचवा प्रयास है। यह महिला आरक्षण विधेयक पहली बार नहीं आया है, यह संविधान संशोधन पहली बार नहीं आया है। फिर उन चार संविधान संशोधनों का क्या हुआ और क्यों आज मोदी जी को इसे लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में दो बार अटल जी ने किया, चार बार प्रयास हुए, पर यह क्यों नहीं हुआ? इसके क्या कारण थे, किसके कारण यह पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मंशा अधूरी थी या कुछ लोगों ने इस प्रकार का काम किया कि यह आगे हो ही न पाए, यह मैं जरूर बताऊंगा।

मान्यवर, सबसे पहले यह 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितम्बर, 1996 में देवगौड़ा जी के समय में आया। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि इसका पूरा यश कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में डालना है तो डाल दीजिए। आप भी वोट दे दीजिए, सहमति दे दीजिए, अपने आप आपको वोट मिल जाएगा। परन्तु, जो स्थिति है, जो सच्चाई है, उसे मैं देश की करोड़ों माताओं-बहनों को बताना चाहूंगा। इस विधेयक को सबसे पहली बार, जब एच.डी. देवगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे, तब लेकर आए। उस वक्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठा करती थी। …(व्यवधान) वे सरकार में नहीं थे। …(व्यवधान)

मान्यवर, विधेयक को सदन में रखने के बाद विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति को दे दिया गया। संयुक्त समिति ने 9 दिसम्बर, 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी, परन्तु

दुर्भाग्य से वह विधेयक कभी इस सदन तक पहुंच नहीं पाया । यह आया ही नहीं । क्या हुआ, यह मालूम नहीं । जब ग्यारहवीं लोक सभा का विघटन हो गया तो अनुच्छेद-107 के तहत इस विधेयक को लैप्स माना गया और विधेयक वहीं चला गया ।

मान्यवर, फिर अटल जी प्रधान मंत्री बने । 14 दिसम्बर, 1998 को 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया और यह विधेयक बारहवीं लोक सभा के विघटन के साथ-साथ समाप्त हो गया क्योंकि इसको पेश ही नहीं करने दिया गया । कुछ दृश्य हुए थे । इस सदन में उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता । आडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिया गया । …(व्यवधान) बारहवीं लोक सभा के साथ-साथ अनुच्छेद-107 के तहत वह विलोपित हो गया ।

फिर तेरहवीं लोक सभा में अटल जी ही प्रधान मंत्री थे और हम फिर से बिल लेकर आए । उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई । अब किसने नहीं की, किसने की, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज मैं किसी पर दोषारोपण करने नहीं आया हूं, मगर इस संसद ने, इस सम्माननीय गृह ने, जो कभी न देखे हों, इस प्रकार के कुदृश्य तेरहवीं लोक सभा में देखें । जो पुराने अनुभवी सांसद हैं, उन्होंने वह देखा । वह भी अनुच्छेद-107 के तहत विलोपित हो गया ।

मान्यवर, इसके बाद संविधान का 108वां संशोधन डा. मनमोहन सिंह जी लेकर आए । मनमोहन सिंह जी जो संशोधन लेकर आए, उसे पहले राज्य सभा में रखा । राज्य सभा में संशोधन विधेयक पारित हुआ । उसके बाद लोक सभा में उसे लाने का मौका ही नहीं हुआ और वह विधेयक भी विलोपित हो गया । इसलिए कल जो मैं कह रहा था, अधीर रंजन जी कह रहे थे कि विधेयक अभी लम्बित है, पर वह विधेयक लम्बित नहीं है, जिंदा नहीं है, जीवित भी नहीं है । …(व्यवधान) अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइए, मैं समझा देता हूं । …(व्यवधान)

मान्यवर, जब लोक सभा का विघटन होता है, लोक सभा जब विघटित हो जाती है, तब अनुच्छेद-107 के तहत जितने भी लम्बित विधेयक होते हैं, वे विलोपित हो जाते हैं, यहां पर नहीं रहते हैं । …(व्यवधान) कल उन्होंने सवाल किया था कि विधेयक को क्यों फिर से लाना पड़ा जबकि उनका

विधेयक पड़ा है। …(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि वह विधेयक नहीं पड़ा है, इसलिए विधेयक को फिर से लाना पड़ा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी, मैंने उनको अनुमति नहीं दी हैं, केवल आप बोलें।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, ये मुझसे 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं और अपने 60 सालों का हिसाब नहीं देते हैं। अब इनको कौन समझाए कि देश की जनता देख रही है। … (व्यवधान)

मान्यवर, यह विधेयक 4 बार आया और चारों बार ही पारित नहीं हो पाया। हर बार इस देश की मातृशक्ति को हमारे सदन ने निराश किया है। मैं आज पक्ष-विपक्ष के सभी दलों से प्रार्थाना करना चाहता हूँ कि हम सब एकत्रित हो कर एक नई शुरुआत को आज सर्वानुमति से संविधान को संशोधित कर के मातृशक्ति को आरक्षण देने का काम करें।

मान्यवर, मैं कोई राजनीतिक उठा-पटक का जवाब नहीं देना चाहता हूँ, परंतु कई सारे सवाल उठाए गए। हमारी मंशा पर भी सवाल उठाए गए कि तुरंत अमल में क्यों नहीं लाते, डीलिमिटेशन कमिशन क्यों और वर्ष 2026 क्यों? मैं सारी चीज़ों का एक-एक कर के जवाब देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट में आरक्षण का जो प्रावधान है, वह आर्टिकल-330 में है और इसी तरह से विधान सभाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है, वह आर्टिकल-332 में है। ये दोनों आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होते हैं।

मान्यवार, अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए कि ओबीसी क्यों नहीं? डीलिमिटेशन का कमिशन क्यों और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं? मैं सभी सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहला जवाब यह है कि अभी जो विद्यमान संविधान है, उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुन कर आते हैं। एक, सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जिसमें हमारे ओबीसी भाई-बहन भी होते हैं। दूसरा, एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा, एसटी कैटेगरी से आते हैं। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध हैं। इन तीनों कैटेगरी में हमने 33 पर्सेंट आरक्षण माताओं का कर दिया है।

जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविज़न क्यों रखा और वर्ष 2026 क्यों? मान्यवर, मैं अब इस पर ही आता हूँ। अभी जो संविधान संशोधन आया है, इसमें आर्टिकल-330ए और आर्टिकल 332ए के माध्यम से महिला आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। इसी के साथ-साथ तीनों कैटेगरी - सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिज़र्वेशन दे कर एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम यह संविधान संशोधन करेगा, जिसको मेघवाल जी ले कर आए हैं।

मान्यवर, अब पहले हम डीलिमिटेशन कमीशन को समझ लेते हैं। डीलिमिटेशन कमिशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वह अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वह क्वासी-ज्यूडिशल प्रोसिडिंग्स होती हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके कानून के तहत सभी माननीय राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य भी उस डीलिमिटेशन कमिशन के सदस्य होते हैं।

मान्यवर, अब एक तिहाई सीटों का रिज़र्वेशन करना है तो उन सीटों के बारे में कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर देते हैं। कौन करेगा? महोदय, क्या हम इसको करें और फिर वायनाड रिज़र्व हो गया तो आप क्या करेंगे? हमको कहेंगे कि पॉलिटिकली कर दिया है। ओवैसी साहब यहां पर नहीं हैं। अगर हैदराबाद रिज़र्व हो गया तो वे कहेंगे कि पॉलिटिकल रिज़र्वेशन कर दिया।

इसलिए, यह बहुत अच्छा है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासी जुडिशियल प्रोसिडिंग से चलता है। हर राज्य और क्षेत्र में जाकर, ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपैरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है। उस डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है, कोई पक्षा-पक्षी नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सबको सुना है, सबने समर्थन करने के लिए अपने भाषणों के अंदर वादा किया है। परंतु, सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि इस विधेयक का इसलिए समर्थन नहीं कीजिए कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का विषय है और अभी के चुनाव में नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं है, इसलिए समर्थन मत कीजिए, लेकिन मैं इससे अलग कहता हूं। अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो क्या आरक्षण जल्दी आ जाएगा? तब भी वह वर्ष 2029 के बाद आएगा। समर्थन कर दीजिए, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी, उसमें जो बदलाव करेगी, वह भी होगा। आप एक बार श्रीगणेश तो कीजिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन यह संविधान संशोधन बिल आया है।

मान्यवर, एक बार शुरुआत करनी चाहिए। एक बार शुरुआत करें, उसके बाद पहला डिलिमिटेशन भी होगा। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। …(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मगर यह पारित नहीं हुआ। ये कमेटी में रखना ही शुरुआत मानते हैं। इनकी जो नारे हैं, गरीबी हटाओ जैसे है। 50 साल हो गई, लेकिन गरीबी नहीं हटी। … (व्यवधान)

मान्यवर, हम ऐसे नहीं हैं। हम जो कहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है, वो किया जाता है।

मान्यवर, इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगी। बहुत जल्द यह दिन आएगा कि सदन में एक-तिहाई माताएं बैठकर देश के भाग्य को तय करती होंगी।

मान्यवर, अभी-अभी हमारे साथी सांसद चले गए। उन्होंने कहा कि जो लोग देश चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी-अपनी समझ होती है, उन्होंने कहा कि जो लोग देश चलाते हैं, उनमें सिर्फ तीन ओबीसी हैं। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं। मेरी समझ है कि देश सरकार चलाती है।

मान्यवर, संविधान की स्कीम है कि देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। अगर आपको आंकड़े चाहिए तो मैं बता देता हूं। आप सुनने के लिए बैठे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में 29 प्रतिशत, 85 सांसद ओबीसी कैटैगरी के है। अगर आपको कम्पैरिजन करना है तो आ जाइए।

मान्यवर, मंत्री भी 27 ओबीसी कैटेगरी के हैं। सस्ते चुनावी वादे करना और पोलिटिकल भाषण करना अलग चीज है। ... (व्यवधान) दादा, आप नए सदन में उम्र के हिसाब से कुछ कीजिए। ... (व्यवधान)

मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 हैं। यह 27 प्रतिशत है। इन सभी ओबीसी का राग अलापने वालों से ज्यादा है।

मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 62 हैं। यह 40 प्रतिशत है। ये 33 परसेंट की बात करते हैं।

मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है। कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट यहां आकर पढ़ जाना ठीक है। मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। नरेन्द्र मोदी जी जब पहली बार संसद के अन्दर नेता चुने गए, तब उनको भाषण करने के लिए कहा गया। लिखा हुआ भाषण एक साइड पर रह गया। उन्होंने कहा, 2014 में मेरी सरकार दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है।

मान्यवर, आज देश के 80 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, पानी, दवाई, गैस का सिलेंडर और खाने के लिए अनाज देने के बाद, आज माताओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण नरेन्द्र मोदी जी लेकर आए हैं। मोदी जी ने जो वादा किया था, उसे मोदी जी ने पूरा किया है। ये सारे लोग जो ओबीसी का राग अलापते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधान मंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधान मंत्री बनाने का काम किया।

मान्यवर, मैं सभी दलों के सांसदों से एक विनती करना चाहता हूं। आपको लगता है कि इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर जो हम लेकर आए हैं, वह महिलाओं के सम्मान की बात है।

कृपया उसका समर्थन कीजिए। चार बार इस संसद को, देश की माताओं को हमने निराश किया है। इस बार राजनीतिक पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब इस विधेयक का समर्थन करें। यह यश आपका भी है, हमारा भी है, छोटे से छोटे निर्दलीय सांसद का भी है। यह यश संसद का है, सदन का है। हम सब मिलकर इसको पारित करें। यही मेरा सबसे अनुरोध है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। 128वां कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 2023, नारी शक्ति वंदन जैसा बिल, जिस पर आज आपने चर्चा की अनुमति दी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर भी दिया। इस चर्चा में करीब 60 माननीय सांसदों ने भाग लिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक 60 माननीय सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया। कई सकारात्मक सुझाव भी आए और इन सुझावों के आधार पर जो कुछ विषय रह गये थे, उनके द्वारा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे एक विषय अधिकतर चर्चा में आया, दिन भर से आ रहा है कि हमारी रैंकिंग महिला प्रतिनिधित्व में कम है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नवीनतम डेटा के अनुसार विश्व भर में नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 26.7 प्रतिशत है। अभी भारत की लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15.1 पर्सेंट है। इस नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के पश्चात् हम ग्लोबल एवरेज से ऊपर उठकर 33 प्रतिशत महिला भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो हमारी रैंक भी बढ़ेगी।

इससे हमारी रैंक भी सुधरेगी, इसलिए करीब-करीब सभी ने इस बिल का समर्थन किया है। कुछ लोगों ने इसे पोलिटिकल रंग देने का प्रयास किया, उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने अधिकतर जवाब दे दिया है। मैं भी एक-दो बिन्दुओं का जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के

नेतृत्व में जी-20 में भी तय किया और प्रधानमंत्री जी की सोच है कि विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ तेजी से बढ़ना है और इसी कड़ी में यह बिल है।

तीन-चार मुद्दे और आए हैं, विशेषकर कुछ महिलाओं के नाम चर्चा में आए। जिन्होंने महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जिन्होंने भी संघर्ष किया, उन सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत की महान परंपरा में नारी शक्ति का हमेशा से योगदान रहा है, जिनका मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं।

वैदिक काल में गार्गी, अपाला घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने उस कालखंड, देश और समाज का नेतृत्व किया। रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई और रानी लक्ष्मी बाई जैसी नारी शक्तियों ने समय आने पर अपने राज्य का नेतृत्व किया। वे अपने राज्य को शत्रुओं से राज्य की जनता की न सिर्फ रक्षा की, बल्कि विकास के भी नये कीर्तिमान गढ़े, ऐसी हमारी नारी शक्ति रही है। सावित्री बाई फुले का भी आज नाम आया, रमाबाई, रानी गाइदिन्ल्यू, भगिनी निवेदिता, एनी बेसेंट, उषा मेहता, सरोजनी नायडू और अरुणा आसफ अली जैसी असंख्य नारी शक्ति ने आजादी के महासंग्राम में आगे बढ़कर नेतृत्व किया और अंग्रेजों से भी लोहा लिया। उन्होंने नारी सशक्तीकरण और समाज सुधार के लिए प्राण-पण से कार्य किए।

मैं राजस्थान से आता हूं, पर्यावरण की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 महिला और पुरुष शहीद हो गए, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया, ऐसी महिलाओं का आज वंदन करने का अवसर है। मैं इस सदन में सुषमा स्वराज जी को भी याद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण दिए बिना, उनके प्रतिनिधित्व के बिना विकास की यात्रा अधूरी है। आज हम उनके स्वपन को साकार कर रहे हैं।

ऐसा माना जाता है कि महिला माँ के रूप में होती है, उसे जननी कहा गया है। करूणा, ममता, दया, त्याग, समर्पण और प्रेम आदि महिला के स्वाभाविक गुण होते हैं। जब महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी अर्थात् मातृत्व के साथ नेतृत्व करेगी तो इन गुणों के कारण निर्णयों में संवेदनशीलता

आएगी, सहजता आएगी। राष्ट्र की भलाई के तत्व स्वाभाविक रूप से हमारे कानूनों में परिलक्षित होंगे।

वर्ष 2047 में जब हम भारत की आजादी के शताब्दी समारोह मनाएंगे, तब दुनिया भारत की विकास यात्रा में महिलाओं के नेतृत्व को महसूस करेगी। आज आपने जो कार्य किया है, मुझे लगता है कि अमृत काल की वेला में प्रधानमंत्री जी जिसका कई बार जिक्र करते हैं, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है।

दो-तीन टेक्नीकल विषय भी आए। 1982 में संसद ने संविधान में संशोधन किया, संविधान में इसका प्रावधान है। डीलिमिटेशन के सेक्शन 8 और 9 में कहा गया है कि संख्या देखकर ही निर्धारण होता है, जिसका जिक्र गृह मंत्री जी कर रहे थे। अगर हम टेक्नीकल चीजों में जाएंगे, आप शायद चाहते होंगे कि यह बिल टेक्नीकल चीजों में फंस जाए, अब हम इस बिल को फंसने नहीं देंगे। हां, अब हम इस बिल को फंसने नहीं देंगे क्योंकि वर्टिकल और होरिजेंटल डिबेट में राजेश कुमार दारिया वर्सेज राजस्थान लोक सेवा फिजिकली हैंडीकैप्ड महिलाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि महिलाओं के आरक्षण का विषय होरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। आप कहते हैं कि तुरंत दे दो, तुरंत डीलिमिटेशन नहीं होगा, तुरंत दे देंगे तो संविधान के अनुरूप नहीं होगा। यह आपके सहयोग से पास होगा, लेकिन कल आप पीएलआई लगाकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाओगे।

क्या आप चाहते हैं कि वहां बिल अटक जाए? यह बिल महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने वाला है। आप सबने सहयोग किया है, मैं आभार प्रकट करता हूं, लेकिन हमें टेक्नीकल बातों में इतना नहीं उलझना चाहिए क्योंकि सोच-समझकर ही बिल में प्रावधान किए गए हैं।

इस बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण हॉरिजेंटल के साथ वर्टिकल भी है। संसद में एससी, एसटी के लिए आरक्षण है इसलिए परिसीमन जरूरी है और यह आपको समझना है। इसके अलावा कुछ और विषय सदस्यों ने रखे हैं। जैसे एक विषय रखा कि डिलिमिटेशन क्यों जरूरी है? सीट रिएडजस्टमेंट क्यों जरूरी है? इसका जिक्र निशिकांत जी भी कर रहे थे कि आर्टिकल 82 में साफ लिखा है कि रिएजस्टमेंट ऑफ सीट डिलिमिटेशन का ही पार्ट है। आप कैसे तय करेंगे कि यह सीट

महिलाओं के लिए आरक्षित है? यह उनका काम है, अगर आप ऐसे ही कर देंगे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब महिलाओं को इंतजार नहीं करना पड़े, हम ऐसा पक्का प्रबंध कर रहे हैं इसलिए हम महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं। राहुल गांधी जी बोलकर चले गए। विपक्ष के कार्यकाल में जब यह बिल पास कराने का समय था तब क्यों नहीं लाए? मुझे कई बार एक क्योटेशन याद आता है क्योंकि उनके पास न तो नीति थी, न नीयत थी और न ही नेतृत्व था। आज हमारे पास नीति भी है, नीयत भी है और आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है इसलिए यह बिल आ रहा है और अभी पास भी होगा। … (व्यवधान)

इस बिल के बारे में आपने कुछ टेक्नीकल विषय रखे हैं। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि यह अमृत काल का समय है, नए संसद भवन में पहला बिल नारी शक्ति वंदन का है। सभी दलों ने समर्थन किया है, आप इसमें पोलिटिकल स्कोर करके क्या करना चाहते हैं? हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं। आपने अभी जिक्र किया कि ओबीसी के सैक्रेट्री कितने हैं? मैं भी आईएएस रहा हूं, मुझे इसकी जानकारी है। अभी राहुल गांधी जी सदन में नहीं हैं, वर्ष 1992 बैच में जो आईएएस में आए, वह सैक्रेट्री बनेगा। 1992 बैच में राज किसका था? सैक्रेट्री कैसे बनेगा, आपका ही राज था और आप अपने ही राज को कोस रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि एससी, एसटी के लिए काम नहीं किया, मैं बताना चाहता हूं कि आपने बाबा साहब को वर्ष 1952 में चुनाव हराया। वह भंडारा से उपचुनाव लड़ना चाहते थे, वह भी आपने हराया और उन्हें आप संविधान सभा में भी नहीं आने देना चाहते थे। … (व्यवधान) आपकी ऐसी नीयत है। …(व्यवधान) आप ओबीसी समाज के भले की बात कह रहे हैं। सारी बातें माननीय गृह मंत्री जी ने कह दी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या सैक्रेट्रीज़ ऐसे ही बन जाते हैं? … (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I have a Point of Order.

माननीय अध्यक्ष: प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है?

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप यह रिकॉर्ड में बोल रहे हैं। क्या आपके पास इसका सबूत है? I strongly oppose to what he is saying. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप सबका समर्थन लें।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको लागू करने का काम करते हैं। आपने ऐसा करके डिबेट को डेविएट किया, यह ठीक नहीं था।

मैं अगले बिंदु के बारे में कहना चाहता हूं, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि डॉ. बाबा साहब जी ने वोटिंग राइट दिया जिससे हम सशक्त हुए। यह बात एकदम ठीक है। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो कुछ कह रहे थे कि पढ़े-लिखे को वोट दें, कुछ कह रहे थे कि बड़े साहूकार को वोट दें, तब ऐसी स्थिति आ रही थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम एशिया और अफ्रीका के देशों को नेतृत्व देने जा रहे हैं इसलिए हम निर्णय करें। एडल्ट फ्रेंचाइस का निर्णय अगर किसी ने किया तो डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया। यह उनकी जिद के कारण हुआ, लेकिन उनको भी आपने हराया। जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, संविधान का निर्माण कर दिया, संविधान की रचना की, वह संविधान के शिल्पकार थे, आपने उनको भी हराने का काम किया फिर आप यहां पोलिटिकल स्कोर खड़ा करने की बात कर रहे हैं। … (व्यवधान)

मैं बताना चाहता हूं कि संविधान की प्रस्तावना में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, बाबा साहब के बारे में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें हराया। ये गलत बात कह रहे हैं। क्यों बेवजह की बात आप सदन के अंदर कर रहे हैं? आप इस सदन को गुमराह करना चाहते हैं। … (व्यवधान)

श्री अमित शाह: महोदय, यह फैक्चुअली करेक्ट है। जैसे राहुल गांधी को बीजेपी ने हराया, उसी तरह से यह भी फैक्चुअली करेक्ट है। बाबा साहब के सामने जीतकर आने वाले प्रत्याशी कांग्रेस के ही थे।

श्री अधीर रंजन चौधरी: तो क्या हुआ?

श्री अमित शाह: तो कुछ नहीं हुआ, फिर आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? … (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आपने उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया और सेंट्रल हॉल में तैल चित्र भी नहीं लगने दिया । … (व्यवधान) मेरे पास रिकॉर्ड है । कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तैल चित्र लगवाने के लिए सेंट्रल हॉल में जगह नहीं है । …(व्यवधान) ऐसा काम इन्होंने किया । …(व्यवधान) इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न तो दिया ही नहीं । बाद में जब वीपी सिंह जी के समय सरकार आई, जिसे अटल जी और आडवाणी जी बाहर से समर्थन कर रहे थे, तो उस सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया । …(व्यवधान) आपने उन्हें दो-दो बार चुनाव में हराया । मैंने किताब में स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि बहुत-से सदस्यों ने सन् 1952 में नेहरू जी से कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी हैं । इनके सामने उम्मीदवार मत खड़ा करें । नेहरू जी ने कहा कि यह हमारा विरोधी है । यह दो ही पार्टियों की आलोचना करता है, एक कांग्रेस की और एक कम्युनिस्ट पार्टी की, इसलिए हम तो इसको चुनाव लड़कर हराएंगे । यह तो हिस्टॉरिकल फैक्ट है । इसमें क्या नई चीज है? इसमें कोई नई चीज नहीं है । …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं एकदम करेक्ट बोल रहा हूं । …(व्यवधान) हमारे शांतनु ठाकुर जी राज्य मंत्री हैं । उनके पास पूरा रिकॉर्ड है । वह कैसे कांस्टीट्यूशन असेंबली में आए, किन लोगों ने वोट दिया, यह सारा रिकॉर्ड उनके पास है । … (व्यवधान) अब मैं विषय पर आता हूं । राइट टू वोट का विषय कई सदस्यों ने उठाया था, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि राइट टू वोट का अधिकार बाबा साहब ने हम सबको दिलाया । … (व्यवधान) उन्होंने कहा कि पुरुष तथा महिला, सभी को एक साथ वोटिंग राइट मिलना चाहिए । वह वोटिंग राइट मिला और उन्होंने संविधान सभा में यह भी कहा कि आप मताधिकार देकर तो देखें, तो कई लोगों ने विरोध किया । लोगों ने कहा कि कई लोग अनपढ़ हैं, महिलाएं तो ज्यादा अनपढ़ हैं । उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं अनपढ़ हो सकती हैं, लेकिन जब मताधिकार का दिन आएगा, तो वे होली और दीपावली की तरह यह दिन मनाएंगी । आज जब मैं जाकर पंचायती राज, नगर पालिका, विधान सभा, लोक सभा आदि का चुनाव देखता हूं, तो वहां महिलाएं सज-धज कर आती हैं । आपने भी कोटा में यह देखा होगा । साहब, वे सेलिब्रेट करती हैं और

बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करती हैं। महोदय, यह विषय जिन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहब ने वोटिंग राइट दिया, मैं उन सदस्यों का भी सम्मान करता हूं। कांग्रेस की ज्योतिमणि ने कटाक्ष किया कि दलित महिलाएं पानी के लिए तरसती थीं। जब दलित महिलाएं पानी के लिए तरसती थीं, उस समय राज किसका था? अब तो हर घर में नल और उससे जल उपलब्ध कराने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ... (व्यवधान) मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि वर्ष 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, महिलाओं में जागृति आई। ये आंकड़े प्रमाणित हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं।

वर्ष 2019 के जनरल इलेक्शन में जनप्रतिनिधि चुनने में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। यह महिला जागृति है और आज हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। एक बिल पास कर रहे हैं और महिलाओं को और सशक्त कर रहे हैं। जहां पुरुषों का मत प्रतिशत 67.2 रहा, वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 67.18 रहा। महिलाएं जागृत भी हैं और इस देश के प्रति एक अच्छा भाव भी रख रही हैं। चूंकि इसमें बहुत-सी चीजें आ गई हैं। अंत मैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आज हम इस लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं को उनका अधिकार देकर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक पास करके नारी शक्ति को वंदन कर रहे हैं। इसको पास करके भारत के प्रधान सेवक, सच्चे कर्मयोगी, साधक नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रच रहे हैं। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति को हाथ जोड़कर वंदन करता हूं। ये पंक्तियां हैं-

“नारी शक्ति तेरा वंदन है,
वंदन है, अभिनन्दन है,
नारी शक्ति का मान बढ़ेगा,
भारत का सम्मान बढ़ेगा,
शान बढ़ेगी, आन बढ़ेगी,
नारी की पहचान बढ़ेगी,
सपनों को अब पंख लगेंगे,
घर के आंगन तक नहीं रुकेंगे,
नारी को अधिकार मिलेंगे,
मिलजुल करके काम करेंगे,
देश हमारा विकसित होगा,

दुनिया का नेतृत्व करेगा,
जन-जन अब जयगान कर रहा है,
नारी शक्ति तेरा वंदन,
वंदन है और अभिनन्दन है।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को कंसीड्रेशन के लिए लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा आठ घंटे से चल रही है। मैं एक क्लेरिफिकेशन थर्ड रीडिंग में पूछना चाहता हूं। राज्य सभा में जो दो बिल पारित हुए थे, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जो रिजर्वेशन वीमेन के लिए होगा, वह स्टेट स्पेसिफिक होगा। यह बिल जो आज हम पारित कर रहे हैं, वह स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। यह पूरे देश भर में वन-थर्ड रिजर्वेशन लोक सभा में होगी, तो इसमें क्या होगा? मेरा यह संशय है। अगर माननीय मंत्री जी इसको दूर कर देंगे तो आसान होगा। संशय यह है कि कुछ स्टेट में ज्यादा महिलाएं चुनकर आएंगी या रिजर्व रहेगी और कुछ स्टेट में यह कम होगा। क्या इसके लिए आप कुछ प्रावधान करेंगे या इसको डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर छोड़ देंगे? इसके बारे में कुछ स्पष्टता इस विधेयक में नहीं है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: भर्तृहरि महताब साहब ने जो विषय उठाया है, वह आर्टिकल 332 के बारे में है, हम इसमें आर्टिकल 332 (ए) जोड़ रहे हैं। 'रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन असेंबलीज', इसमें मेरा यह कहना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेम्बली में हम 33 परसेंट आरक्षण कर रहे हैं। सीट जितनी होगी, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो यदि 200 सीटें हैं तो महिलाओं के लिए 66 सीटें हो जाएंगी। यदि कभी 300 सीटें हुईं तो 99 सीटें हो जाएंगी।

श्री अमित शाह: मेरी समझ यह है कि यह काम डिलिमिटेशन कमीशन ही करेगा। सीटें किस राज्य में कितनी होंगी और कौन-सी होंगी, ये सारा काम डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। इसीलिए, यह डिलिमिटेशन कमीशन को दिया गया है, जिससे निष्पक्ष रूप से क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत सार्वजनिक सुनवाई के तहत इन चीजों को तय किया जा सके। बिल राजकीय रूप से होगा और पारदर्शी तरीके से होगा।

19.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इसके पहले कि मैं विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूं, मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा।

चूंकि इस सदन में अभी डिविजन नंबर आवंटित नहीं किए गए हैं, अतः मतदान पर्चियों के वितरण द्वारा होगा।

लॉबीज़ खाली कर दी जाएं -

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डिविजन नंबर इसलिए आवंटित नहीं हुआ था, क्योंकि आपके दल ने हमें जानकारी नहीं दी थी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब महासचिव पर्चियों द्वारा मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।

SECRETARY GENERAL: I have to inform the hon. Members that Division will take place under Rule 367AA by distribution of slips. All Members seated in the Lok Sabha Chamber will be supplied at their seats with 'Ayes'/'Noes' printed slips for recording their votes.

'Ayes' slips are printed on one side in green both in English and in Hindi and 'Noes' in red on its reverse. On the slip, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their name, Identity Card Number, constituency, State/Union Territory and date. The Members, who desire to record abstention, may ask for the abstention yellow colour slip.

Immediately after recording one's vote, each Member should pass on the slip to the Division Official who will come to their seat to collect the same for handing over to the Officer at the Table.

Members are requested to fill in only one slip for Division. Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the Division Officials.

माननीय अध्यक्ष : हिन्दी में बोल दें।

महासचिव : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि नियम 367 कक के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा मत विभाजन किया जाएगा। लोक सभा कक्ष में बैठे सभी सदस्यों को अपने मतों को अभिलिखित कराने के लिए मुद्रित हां/न पर्चियां उनके स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पर्ची के एक तरफ हरे रंग में हां और दूसरी तरफ लाल रंग में न अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में मुद्रित है। सदस्य कृपया पर्ची में अपनी पसंद का मत अपने हस्ताक्षर करके तथा अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अभिलिखित करें। जो सदस्य मतदान में भाग न लेने वाला मत अभिलिखित करना चाहते हैं, वे मतदान में भाग न लेने वाली पीले रंग की पर्ची की मांग करें। प्रत्येक सदस्य एक बार अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् तत्काल पर्ची को उस मत विभाजन अधिकारी को देंगे, जो उसे सभा पटल के पास उपस्थित अधिकारियों को सौंपने के लिए उनके स्थानों पर इन्हें लेने के लिए आएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि प्रत्येक मत विभाजन के लिए केवल एक ही पर्ची भरें। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि जब तक मत विभाजन अधिकारियों द्वारा पर्चियों को एकत्रित नहीं कर लिया जाता, तब तक वे अपनी सीट न छोड़ें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION No.1 AYES 19.10 HRS.

Abdullah, Dr. Farooq

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Anand, Shri D.M. Kathir

Angadi, Shrimati Mangal Suresh

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Ariff, Adv. A. M.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bhoumik, Kumari Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bisoyi, Shrimati Pramila

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Bordoloi, Shri Pradyut

Borlakunta, Dr.Venkatesh Netha

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chandra, Shri Girish

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Chazhikadan, Shri Thomas

Chellakumar, Dr. A.

Chidambaram, Shri Karti P.

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Er. Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gill, Shri Jasbir Singh

Gnanathiraviam, Shri S.

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Gurumoorthy, Shri Maddila

Hans, Shri Hans Raj

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jawed, Dr. Mohammad

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggansingh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Dhanush M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Sunil

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushawaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lodhi, Shri Ghanshyam Singh

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Majumdar, Dr. Sukanta

Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mallick, Dr. Rajashree

Malothu, Shrimati Kavitha

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandal, Shrimati Manjulata

Mandavi, Shri Mohan

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Manickam Tagore, Shri B.

Mann, Sardar Simranjit Singh

Maran, Shri Dayanidhi

Masoodi, Shri Hasnain

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara, Dr.(Prof.) Mahendra

Muraleedharan, Shri K.

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Malook

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsingh Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Palanimanickam, Shri S.S.

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Pasunoori, Shri Dayakar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr. K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai S.

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri B.B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad, Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Pujari, Shri Suresh

Raghavan, Shri M.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raj, Shri Prince

Raja, Shri A.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramalingam, Shri S.

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Rangaiah, Dr. Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod, Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Ravikumar, Dr. D.

Ravindhranath, Shri P.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Manne Srinivas

Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Rijiju, Shri Kiren

Rinku, Shri Sushil Kumar

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sadique, Shri Mohammad

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Chunnilal

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Samanta, Prof. Achyutananda

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Sawant, Shri Arvind

Selvam, Shri G.

Senthilkumar S., Dr. DNV

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G.M.

Sigamani, Dr. Pon Gautham

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Gen. (Retd.) Dr. V. K.

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Srinivas, Shri Kesineni

Subba, Shri Indra Hang

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Tewari, Shri Manish

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Thirunavukkarasar, Shri Su.

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velusamy, Shri P.

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shri Ramshiromani

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vijaykumar *alias* Vijay Vasanth, Shri

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav 'Nirahua', Shri Dinesh Lal

Yadav, Shri Krishnapalsingh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Shyam Singh

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Owaisi, Shri Asaduddin

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ : 454

नहीं : 2

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of article 239AA.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have given notice of Amendments to Clause 2, Clause 3 and Clause 4. Almost all the Amendments are one and the same. So, I may be given two minutes just to elucidate about the scope of my Amendments.

In almost all the Clauses you see, “As nearly as may be one-third of the seats reserved for the Scheduled Castes”, “As nearly as may be one-third of the total number of seats to be filled by direct election”. My Amendment is to delete “As nearly as may be” so that the operating portion shall be “One-third of the total number of seats shall be filled by direct election”. So, ‘shall be’ has to be incorporated and “As nearly as may” has to be omitted. Otherwise, it will be

creating utter confusion. The Government is having the discretion to do it at any time. So, "As nearly as may be" should be deleted, and it should be a mandatory provision that one-third of the seats should be reserved for women who are entitled for getting reservation.

Sir, this is my Amendment. It is a harmless Amendment and it can be accepted.

I beg to move:

Page 1, line 10,-

omit "As nearly as may be,". (4)

Page 1, line 10,-

after "seats"

insert "shall be". (5)

Page 1, line 13,-

omit "As nearly as may be,". (6)

Page 1, line 13,-

for "to"

substitute "shall". (7)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): इसमें किसी भी सदस्य को संशय करने की जरूरत नहीं है। 'नियरली' शब्द-प्रयोग केवल इसलिए है कि जहाँ एक-तिहाई का भागाकार नहीं होता है, वह संख्या के लिए रखा गया है। यह भी डीलिमिटेशन कमीशन तय करेगी। यह गवर्नमेंट तय नहीं करेगी। इसलिए कृपया आप अपना संशोधन वापस ले लें, ऐसा मेरा निवेदन है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, subject to that clarification, I am withdrawing the Amendments. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा की यह इच्छा है कि श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को वापस लिया जाए?

संशोधनों को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

Page 1, *after* line 16,-

insert 'Provided that one-third of the seats reserved for women in this Article shall be reserved for women belonging to Other Backward Classes, by whatever term such classes may be called including "socially and educationally backward classes"'.

(37)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज़ पहले से खाली हैं।

अब मैं खंड 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION No. 2 AYES 19.35 HRS.

Abdullah, Dr. Farooq

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Anand, Shri D.M. Kathir

Angadi, Shrimati Mangal Suresh

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Ariff, Adv. A. M.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bhoumik, Kumari Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bisoyi, Shrimati Pramila

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Bordoloi, Shri Pradyut

Borlakunta, Dr.Venkatesh Netha

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chandra, Shri Girish

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Chazhikadan, Shri Thomas

Chellakumar, Dr. A.

Chidambaram, Shri Karti P.

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Er. Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gill, Shri Jasbir Singh

Gnanathiraviam, Shri S.

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Gurumoorthy, Shri Maddila

Hans, Shri Hans Raj

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jawed, Dr. Mohammad

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggansingh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Dhanush M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Sunil

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushawaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lodhi, Shri Ghanshyam Singh

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Majumdar, Dr. Sukanta

Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mallick, Dr. Rajashree

Malothu, Shrimati Kavitha

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandal, Shrimati Manjulata

Mandavi, Shri Mohan

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Manickam Tagore, Shri B.

Mann, Sardar Simranjit Singh

Maran, Shri Dayanidhi

Masoodi, Shri Hasnain

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara, Dr.(Prof.) Mahendra

Muraleedharan, Shri K.

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Malook

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsingh Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Palanimanickam, Shri S.S.

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Pasunoori, Shri Dayakar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr. K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai S.

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri B.B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad, Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Pujari, Shri Suresh

Raghavan, Shri M.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raj, Shri Prince

Raja, Shri A.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramalingam, Shri S.

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Rangaiah, Dr. Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod, Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Ravikumar, Dr. D.

Ravindhranath, Shri P.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Manne Srinivas

Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Rijiju, Shri Kiren

Rinku, Shri Sushil Kumar

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sadique, Shri Mohammad

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Chunnilal

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Samanta, Prof. Achyutananda

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Sawant, Shri Arvind

Selvam, Shri G.

Senthilkumar S., Dr. DNV

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G.M.

Sigamani, Dr. Pon Gautham

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Gen. (Retd.) Dr. V. K.

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Srinivas, Shri Kesineni

Subba, Shri Indra Hang

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Tewari, Shri Manish

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Thirunavukkarasar, Shri Su.

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velusamy, Shri P.

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shri Ramshiromani

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vijaykumar *alias* Vijay Vasanth, Shri

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav 'Nirahua', Shri Dinesh Lal

Yadav, Shri Krishnapalsingh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Shyam Singh

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Owaisi, Shri Asaduddin

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ : 454

नहीं : 2

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Insertion of new article 330A.

माननीय अध्यक्ष : डॉ, आलोक कुमार सुमन, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): I am not moving, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 9, 10, 11 और 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

एडवोकेट ए.एम. आरिफ, क्या आप संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): I am not moving, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Yes, Sir, I am moving Amendment No. 38, and I request you for division because this is very important.

I beg to move:

Page 2, *after* line 9,-

insert ‘Provided that one-third of the seats reserved for women in this Article shall be reserved for women belonging to Other Backward Classes, by whatever term such classes may be called including “socially and educationally backward classes”’.

(38)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, क्या आप संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): No, Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : श्री हैबी ईडन, क्या आप संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): No, Sir. It is a very good suggestion … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : लॉबियां पहले से खाली हैं।

अब मैं खंड 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION No.3 AYES 19.50 HRS.

Abdullah, Dr. Farooq

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Anand, Shri D.M. Kathir

Angadi, Shrimati Mangal Suresh

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Ariff, Adv. A. M.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bhoumik, Kumari Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bisoyi, Shrimati Pramila

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Bordoloi, Shri Pradyut

Borlakunta, Dr.Venkatesh Netha

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chandra, Shri Girish

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Chazhikadan, Shri Thomas

Chellakumar, Dr. A.

Chidambaram, Shri Karti P.

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Er. Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gill, Shri Jasbir Singh

Gnanathiraviam, Shri S.

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Gurumoorthy, Shri Maddila

Hans, Shri Hans Raj

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jawed, Dr. Mohammad

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggansingh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Dhanush M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Sunil

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushawaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lodhi, Shri Ghanshyam Singh

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Majumdar, Dr. Sukanta

Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mallick, Dr. Rajashree

Malothu, Shrimati Kavitha

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandal, Shrimati Manjulata

Mandavi, Shri Mohan

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Manickam Tagore, Shri B.

Mann, Sardar Simranjit Singh

Maran, Shri Dayanidhi

Masoodi, Shri Hasnain

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara, Dr.(Prof.) Mahendra

Muraleedharan, Shri K.

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Malook

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsingh Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Palanimanickam, Shri S.S.

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Pasunoori, Shri Dayakar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr. K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai S.

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri B.B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad, Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Pujari, Shri Suresh

Raghavan, Shri M.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raj, Shri Prince

Raja, Shri A.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramalingam, Shri S.

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Rangaiah, Dr. Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod, Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Ravikumar, Dr. D.

Ravindhranath, Shri P.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Manne Srinivas

Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Rijiju, Shri Kiren

Rinku, Shri Sushil Kumar

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sadique, Shri Mohammad

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Chunnilal

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Samanta, Prof. Achyutananda

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Sawant, Shri Arvind

Selvam, Shri G.

Senthilkumar S., Dr. DNV

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G.M.

Sigamani, Dr. Pon Gautham

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Gen. (Retd.) Dr. V. K.

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Srinivas, Shri Kesineni

Subba, Shri Indra Hang

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Tewari, Shri Manish

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Thirunavukkarasar, Shri Su.

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velusamy, Shri P.

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shri Ramshiromani

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vijaykumar *alias* Vijay Vasanth, Shri

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav 'Nirahua', Shri Dinesh Lal

Yadav, Shri Krishnapalsingh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Shyam Singh

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Owaisi, Shri Asaduddin

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 454

नहीं: 02

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 Insertion of new article 332A.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 14,15,16 और 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving amendment Nos. 14,15, 16 and 17 to clause 4.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. आलोक कुमार सुमन, क्या आप संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I am not moving amendment No. 18 to clause 4.

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): I beg to move:

Page 2, *after* line 19,-

insert ‘Provided that one-third of the seats reserved for women in this Article shall be reserved for women belonging to Other

Backward Classes, by whatever term such classes may be called including "socially and educationally backward classes"'.

(40)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: लॉबियां पहले से ही खाली हैं।

अब मैं खंड 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION No.4 AYES 20.05 HRS.

Abdullah, Dr. Farooq

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Anand, Shri D.M. Kathir

Angadi, Shrimati Mangal Suresh

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Ariff, Adv. A. M.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bhoumik, Kumari Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bisoyi, Shrimati Pramila

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Bordoloi, Shri Pradyut

Borlakunta, Dr.Venkatesh Netha

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chandra, Shri Girish

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Chazhikadan, Shri Thomas

Chellakumar, Dr. A.

Chidambaram, Shri Karti P.

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Er. Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gill, Shri Jasbir Singh

Gnanathiraviam, Shri S.

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Gurumoorthy, Shri Maddila

Hans, Shri Hans Raj

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jawed, Dr. Mohammad

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggansingh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Dhanush M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Sunil

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushawaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lodhi, Shri Ghanshyam Singh

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Majumdar, Dr. Sukanta

Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mallick, Dr. Rajashree

Malothu, Shrimati Kavitha

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandal, Shrimati Manjulata

Mandavi, Shri Mohan

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Manickam Tagore, Shri B.

Mann, Sardar Simranjit Singh

Maran, Shri Dayanidhi

Masoodi, Shri Hasnain

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara, Dr.(Prof.) Mahendra

Muraleedharan, Shri K.

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Malook

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsingh Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Palanimanickam, Shri S.S.

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Pasunoori, Shri Dayakar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr. K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai S.

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri B.B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad, Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Pujari, Shri Suresh

Raghavan, Shri M.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raj, Shri Prince

Raja, Shri A.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramalingam, Shri S.

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Rangaiah, Dr. Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod, Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Ravikumar, Dr. D.

Ravindhranath, Shri P.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Manne Srinivas

Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Rijiju, Shri Kiren

Rinku, Shri Sushil Kumar

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sadique, Shri Mohammad

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Chunnilal

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Samanta, Prof. Achyutananda

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Sawant, Shri Arvind

Selvam, Shri G.

Senthilkumar S., Dr. DNV

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G.M.

Sigamani, Dr. Pon Gautham

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Gen. (Retd.) Dr. V. K.

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Srinivas, Shri Kesineni

Subba, Shri Indra Hang

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Tewari, Shri Manish

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Thirunavukkarasar, Shri Su.

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velusamy, Shri P.

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shri Ramshiromani

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vijaykumar *alias* Vijay Vasanth, Shri

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav 'Nirahua', Shri Dinesh Lal

Yadav, Shri Krishnapalsingh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Shyam Singh

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Owaisi, Shri Asaduddin

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ : 454

नहीं : 2

प्रस्ताव सभा की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 Insertion of new article 334A.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय खंड 5 में संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

"Page 2, line 26,-

for "Twenty-eighth"

substitute "Sixth"." (2)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have a Point of Order under Rule 338 and Rule 88, coupled with Rule 376 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

Sir, if you kindly go through Clause 5 (4) and Clause 6 of the Bill, both these provisions are identical and similar. By virtue of Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, two identical motions can

never be passed in one Session. Further, what is the meaning of Clause 5 (4) and Clause 6? Both the clauses say that this amendment will not affect the Houses until they are dissolved. The same repetition is coming in Clause 6 also. I do agree that there is a difference. So, my suggestion is this. This is a drafting error and a poor drafting of the legislation. So, this sub-clause 4 has to come as the proviso of Clause 1 of Article 334A. Either, the Minister may kindly give the clarification or this has to be ruled by the hon. Speaker. Otherwise, it will be creating confusion among the public. On perusal of these two provisions, it is purely a repetition. So, sub-clause 4 of Article 334A and Clause 6 of the Bill are two identical provisions to which the ruling may be given.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रेमचन्द्रन जी जो कह रहे हैं, हम बाकी क्लॉज़िस का अमेंडमेंट कर रहे हैं वह तो कांस्टीट्यूशन का पार्ट बन जाएगा और 6 बिल का पार्ट रहेगा। जब तक सदन का डिजाल्यूशन नहीं होगा, तब तक वह बिल का पार्ट रहेगा। यह आपको पहले से क्लियर किया है।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करेंगे?

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय;

श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी, क्या आप संशोधन 20 और 21 प्रस्तुत करेंगी?

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. एन. प्रथापन जी, क्या आप संशोधन संख्या 29 और 30 प्रस्तुत करेंगे?

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 34 और 35 प्रस्तुत करेंगे?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि जी, क्या आप संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करेंगे?

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): No, Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री एम. के. राघवन जी, क्या आप संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करेंगे?

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री हैबी ईडन जी, क्या आप संशोधन संख्या 44 और 45 प्रस्तुत करेंगे?

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: लॉबीज़ पहले से खाली हैं।

अब मैं यथा संशोधित खंड 5 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>लोक सभा में मत विभाजन हुआ:</u>

DIVISION No.5 AYES 20.20 HRS.

Abdullah, Dr. Farooq

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Anand, Shri D.M. Kathir

Angadi, Shrimati Mangal Suresh

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Ariff, Adv. A. M.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bhoumik, Kumari Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bisoyi, Shrimati Pramila

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Bordoloi, Shri Pradyut

Borlakunta, Dr.Venkatesh Netha

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chandra, Shri Girish

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Chazhikadan, Shri Thomas

Chellakumar, Dr. A.

Chidambaram, Shri Karti P.

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Er. Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gill, Shri Jasbir Singh

Gnanathiraviam, Shri S.

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Gurumoorthy, Shri Maddila

Hans, Shri Hans Raj

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jawed, Dr. Mohammad

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggansingh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Dhanush M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Sunil

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushawaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lodhi, Shri Ghanshyam Singh

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Majumdar, Dr. Sukanta

Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mallick, Dr. Rajashree

Malothu, Shrimati Kavitha

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandal, Shrimati Manjulata

Mandavi, Shri Mohan

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Manickam Tagore, Shri B.

Mann, Sardar Simranjit Singh

Maran, Shri Dayanidhi

Masoodi, Shri Hasnain

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara, Dr.(Prof.) Mahendra

Muraleedharan, Shri K.

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Malook

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsingh Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Palanimanickam, Shri S.S.

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Pasunoori, Shri Dayakar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr. K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai S.

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri B.B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad, Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Pujari, Shri Suresh

Raghavan, Shri M.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raj, Shri Prince

Raja, Shri A.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramalingam, Shri S.

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Rangaiah, Dr. Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod, Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Ravikumar, Dr. D.

Ravindhranath, Shri P.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Manne Srinivas

Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Rijiju, Shri Kiren

Rinku, Shri Sushil Kumar

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sadique, Shri Mohammad

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Chunnilal

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Samanta, Prof. Achyutananda

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Sawant, Shri Arvind

Selvam, Shri G.

Senthilkumar S., Dr. DNV

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G.M.

Sigamani, Dr. Pon Gautham

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Gen. (Retd.) Dr. V. K.

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Srinivas, Shri Kesineni

Subba, Shri Indra Hang

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Tewari, Shri Manish

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Thirunavukkarasar, Shri Su.

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velusamy, Shri P.

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shri Ramshiromani

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vijaykumar *alias* Vijay Vasanth, Shri

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav 'Nirahua', Shri Dinesh Lal

Yadav, Shri Krishnapalsingh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Owaisi, Shri Asaduddin

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मत विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 452

नहीं: 02

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 6 Amendment not to affect reservation in the House of the People, the Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मंत्री जी खंड 6 में संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 2, line 43,-

for "Twenty-eighth"

substitute "Sixth". (3)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

माननीय अध्यक्ष : श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): No, Sir. I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज़ पहले से ही खाली हैं।

अब मैं यथा संशोधित खंड 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 6, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

<u>लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:</u>

DIVISION No.6 AYES 20.35 HRS.

Abdullah, Dr. Farooq

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Anand, Shri D.M. Kathir

Angadi, Shrimati Mangal Suresh

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Ariff, Adv. A. M.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bhoumik, Kumari Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bisoyi, Shrimati Pramila

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Borlakunta, Dr.Venkatesh Netha

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chandra, Shri Girish

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Chazhikadan, Shri Thomas

Chellakumar, Dr. A.

Chidambaram, Shri Karti P.

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Er. Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gill, Shri Jasbir Singh

Gnanathiraviam, Shri S.

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Gurumoorthy, Shri Maddila

Hans, Shri Hans Raj

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jawed, Dr. Mohammad

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggansingh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Dhanush M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Sunil

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushawaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lodhi, Shri Ghanshyam Singh

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Majumdar, Dr. Sukanta

Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mallick, Dr. Rajashree

Malothu, Shrimati Kavitha

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandal, Shrimati Manjulata

Mandavi, Shri Mohan

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Manickam Tagore, Shri B.

Mann, Sardar Simranjit Singh

Maran, Shri Dayanidhi

Masoodi, Shri Hasnain

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara, Dr.(Prof.) Mahendra

Muraleedharan, Shri K.

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Malook

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsingh Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Palanimanickam, Shri S.S.

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Pasunoori, Shri Dayakar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr. K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai S.

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri B.B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad, Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Pujari, Shri Suresh

Raghavan, Shri M.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raj, Shri Prince

Raja, Shri A.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramalingam, Shri S.

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Rangaiah, Dr. Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod, Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Ravikumar, Dr. D.

Ravindhranath, Shri P.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Manne Srinivas

Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Rijiju, Shri Kiren

Rinku, Shri Sushil Kumar

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sadique, Shri Mohammad

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Chunnilal

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Samanta, Prof. Achyutananda

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Sawant, Shri Arvind

Selvam, Shri G.

Senthilkumar S., Dr. DNV

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G.M.

Sigamani, Dr. Pon Gautham

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Gen. (Retd.) Dr. V. K.

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Srinivas, Shri Kesineni

Subba, Shri Indra Hang

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Tewari, Shri Manish

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Thirunavukkarasar, Shri Su.

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velusamy, Shri P.

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shri Ramshiromani

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vijaykumar *alias* Vijay Vasanth, Shri

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav 'Nirahua', Shri Dinesh Lal

Yadav, Shri Krishnapalsingh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Shyam Singh

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Owaisi, Shri Asaduddin

माननीय अध्यक्ष : मत विभाजन का परिणाम यह है :

हां : 453

नहीं : 02

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 6, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 Short title and commencement.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी खंड 1 में संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 1, line 2,-

for "Twenty-eighth"

substitute "Sixth". (1)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

माननीय अध्यक्ष : श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज़ पहले से ही खाली हैं।

अब मैं यथा संशोधित खंड 1 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

DIVISION No.7 AYES 20.45 HRS.

Abdullah, Dr. Farooq

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Anand, Shri D.M. Kathir

Angadi, Shrimati Mangal Suresh

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Ariff, Adv. A. M.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Barla, Shri John

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bhoumik, Kumari Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bisoyi, Shrimati Pramila

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Bordoloi, Shri Pradyut

Borlakunta, Dr.Venkatesh Netha

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chandra, Shri Girish

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Chazhikadan, Shri Thomas

Chellakumar, Dr. A.

Chidambaram, Shri Karti P.

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Er. Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gill, Shri Jasbir Singh

Gnanathiraviam, Shri S.

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Gurumoorthy, Shri Maddila

Hans, Shri Hans Raj

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jawed, Dr. Mohammad

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggansingh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Dhanush M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Sunil

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushawaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lodhi, Shri Ghanshyam Singh

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Majumdar, Dr. Sukanta

Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mallick, Dr. Rajashree

Malothu, Shrimati Kavitha

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandal, Shrimati Manjulata

Mandavi, Shri Mohan

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Manickam Tagore, Shri B.

Mann, Sardar Simranjit Singh

Maran, Shri Dayanidhi

Masoodi, Shri Hasnain

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara, Dr.(Prof.) Mahendra

Muraleedharan, Shri K.

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Malook

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsingh Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Palanimanickam, Shri S.S.

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Pasunoori, Shri Dayakar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr. K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai S.

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri B.B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad, Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Pujari, Shri Suresh

Raghavan, Shri M.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raj, Shri Prince

Raja, Shri A.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramalingam, Shri S.

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Rangaiah, Dr. Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod, Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Ravikumar, Dr. D.

Ravindhranath, Shri P.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Manne Srinivas

Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Rijiju, Shri Kiren

Rinku, Shri Sushil Kumar

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sadique, Shri Mohammad

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Chunnilal

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Samanta, Prof. Achyutananda

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Sawant, Shri Arvind

Selvam, Shri G.

Senthilkumar S., Dr. DNV

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G.M.

Sigamani, Dr. Pon Gautham

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Gen. (Retd.) Dr. V. K.

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Srinivas, Shri Kesineni

Subba, Shri Indra Hang

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Tewari, Shri Manish

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Thirunavukkarasar, Shri Su.

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velusamy, Shri P.

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shri Ramshiromani

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vijaykumar *alias* Vijay Vasanth, Shri

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav 'Nirahua', Shri Dinesh Lal

Yadav, Shri Krishnapalsingh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Shyam Singh

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Owaisi, Shri Asaduddin

माननीय अध्यक्ष : मत विभाजन का परिणाम यह है:

हां : 453

नहीं : 02

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हुआ।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : लॉबिज पहले से खाली हैं।

अब मैं यथा संशोधित विधयेक पारित किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए"

<u>लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :</u>

DIVISION No.8 AYES 20.55 HRS.

Abdullah, Dr. Farooq

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Anand, Shri D.M. Kathir

Angadi, Shrimati Mangal Suresh

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Ariff, Adv. A. M.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev Kumar

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bhoumik, Kumari Pratima

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bisoyi, Shrimati Pramila

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Bordoloi, Shri Pradyut

Borlakunta, Dr.Venkatesh Netha

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chandra, Shri Girish

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Chazhikadan, Shri Thomas

Chellakumar, Dr. A.

Chidambaram, Shri Karti P.

Chikhlikar, Shri Prataprao Patil

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Er. Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Deb, Shri Nitesh Ganga

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhaduk, Shri Rameshbhai L.

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gill, Shri Jasbir Singh

Gnanathiraviam, Shri S.

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Gurumoorthy, Shri Maddila

Hans, Shri Hans Raj

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jawed, Dr. Mohammad

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggansingh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Dhanush M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Sunil

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushawaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lodhi, Shri Ghanshyam Singh

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Majumdar, Dr. Sukanta

Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mallick, Dr. Rajashree

Malothu, Shrimati Kavitha

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandal, Shrimati Manjulata

Mandavi, Shri Mohan

Mandlik, Shri Sanjay Sadashivrao

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Manickam Tagore, Shri B.

Mann, Sardar Simranjit Singh

Maran, Shri Dayanidhi

Masoodi, Shri Hasnain

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara, Dr.(Prof.) Mahendra

Muraleedharan, Shri K.

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Malook

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsingh Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Palanimanickam, Shri S.S.

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Pasunoori, Shri Dayakar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr. K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai S.

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri B.B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Gyaneshwar

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Shriniwas Dadasaheb

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad, Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Pujari, Shri Suresh

Raghavan, Shri M.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raj, Shri Prince

Raja, Shri A.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramalingam, Shri S.

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Rangaiah, Dr. Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod, Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Ravikumar, Dr. D.

Ravindhranath, Shri P.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Manne Srinivas

Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Rijiju, Shri Kiren

Rinku, Shri Sushil Kumar

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sadique, Shri Mohammad

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Chunnilal

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Samanta, Prof. Achyutananda

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Sawant, Shri Arvind

Selvam, Shri G.

Senthilkumar S., Dr. DNV

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G.M.

Sigamani, Dr. Pon Gautham

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh 'Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Gen. (Retd.) Dr. V. K.

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Srinivas, Shri Kesineni

Subba, Shri Indra Hang

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Tewari, Shri Manish

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Thirunavukkarasar, Shri Su.

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velusamy, Shri P.

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shri Ramshiromani

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vijaykumar *alias* Vijay Vasanth, Shri

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shrimati Dimple

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav 'Nirahua', Shri Dinesh Lal

Yadav, Shri Krishnapalsingh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Shyam Singh

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Owaisi, Shri Asaduddin

माननीय अध्यक्ष : मत-विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 454

नहीं : 2

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ।

यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज़ खोल दी जाएं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, चन्द्रयान-3 की सफलता एवं अंतरिक्ष क्षेत्र की अन्य उपलब्धियों पर कल लोक सभा में चर्चा होगी।

सभा की कार्यवाही कल गुरुवार दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

21.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, September 21, 2023/Bhadra 30, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)